Factual Report in the matter of Rajendra Tiwari V/s Union of India& Ors. (OA No. 114/2025) as per the directions of Hon'ble NGT, Central Zone Bench, Bhopal

Background

In the case filed by Sh. Rajendra Tiwari V/s Union of India & Ors. before the Hon'ble National Green Tribunal, Central Zone Bench, Bhopal, the applicant Sh. Rajendra Tiwari has raised the issue regarding illegal operation of a Commercial Establishment named as "The Jai Bagh Palace" upon the land of khasra no. 20/732, 30/1, 32/1, 321679, 33, 33/685, 34, 34/686, 351687, 41/688, 42/689, 47/690 and 48/691 of Village Kachrawala, Tehsil Amer, District Jaipur and that some part of commercial establishment is situated upon reserved forest land of Khasra No. 20/732 and rest of the land of impugned commercial establishment is revenue land, however, is integral part of Eco Sensitive Zone of Nahargarh Wildlife Sanctuary. It is also alleged that this commercial establishment is integral part of the eco sensitive zone of the " Nahargarh Wildlife Sanctuary" and the project proponent has not obtained requisite permissions from National Borad of Wild Life, State Forest Department, Rajasthan State Pollution Control Board and Central Ground Water Authority and the Commercial activity is being operated without having valid permission under the Environment (Protection) Act, 1986, the Air Act, 1981, the Water Act, 1974 and also without Wildlife clearance in view of EIA Notification, 2006. Further, it has also been alleged by the petitioner that the Commercial Establishment gives the premises on rent for marriage parties and other programs and these events are allowed to be continued even in the midnight without any hindrance and are adversely impacting the environment and wildlife as huge speakers, lights, high volume crackers are being used.

Order

Hon'ble NGT Central Zone Bench passed an order on 25.08.2025 and operative part of the order is as follows:

> *"1. Issues raised in this application are violation of Environment (Protection) Act, 1986, Forest (Conservation) Act, 1980 and Wildlife (Protection) Act, 1972.*

The contentions of the Learned Counsel for the applicant are that Old Khasra No.2 of Village Kachrawala was recorded in the name of forest department in view of Van Bandobast Plan of Vankhand Amer-54 and Khasra No.2 came to be divided in number of Khasras and New Khasra No. 20/732 of Village Kachrawala (Old Khasra No.2) are found to be recorded in the name of Jaipur Development Authority. It is to clarify here that New Khasra No. 20/732 of Village Kachrawala was originated from Original Khasra No.2 of Village Kachrawala which was recorded in the name of forest department as reserved forest land and thus the reserved forest land is being misappropriated and being diverted for non-forest and commercial purposes which is against the very scheme of Forest Conservation Act, 1980.

2. That Respondent No.12 is operating a commercial establishment named The Jai Bagh Palace upon the land of Khasra No's 20/732, 30/1, 32/1, 321679, 33, 33/685, 34, 34/686, 351687, 41/688, 42/689, 47/690 and 48/691 of Village Kachrawala, Tehsil Amer, District Jaipur and some part of commercial establishment is situated upon reserved forest land of Khasra No. 20/732 of Village Kachrawala and rest of land of impugned commercial establishment is revenue land, however same is integral part of Eco Sensitive Zone of Nahargarh Wildlife Sanctuary and Village Kachrawala has been mentioned in list of Villages falling within the periphery of Eco Sensitive Zone of Nahargarh Wildlife Sanctuary and thus the commercial establishment of Respondent No.14 is also integral part of Eco Sensitive Zone of Nahargarh Wildlife Sanctuary and that Khasra No.20/732 of Village Kachrawala is recently recorded in the name of Jaipur Development Authority as Gair Mumkin Naala and the catchment and drift area of said waterresource is being diverted for commercial purposes. It is settled position of law that land recorded in the name of any water resource cannot be diverted for any other purposes and some part of commercial establishment of Respondent No.12 is situated upon said land recorded as Gair Mumkin Naala and thus same amounts to encroachment upon the catchment and drift area of natural water resource and even otherwise the nature of land situated in Khasra No.20/732 is reserved forest as said land has been originated from Old Khasra No.2 of Village Kachrawala which was recorded in the name of Forest Department being the part of Vankhand Amer-54 and thus any commercial and non-forest activity upon reserved forest land is violation of Section 2 of Forest Conservation Act, 1980.

6. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue, in present

application, from a Joint Committee consisting of:

(i) One representative from the Addl. Chief Secretary, Forest & Wildlife, Government of Rajasthan (Rajasthan)

(ii) One representative from the Principal Chief Conservator of Forest, (Rajasthan)

(iii) One representative from the Regional Director, Central Ground Water Board, Jaipur (Western Region) (Rajasthan)

(iv) One representative from the Member Secretary, State Pollution Control Board, Jaipur (Rajasthan)

7. The Committee is directed to visit the site and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.

Field Visit

The State Board being Nodal Agency in this matter, sought the nominations from departments involved in the committee constituted by Hon'ble NGT and following officials were nominated:

(i) Sh. Vankdoth Ketan Kumar, Deputy Conservator of Forests, Jaipur.

(ii) Sh. Vijay Pal Singh, Deputy Conservator of Forests, (WL), Zoo, Jaipur.

(iii) Smt. Pooja, Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur (North)

(iv) Sh. Shashank P Singh, Sc-C, Central Ground Water Board, Western Region, Jaipur.

Copy of the nominations are enclosed and collectively marked as **Annexure-1**. The committee decided to visit the site on 20.11.2025 for the purpose of taking ground observations and analysis of official records of the Commercial Establishment. It is pertinent to mention that the petitioner was also contacted telephonically to be present during the visit but he did not show up.

Observations

Following is the factual observation of the site visit:

(i) The unit named as M/s Hotel Jai Bagh Palace (The Bayan Group of Hotels & Resorts) is a Hotel with 142 rooms and is engaged in operation

of a 63 room Hotel at Khasra No. 33, 34, 34/686, 35/687, 41/688, 42/689, 47/690 & 48/691, Village- Kachrawala, Kukas, Tehsil- Amber, District- Jaipur.

(ii) The hotel is operational with 63 rooms and remaining 79 rooms are not in use. In 79 rooms, work of finishing was going on.

(iii) As per the categorization of the State Board, Hotels (3 Star & Above) and/or Hotels having 100 rooms and above are covered under Red Category. The unit had submitted applications dated 25.10.2018 and 31.10.2018 for Consent to operate and Consent to Establish respectively under the provisions of the Water Act, 1974 and the Air Act, 1981, which were granted vide State Board's letter dated 10.07.2019 for hotel activity for 63 rooms. The unit has further obtained Consent to Establish under the provisions of the Water Act, 1974 and the Air Act, 1981 dated 31.10.2025, valid till 31.08.2030 for Hotel activity for 79 rooms. Copy of the Consent to Establish and Consent to Operate dated 10.07.2019 and Consent to establish dated 31.10.2025 are enclosed and collectively marked as **Annexure- 2**.

(iv) During the joint committee visit, two borewells were observed in the premises of the unit. At the first borewell, a flow meter was installed and a physical logbook of groundwater abstraction was found to be maintained. The second borewell, located near the entrance, was found to be non-operational, with no pump installed and no electrical connection in its vicinity. Upon directions of the Committee, the unit sealed the second borewell by welding and submitted geotagged photographs in support of the same.

The unit has submitted a self-exemption certificate issued by the Central Ground Water Authority (CGWA) for abstraction of 09.00 KLD of groundwater (below 10 KLD) from two borewells (1 existing and 1 proposed). However, during inspection, groundwater consumption, as

per logbook entries and the flow meter reading at the time of inspection, was observed to be 99 KLD in a single day.

The unit informed that groundwater is used only for drinking purposes and the remaining water requirement is met through tanker supply. It has further been informed that during hotel events, the water demand is met by the event organizers. A copy of the CGWA self-exemption certificate is enclosed as **Annexure-3**.

(v) The total built up area of the unit is less than 20,000 Square Meter (As per the submission made by the unit, total Built area of the unit is 16538 Square Meter comprising of approved map and architect certified map. As per the approved map built up area is 7038 Square Meter and as per architect certified map built up area is 9500 Square Meter). Therefore, unit does not require to obtain Environmental Clearance under the provisions of the EIA Notification dated 14.09.2006. Copy of approved Map for built up area 7038 Square Meter and architect certified map for built up area 9500 Square Meter are enclosed and marked as **Annexure- 4.**

(vi) With reference to the location of the project, It was reported by the representative of Forest Department that unit's premises falls outside the forest boundaries and falls within the Eco Sensitive Zone of Nahargarh Wildlife Sanctuary notified on 08.03.2019.

(vii) As per the land allotment order issued from Jaipur Development Authority (JDA), land was allotted to the unit on 02.03.2015 (for khasra 33, 34/686) and on 04.09.2010 (for khasra no. 34, 35, 41, 42, 47 & 48) of village Kachrawala for commercial purpose (resort activity). Copy of JDA land allotment orders are attached and marked as **Annexure- 5**.

(viii) That Zonal Master Plan of the Nahargarh Wild Life Sanctuary, referred above has been approved by the State Government which inter-alia says as under:-

"10.4Existing Activity/Use

ESZ Notification dated 08-03-2019 prescribed regulations regarding new hotel, resort, commercial establishments, etc. This leads to the requirement of defining what is "existing."

For purpose of ZMP for the ESZ, hotels, resorts, commercial establishments, etc. shall be considered as existing if they have any of the following issued prior to 08.03.2019 ESZ Notification of Nahargarh:

1. Electricity connection for non-agricultural use.

2. Approval by Tourism Department as tourism unit.

3.Conversion order/Patta for non-agricultural use.

4. Building Plan approval.

5. Order regarding change in landuse.

6. Proof of deposition of tax as hotel, resort, commercial establishment, etc.

7. CTE/CTO/Environmental Clearance."

(ix) Further, as per the circular dated 26.09.2023 issued from Forest, Environment & Climate Change Department, Govt. of Rajasthan regarding clarification of Hotels, resorts etc. it has been clarified that projects having any 07 listed documents (as mentioned above) prior to issue of Notification of Eco Sensitive Zone 08.03.2019 would be considered as existing. Copy of the circular enclosed and marked as **Annexure-6.**

(x) The unit under question is having 01 documents from the above list i.e. *Conversion order/Patta for non-agricultural use w*hich confirms that the establishment was in existence prior to issuance of the Notification dated 08.03.2019. The documents are attached and collectively marked as **Annexure-7.**

(xi) As per the notification and Zonal Master Plan, the hotel activity is covered under regulated activities.

(xii) The occupancy during visit of the joint committee on 20.11.2025 was of total 59 persons only (Guest-10 people and staff-49 people). Unit is

having Sewage Treatment Plant (STP) for treatment of waste water generated from the unit. No discharge of treated or untreated waste water was observed within or outside the premises during visit. Treated waste water is being utilized for plantation within premises. Copy of occupancy report enclosed and marked as **Annexure- 8**.

(xiii) The unit has also submitted completion certificate issued by Architect dated 15.08.2017 mentioning that the structure of total nos. of 142 rooms with total Built up Area of 10560.72 Square Meter is completed. Copy of completion certificate enclosed and marked as **Annexure- 9**.

(xiv) It is also noteworthy that, the work related to defining the boundary of Nahargarh Wildlife Sanctuary is under review by the State Forest Department as the matter is sub judicial in **E.A. No. 06/2024 in O.A. No. 97/2022, Kamal Tiwari V/s Union of India & Ors pending before Hon'ble NGT, CENTRAL ZONAL BENCH, BHOPAL.**

In this regard, as per the representative of Forest Department, meetings were convened under the chairmanship of Principal Chief Conservator of Forests and Chief Wild Life Warden, Rajasthan, Jaipur on 07.01.2025, 21.01.2025, 26.03.2025 and 27.06.2025.

As per the minutes, the exercise for identification and demarcation of the sanctuary boundary has been completed by the Forest Department and digital map has been finalized in accordance with the SOP and the original Notification dated 22.09.1980. The finalized map and digital map has been submitted by the Forest Department, GoR before Hon'ble NGT after due approval from the Hon'ble Forest Minister, GoR on 18.07.2025.

Hon'ble High Court of Rajasthan in the matter of D.B. Civil Writ Petition (PIL) No. 14254/2025 (Nahargarh Van Evam Vanya Jeev Suraksha Evam Seva Samiti Vs Union of India & Ors.) passed an order dated 19.09.2025 which inter-alia say as under:

"It is directed that in the meanwhile, no change in the boundaries of the existing Nahargarh Wildlife Sanctuary which would include the Eco Sensitive Zone and the described area, shall be made"

(Copy of the Minutes of Meeting dated 07.01.2025, 21.01.2025; 26.03.2025 and 27.06.2025 are enclosed and marked as **Annexure- 10** and copy of Hon'ble High Court order dated 19.09.2025 is enclosed and marked as **Annexure- 11)**

Conclusion

(I) The unit is being operated outside Forest Area and within ESZ of the sanctuary.

(II) The Hotel was preexisting before the issuance of notification dated 08.03.2019.

(III) The unit is operational after obtaining valid consent to operate from the State Board under the provisions of the Water Act, 1974 and the Air Act, 1981 for the hotel activity for 63 rooms.

(IV) The unit does not require to obtain Environmental Clearance under the provisions of the EIA Notification dated 14.09.2006.

(V) The unit has obtained a self-exemption certificate from the Central Ground Water Authority (CGWA). However, groundwater consumption of 99 KLD in a single day was observed, which is much higher than the permissible limit under the self-exemption category. Accordingly, action shall be taken as per the extant MoJS Guidelines notified on 24.09.2020 and its subsequent amendment dated 29-03-2023.

Enclosures :

(i) Letter dated 10.10.2025 from ACS (Environment) nomination DCF (WL), Zoo, Jaipur, Letter dated 15.10.2025 issued from PCCF, Forest Department nominating DCF, Jaipur, Letter dated 25.09.2025 issued from CGWA nominating Scientist-C, CGWB, Western Region, Jaipur, and office order

dated 19.09.2025 issued from RSPCB appointing RO, Jaipur (North) as OIC in the case **(Annexure-1)**.

(ii) Copy of the Consent to establish and consent to operate dated 10.07.2019 and Consent to establish dated 31.10.2025 **(Annexure-2).**

(iii) Copy of CGWA self-exemption certificate **(Annexure-3).**

(iv) Copy of approved map and architect certified map for total Built up Area **(Annexure-4).**

(v) Copy of JDA land allotment order dated 02.03.2015 and 04.09.2010 (**Annexure-5**).

(vi) Circular dated 26.09.2023 **(Annexure - 6)**.

(vii) Documents issued prior to 08.03.2019 **(Annexure - 7)**.

(viii) Copy of occupancy report **(Annexure-8).**

(ix) Copy of completion certificate dated 15.08.2017 (**Annexure - 9**)

(x) Copy of the Minutes of Meeting dated 07.01.2025, 21.01.2025, 26.03.2025 and 27.06.2025 **(Annexure - 10)**

(xi) Copy of Hon'ble High Court order dated 19.09.2025 **(Annexure - 11)**.

(xii) Photographs taken during the field visit **(Annexure -12)**.

(Shashank Pratap Singh)	(Pooja)	(Vijay Pal Singh)	(Vankdoth Ketan Kumar)
Scientist-C, CGWB, Western Region, Jaipur	Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur (North)	Deputy Conservator of Forests, Wild Life (Zoo), Jaipur.	Deputy Conservator of Forests, Jaipur.

Annexure-1

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प016(2)वन/2025–08846 जयपुर, दिनांक:

सदस्य सचिव,
राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड,
जयपुर राज0।

विषयः– Nomination of Member as well as Nodal Officer to Joint Committee in compliance with the Order dated 25.08.2025 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Central Zone Bench, Bhopal in O.A. No. 114/2025, 115/2025 and 116/2025 (CZ) namely Rajendra TiwariVs Union of India & Ors. के संबंध में।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक प0 10(784) RPCB/Legal/NGT/2025/945-48, 10(785) RPCB/Legal/NGT/2025/953-56 and 10(786) RPCB/Legal /NGT/2025/949-52 dated 19.09.2025

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रो के क्रम में लेख है कि माननीय हरित अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.08.2025 की अनुपालना में गठित संयुक्त समिति में अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन महोदय की ओर से उप वन संरक्षक (वन्यजीव) चिडियाघर जयपुर को प्रतिनिधि के रूप मे नामित किया गया है। जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र सं.	नाम	पदनाम	दुरभाष	ईमेल
1.	श्री विजयपाल सिंह	उप वन संरक्षक (वन्यजीव) चिडियाघर जयपुर	9782062885 141–2617319	dcfwl.zoo.forest@rajasthan.gov.in

भवदीय,

(बीजो जॉय)
विशिष्ट शासन सचिव

Document certified by BIJO JOY <Joybijo@gmail.com>
Digitally Signed by Bijo Joy
Designation: Special Secretary To Government
Date :10-10-2025 04:31:26

RajKaj Ref No.: 18269577
eSign DSC

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान

अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
फोन नम्बर: 0141–2700151 ई–मेल: pccf.cwlw.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक:एफ.8(48)2025/ई–3900–8300101/विधि/मुवजीप्र दिनांक:

निमित्त,

उप वन संरक्षक,
जयपुर

उप वन संरक्षक क्रमांक 5470 दिनांक 17.10.25 जयपुर

विषय:– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेंट्रल ज़ोन बेंच, भोपाल में लंबित मूल प्रार्थना–पत्र संख्या 114/2025 (cz) राजेन्द्र तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स।

संदर्भ :– .सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जयपुर के पत्र क्रमांक 17860540 दिनांक 18.09.2025 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 17985139 दिनांक 05.10.2025 एवं उप वन संरक्षक (वन्यजीव), चिड़ियाघर, जयपुर का पत्र क्रमांक 18121886 दिनांक 05.10.2025

महोदय,

विधि (5) 17/10/25

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल द्वारा मूल प्रार्थना–पत्र संख्या 114/2025 (cz) राजेन्द्र तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 25.08.2025 के बिंदु संख्या 6 में समिति का गठन किया गया है।

प्रकरण आपके वन मंडल से सम्बन्धित होने के कारण इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 17985139 दिनांक 05.10.2025 में आंशिक संशोधन करते हुए उप वन संरक्षक (वन्यजीव), चिड़ियाघर, जयपुर के स्थान पर आपको प्रतिनिधि मनोनीत किया जाता है। अतः विभागीय हित में आवश्यक कार्यवाही कराते हुए प्रगति से इस कार्यालय अवगत करावें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

भवदीया,

(शिखा मेहरा)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान

क्रमांक:एफ.8(48)2025/ई–3900–8300101/विधि/मुवजीप्र दिनांक:

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, जयपुर।
2. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (श्रम एवं विधि), राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने का कष्ट करावें।
3. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जयपुर।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान

14/10

Document certified by Shikha Mehra <shikhamehraifs@gmail.com>.
Digitally Signed by Shikha Mehra
Designation : Principal Chief Conservator Of Forest
Date :14-10-2025 06:11:53

RajKaj Ref No.: 18287774
eSign DSC

Scanned with OKEN Scanner

No. TS/01/AAP-2025-26/CGWB/WR/25-920.

भारत सरकार /Govt. of India
जल शक्ति मंत्रालय /Ministry of Jal Shakti
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग /
Ministry of Water Resources, RD & GR
केंद्रीय भूमि जल बोर्ड/ Central Ground Water Board
पश्चिमि क्षेत्र, जयपुर / Western Region, Jaipur

6-A, झालना डूंगरी, जयपुर (राज)/
6-A, Jhalana Doongri, Jaipur-302004 (Raj)
Tel: 0141-2706338, Fax: 2706991
Email: rdwr-cgwb@nic.in, tswr-cgwb@nic.in

दिनांक:25.09.2025

कार्यालय आदेश संख्या : 44- 2025-26

श्री शशांक प्रताप सिंह, वैज्ञानिक-सी (Mob. No. 7838883347) को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, मध्य क्षेत्र, पीठ भोपाल द्वारा दिनांक 25.8.2025 के आदेश द्वारा राजेन्द्र तिवारी बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में गठित संयुक्त समिति के केंद्रीय भूजल बोर्ड, पश्चिमी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य एवं नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है। /Sh. Shashank Pratap Singh, Scientist-C (Hg.) (Nob. No. 7838883347) is hereby nominated for the Member as well as Nodal Officer representing Central Ground Water Board, Western Region, of the Joint Committee constituted by the Hon'ble National Green Tribunal, Central Zone, Bench Bhopal, vide its order date 25.8.2025 in the matter of O.A. No. 114/2025 (CZ) namely Rajendra TiwariVs Union of India & Ors.

आपको निर्देश दिया जाते है की आप सभी संबंधित पक्षों से समन्वय कर, माननीय अधिकरण के निर्देशों के अनुसार अपेक्षित रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करेंगे। आपके संदर्भ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अधिकरण के दिनांक 25.08.2025 के आदेश की एक प्रति संलग्न है।/It is directed to coordinate with all concerned and ensure timely submission of the requisite report in accordance with the directions of the Hon'ble Tribunal. A copy of the Tribunal's order dated 25.08.2025 is enclosed herewith for your reference and necessary action

के पी सिंह
25/9/25

(के . पी. सिंह /K.P.Singh)
वैज्ञानिक-डी(जीपी) एवं कार्यालय प्रमुख/
Scientist-D & Head of Office

प्रति,

1. श्री शशांक प्रताप सिंह, वैज्ञानिक-सी (एचजी), केंद्रीय भूजल बोर्ड, पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर।/Sh.Shashank Pratap Singh, Scientist-C (Hg.), Central Ground Water Board, Western Region, Jaipur.

जानकारी हेतु प्रतिलिपि/ Copy for information to:

1. सदस्य, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली।/ The Member, Central Ground Water Authority, Govt. of India, New Delhi.
2. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झालना डूंगरी, जयपुर।/ The Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, Jahalan Doongri, Jaipur.
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं वन्यजीव, राजस्थान सरकार, जयपुर।/ The Additional Chief Secretary, Forest & Wildlife, Government of Rajasthan Jaipur.
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन एवं वन्यजीव, अरण्य भवन, जयपुर।/ The Principal Chief Conservator of Forest, Forest & Wildlife, Aranya Bhawan, Jaipur.
5. प्रभारी अधिकारी, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, केंद्रीय भूजल बोर्ड, पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर। The OIC, CGWA,, Central Ground Water Board, Western Region, Jaipur

Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, JhalanaDoongri, Jaipur-302004
Phone :0141- 2716804, 2716800 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in
Helpline No.: 0141-2716877

No. F.10 (784) RPCB/Legal/NGT/2025/ 945-948 Date: 19-09-2025

Regional Officer,
Rajasthan State Pollution Control Board,
Jaipur (North).
Mobile No.: 7073581777
Email: rorpcb.jaipur[at]gmail[dot]com

Subject:- Nomination of Member as well as Nodal Officer to Joint Committee in compliance with the Order dated 25.08.2025 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Central Zone Bench, Bhopal in O.A. No. 114/2025 (CZ) namely Rajendra TiwariVs Union of India & Ors..

Madam,

This is with reference to the subject cited above. The Hon'ble National Green Tribunal, Central Zone Bench, Bhopal, vide its order dated 25.08.2025 in Original Application No. 114/2025 (CZ), has constituted a Joint Committee and directed as follows:

> ***6. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue, in present application, from a Joint Committee consisting of:-***
>
> ***i. One representative from the Addl. Chief Secretary, Forest& Wildlife, Government of Rajasthan (Rajasthan)***
>
> ***ii. One Representative from the Principal Chief Conservator of Forest, (Rajasthan)***
>
> ***iii. One representative from the Regional Director, CentralGround Water Board, Jaipur (Western Region) (Rajasthan)***
>
> ***iv. One representative from the Member Secretary, StatePollution Control Board, Jaipur (Rajasthan)***
>
> ***7. The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.***

In compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal, you are hereby appointed as the member as well as Nodal Officer representing the Rajasthan State Pollution Control Board in the aforesaid Joint Committee. You are directed to coordinate with all concerned and ensure timely submission of the requisite report in accordance with the directions of the Hon'ble Tribunal.

A copy of the Tribunal's order dated 25.08.2025 is enclosed herewith for your reference and necessary action.

Enclosed-As above

(Sharda Pratap Singh)
Member Secretary

Copy to the following for information / necessary action:
1. Additional Chief Secretary, Forest & Wildlife, Government of Rajasthan, Jaipur
2. Principal Chief Conservator of Forest, Forest & Wildlife, Aranya Bhawan, Jaipur
3. Regional Director, Western Region, Central Ground Water Board, Jhalana Doongri, Jaipur

Signature Not Verified
Digitally signed by Sharda Pratap Singh
Designation : Member Secretary
Date: 2025.09.18 19:39:27 IST
Reason: Approved

Member Secretary

RajKaj Ref No.: 17860540

Regional Office Jaipur

Rajasthan State Pollution Control Board

Opp. Road No 5, VKIA, Sikar Road, Jaipur

Phone: 0141-2332263

Registered

File No : F(Tech)/JAIPUR(Amber)/6374(1)/2019-2020/487-488

Order No : 2019-2020/Jaipur/8337 **Dispatch Date:** 10/07/2019

Unit Id : 87629

M/s M/s The Jai Bagh Palace (The Bayan Group of Hotels & Resorts)(Old Name M/s Trulyy Ind

Khasra No 33,34,34/686, 35/687, 41/688, 42/689,
47/690, and 48/691, Vill-Kacherewala, Kukas , Jaipur
Tehsil:Amber
District:JAIPUR

Sub: **Consent to Establish** under section 25/26 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under section 21(4) of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.

Ref: Your application(s) for Consent to Establish dated 31/10/2018 and subsequent correspondence.

Sir,

Consent to Establish under the provisions of section 25/26 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 (hereinafter to be referred as the Water Act) and under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, (hereinafter to be referred as the Air Act) as amended to date and rules & the orders issued thereunder ,**is hereby granted** for your **Hotel Jaibagh Palace plant** situated / proposed at **K N 33,34,34/686,35/687,41/688,42/689,47/690, 48/691 Village kacherewala Kukus Tehsil:Amber District:JAIPUR** , Rajasthan under the provisions of the said Act(s). This consent is granted on the basis of examination of the information furnished by you in consent application(s) and the documents submitted therewith, subject to the following conditions:-

1 That this Consent to Establish is valid for a period from **31/10/2018** to **30/09/2023 or date of Commencement of production / commissioning of the project or activities whichever is earlier .**

2 That this Consent is granted for manufacturing / producing following products / by products or carrying out the following activities or operation/processes or providing following services with capacities given below.

Particular	Type	Quantity / Capacity
HOTEL ACTIVITIES	Activity	63.00 DOUBLE BEDDED ROOMS
RESTAURANT	Activity	100.00 SEATS

Signature valid

Digitally signed by M[illegible]esh Chandra Sharma
Date: 2019.07[illegible]:07:24 IST
Reason: SelfAttested
Location:

Regional Office Jaipur

Rajasthan State Pollution Control Board

Opp. Road No 5, VKIA, Sikar Road, Jaipur

Phone: 0141-2332263

Registered

File No : F(Tech)/JAIPUR(Amber)/6374(1)/2019-2020/487-488

Order No : 2019-2020/Jaipur/8337 **Dispatch Date:** 10/07/2019

Unit Id : 87629

3 That in case of any increase in capacity or addition / modification / alteration or change in product mix or process or raw material or fuel the project proponent is required to obtain fresh consent to establish.

4 That the control equipment as proposed by the applicant shall be installed before trial operation is started for which prior consent to operate under the provision of the **Water Act and Air Act** shall be obtained. This consent to establish shall not be treated as consent to operate.

5 That the quantity of effluent generation and disposal along with mode of disposal for the treated effluent shall be as under:

Type of effluent	Max. effluent generation (KLD)	Quantity of effluent to be recycled (KLD)	Quantity of treated effluent to be disposed (KLD) and mode of disposal
Domestic Sewage	26.140	NIL	26.140 STP and Gardening/Plantation

6 That the sources of air emmissions along with pollution control measures and the emission standards for the prescribed parameters shall be as under:

Sources of Air Emmissions	Pollution Control Measures	Prescribed	
		Parameter	Standard
D.G. Set(160KVA)	ACOUSTIC ENCLOSURE , Stack	--	--
D.G. Set(250KVA)	ACOUSTIC ENCLOSURE , Stack	--	--

7 That the domestic sewage shall be treated before disposal so as to conform to the standards prescribed by the Board as notified under the Environment (Protection) Act-1986 for disposal **Into Inland Surface Water**. The main parameters for regular monitoring shall be as under.

Signature valid

Digitally signed by M[illegible]esh Chandra Sharma
Date: 2019.07[illegible]:07:24 IST
Reason: SelfAttested
Location:

Regional Office Jaipur

Rajasthan State Pollution Control Board

Opp. Road No 5, VKIA, Sikar Road, Jaipur

Phone: 0141-2332263

Registered

File No : F(Tech)/JAIPUR(Amber)/6374(1)/2019-2020/487-488

Order No : 2019-2020/Jaipur/8337 Dispatch Date: 10/07/2019

Unit Id : 87629

Parameters	Standards
pH Value	Between 5.5 to 9.0
Phosphate	Not to exceed 5 mg/l
Oil and Grease	Not to exceed 20 mg/l
Total Suspended Solids	Not to exceed 600 mg/l
Biochemical Oxygen Demand (3 days at 27°C)	Not to exceed 350 mg/l

8 That the hotel shall obtain all necessary permission from concern authorities i.e.District Administration Jaipur, Nagar Nigam & Jaipur Development Authority for establish of hotel.

9 This consent is not evidence for ascertaining entitlement of land.

10 That the hotel shall require proper treatment and disposal and installation of adequate pollution control measures in accordance with the provisions of the Water Act and the Air Act for the discharge of waste water, solid waste and emissions of air pollutants arising from hosting lunch/dinner on the occasion of marriage parties, birthday parties and other similar functions in the premises of your hotel.

11 That water flow meters shall be provided at all suitable points to measure quantity of daily water consumption, waste water eneration. Daily record of the same shall be maintained and to be submitted to the Board.

12 Unit shall install adequately designed rain water harvesting structure for prevention and recharge of ground water in and around the area.

13 That the hotel shall maintain the Oil & Grease trap in good condition, so that oil & grease coming with waste water from kitchen /laundry will retained in the trap.

14 That unit shall carryout plantation within the premises in at least 33% of the total plot area.

15 That unit shall have to achieve prescribed standards as per EP Act, 1986 and shall maintain requisite Pollution Control Measures to achieve prescribed standards all the time.

16 That if the project cost exceed Rs.1260 Lacs, the unit shall take/obtain modification in consent to Operate after paying fee as applicable.

17 That this consent to establish shall be subject to compliance of any direction or order passed by court of law in the matter.

Signature valid

Digitally signed by M[illegible]esh Chandra Sharma
Date: 2019.07[illegible]:07:24 IST
Reason: SelfAttested
Location:

Regional Office Jaipur

Rajasthan State Pollution Control Board

Opp. Road No 5, VKIA, Sikar Road, Jaipur

Phone: 0141-2332263

Registered

File No : F(Tech)/JAIPUR(Amber)/6374(1)/2019-2020/487-488

Order No : 2019-2020/Jaipur/8337 **Dispatch Date:** 10/07/2019

Unit Id : 87629

18 **That unit shall intimate the State Board before applying for any "Star Category" certificate.**

19 **That the solid waste generated from the Hotel Services should be properly collected, segregated and disposed as per the provisions of Municipal Solid Waste (Management & Handling) Rules, 2000.**

20 That, not withstanding anything provided hereinabove, the State Board shall have power and reserves its right, as contained **under section 27(2) of the Water Act and under section 21(6) of the Air Act** to review anyone or all the conditions imposed here in above and to make such variation as it deemed fit for the purpose of compliance of the **Water Act and Air Act**.

21 That the grant of this **Consent to Establish** is issued from the environmental angle only, and does not absolve the project proponent from the other statutory obligations prescribed under any other law or any other instrument in force. The sole and complete responsibility, to comply with the conditions laid down in all other laws for the time-being in force, rests with the industry/ unit/ project proponent.

22 That the grant of this **Consent to Establish** shall not, in any way, adversely affect or jeopardize the legal proceedings, if any, instituted in the past or that could be instituted against you by the State Board for violation of the provisions of the Act or the Rules made thereunder.

This **Consent to Establish** shall also be subject, beside the aforesaid specific conditions, to the general conditions given in the enclosed Annexure. The project proponent will comply with the provisions of the **Water Act and Air Act** and to such other conditions as may, from time to time, be specified by the State Board under the provisions of the aforesaid Act(s). Please note that, non compliance of any of the above stated conditions would tantamount to revocation of **Consent to Establish** and project proponent / occupier shall be liable for legal action under the the relevant provisions of the said Act(s).

Yours Sincerely

Regional Officer[Jaipur]

Signature valid

Digitally signed by M[illegible]esh Chandra Sharma
Date: 2019.07[illegible]:07:24 IST
Reason: SelfAttested
Location:

Regional Office Jaipur

Rajasthan State Pollution Control Board

Opp. Road No 5, VKIA, Sikar Road, Jaipur

Phone: 0141-2332263

Registered

File No : F(Tech)/JAIPUR(Amber)/6374(1)/2019-2020/487-488

Order No : 2019-2020/Jaipur/8337

Dispatch Date: 10/07/2019

Unit Id : 87629

Copy To:-

1 Master File.

Regional Officer[Jaipur]

Signature valid

Digitally signed by Mukesh Chandra Sharma
Date: 2019.07.10 16:07:24 IST
Reason: SelfAttested
Location:

Regional Office Jaipur
Rajasthan State Pollution Control Board
Opp. Road No 5, VKIA, Sikar Road, Jaipur
Phone: 0141-2332263

Registered

File No : **F(Tech)/JAIPUR(Amber)/6374(1)/2019-2020/489-490**
Order No : **2019-2020/Jaipur/8338** **Date:** **10/07/2019**
Unit Id : 87629

M/s M/s The Jai Bagh Palace (The Bayan Group of Hotels & Resorts)(Old Name M/

Khasra No 33,34,34/686, 35/687, 41/688, 42/689, 47/690, and 48/691, Vill-Kacherewala, Kukas , Jaipur Tehsil:Amber District:JAIPUR

Sub: **Consent to Operate** under section 25/26 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under section 21(4) of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.

Ref: Your application for Consent to Operate dated 25/10/2018 and subsequent correspondence.

Sir,

Consent to Operate under the provisions of section 25/26 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 (hereinafter to be referred as the Water Act) and under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, (hereinafter to be referred as the Air Act) as amended to date and rules & the orders issued thereunder **is hereby granted** for your **Hotel Jaibagh Palace plant** situated at **K N 33,34,34/686,35/687,41/688,42/689,47/690, 48/691 Village kacherewala Kukus Tehsil:Amber District:JAIPUR** , Rajasthan, subject to the following conditions:-

1 That this Consent to Operate is valid for a period from **31/10/2018** to **30/09/2028** .

2 That this Consent is granted for manufacturing / producing following products / by products or carrying out the following activities or operation/processes or providing following services with capacities given below.

Particular	Type	Quantity with Unit
HOTEL ACTIVITIES	Activity	63.00 DOUBLE BEDDED ROOMS
RESTAURANT	Activity	100.00 SEATS

3 That this consent to operate is for existing plant, process & capacity and separate consent to establish/operate is required to be taken for any addition / modification / alteration in process or change in capacity or change in fuel.

4 That the quantity of effluent generation along with mode of disposal for the treated effluent shall be as under:

Signature valid
Digitally signed by M[illegible]esh Chandra Sharma
Date: 2019.07[illegible]:07:56 IST
Reason: SelfAttested
Location:

Regional Office Jaipur

Rajasthan State Pollution Control Board

Opp. Road No 5, VKIA, Sikar Road, Jaipur

Phone: 0141-2332263

Registered

File No : F(Tech)/JAIPUR(Amber)/6374(1)/2019-2020/489-490

Order No : 2019-2020/Jaipur/8338 **Date:** 10/07/2019

Unit Id : 87629

Type of effluent	Max. effluent generation (KLD)	Recycled Qty of Effluent (KLD)	Disposed Qty of effluent (KLD)and mode of disposal
Domestic Sewage	26.140	NIL	26.140 STP and Gardening/Plantation

5 That the sources of air emmissions along with pollution control measures and the emission standards for the prescribed parameters shall be as under:

Sources of Air Emmissions	Pollution Control Measures	Prescribed	
		Parameter	Standard
D.G. Set(160KVA)	ACOUSTIC ENCLOSURE , Stack	--	--
D.G. Set(250KVA)	ACOUSTIC ENCLOSURE , Stack	--	--

6 That the domestic sewage shall be treated before disposal so as to conform to the standards prescribed under the Environvent (Protection) Act-1986for disposal **Into Inland Surface Water**. The main parameters for regular monitoring shall be as under.

Parameters	Standards
pH Value	**Between 5.5 to 9.0**
Phosphate	**Not to exceed 5 mg/l**
Oil and Grease	**Not to exceed 20 mg/l**
Total Suspended Solids	**Not to exceed 600 mg/l**
Biochemical Oxygen Demand (3 days at 27°C)	**Not to exceed 350 mg/l**

Signature valid

Digitally signed by M esh Chandra Sharma
Date: 2019.07 :07:56 IST
Reason: SelfAtte ted
Location:

Regional Office Jaipur
Rajasthan State Pollution Control Board
Opp. Road No 5, VKIA, Sikar Road, Jaipur
Phone: 0141-2332263

Registered

File No : F(Tech)/JAIPUR(Amber)/6374(1)/2019-2020/489-490
Order No : 2019-2020/Jaipur/8338 **Date:** 10/07/2019
Unit Id : 87629

7 **That the hotel shall obtain all necessary permission from concern authorities i.e.District Administration Jaipur, Nagar Nigam & Jaipur Development Authority to operate of hotel.**

8 **This consent is not evidence for ascertaining entitlement of land.**

9 **That the hotel shall require proper treatment and disposal and installation of adequate pollution control measures in accordance with the provisions of the Water Act and the Air Act for the discharge of waste water, solid waste and emissions of air pollutants arising from hosting lunch/dinner on the occasion of marriage parties, birthday parties and other similar functions in the premises of your hotel.**

10 **That water flow meters shall be provided at all suitable points to measure quantity of daily water consumption, waste water eneration. Daily record of the same shall be maintained and to be submitted to the Board.**

11 **Unit shall install adequately designed rain water harvesting structure for prevention and recharge of ground water in and around the area.**

12 **That the hotel shall maintain the Oil & Grease trap in good condition, so that oil & grease coming with waste water from kitchen /laundry will retained in the trap.**

13 **That this consent to operate is valid for hotel with 63 rooms i.e. 126 beds, Restaurant 100 seats only, for any change in capacity of the services, the hotel has to seek fresh consent to establish.**

14 **That unit shall carryout plantation within the premises in at least 33% of the total plot area.**

15 **That if the project cost exceed Rs. 1260 Lacs, the unit shall take/obtain modification in consent to Operate after paying fee as applicable.**

16 **That this consent to operate shall be subject to compliance of any direction or order passed by court of law in the matter.**

17 **That unit shall intimate the State Board before applying for any "Star Category" certificate.**

18 **That the solid waste generated from the Hotel Services should be properly collected, segregated and disposed as per the provisions of Municipal Solid Waste (Management & Handling) Rules, 2000.**

19 That, not withstanding anything provided hereinabove, the State Board shall have power and reserves its right, as contained **under section 27(2) of the Water Act and under section 21(6) of the Air Act** to review anyone or all the conditions imposed here in above and to make such variation as it deemed fit for the purpose of **Air Act & Water Act**.

Signature valid
Digitally signed by Mukesh Chandra Sharma
Date: 2019.07.10 16:07:56 IST
Reason: SelfAttested
Location:

Regional Office Jaipur

Rajasthan State Pollution Control Board

Opp. Road No 5, VKIA, Sikar Road, Jaipur

Phone: 0141-2332263

Registered

File No : F(Tech)/JAIPUR(Amber)/6374(1)/2019-2020/489-490

Order No : 2019-2020/Jaipur/8338 **Date:** 10/07/2019

Unit Id : 87629

20 That the grant of this **Consent to Operate** is issued from the environmental angle only, and does not absolve the project proponent from the other statutory obligations prescribed under any other law or any other instrument in force. The sole and complete responsibility to comply with the conditions laid down in all other laws for the time-being in force, rests with the industry/ unit/ project proponent.

21 That the grant of this **Consent to Operate** shall not, in any way, adversely affect or jeopardize the legal proceeding, if any, instituted in the past or that could be instituted againt you by the State Board for violation of the provisions of the Act or the Rules made thereunder.

This **Consent to Operate** shall also be subject, besides the aforesaid specific conditions, to the general conditions given in the enclosed Annexure. The project proponent will comply with the provisions of the **Water Act and Air Act** and to such other conditions as may, from time to time , be specified, by the State Board under the provisions of the aforesaid Act(s). Please note that, non compliance of any of the above stated conditions would tantamount to revocation of **Consent to Operate** and project proponent / occupier shall be liable for legal action under the relevant provisions of the said Act(s).

Yours Sincerely

Regional Officer[Jaipur]

Copy To:-

1 Master File.

Regional Officer[Jaipur]

Signature valid

Digitally signed by Mukesh Chandra Sharma
Date: 2019.07.10 16:07:56 IST
Reason: SelfAttested
Location:

Head Office(Hotel)

Rajasthan State Pollution Control Board

4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004

Registered

File No :- F(34)(4)/RSPCB/U-00000450/P-49887
Order No. :- 2025-2026/Jaipur (N)/Consent/200815
Unit Id :-U-00000450

Dispatch date :- 31/10/2025

M/s THE JAI BAGH PALACE (A UNIT OF BAYAN GROUP OF HOTELS AND RESORTS PRIVATE LIMITED)
Plant Name / Plant Id :- The Jai Bagh Palace / P-49887
Address :- , Plot/Khasra No. : KH. NO 33, 34, 34/686, 35/687, 41/688, 42/689, 47/690, 48/691, Village/City : VILL-KACHEREWALA, KUKAS, District : Jaipur, Tehsil : Amber, State : Rajasthan
Sub :- Consent to Establish under Section 25/26 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under Section 21(4) of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981

Ref :- Your application for Consent to Establish dated 05/09/2025(A-00000815) and subsequent correspondence.

Sir/Madam,

Consent to Establish under the provisions of Section 25/26 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under Section 21(4) of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981as amended to date and rules & the orders issued thereunder, is hereby granted for your The Jai Bagh Palace plant situated / proposed at , Plot/Khasra No. : KH. NO 33, 34, 34/686, 35/687, 41/688, 42/689, 47/690, 48/691, Village/City : VILL-KACHEREWALA, KUKAS, Tehsil : Amber, District : Jaipur, State : Rajasthan- 302028 under the provisions of the said Act(s). This consent is granted on the basis of examination of the information furnished by you in consent application(s) and the document submitted therewith, subject to the following conditions:-

1. That this Consent to Establish is valid for a period from 05/09/2025 to 31/08/2030.

2. Specific Conditions

1) **That all necessary permission shall be obtained from District administration, Jaipur and Government of Rajasthan related to Hotel at Khasra No. : 33, 34, 34/686, 35/687, 41/688, 42/689, 47/690, 48/691, Village: Kacherewala, Kukas, Tehsil: Amber, District: Jaipur.**

2) **That this Consent to Establish is valid for hotel with 79 double bedded rooms, banquet hall: 125 pax., gym: 20 pax and swimming pool: 1 no. only.**
3) **That this consent is not an evidence for ascertaining entitlement of land.**

4) **That if the project cost in expansion exceeds Rs. 6.82 Cr., the unit shall take/obtain modification in consent after paying fee as applicable.**
5) **That the unit shall obtain Environmental Clearance from competent authority under EIA Notification dated 14.09.2006 for any such activity which attracts Environmental Clearance under the provisions EIA Notification dated 14.09.2006.**
6) **That the total built up area of the project post expansion shall not exceed 16538sq.m.(existing: 7038 sqm+ proposed: 9500 sqm) and for any increase in built up area, unit shall apply for CTE expansion. The unit shall construct the building as per the prevalent building by-laws.**

Digitally signed by Vinod Poonia
Designation: Superintendent Scientific Officer (Supt SO)
Location: Jaipur
Date: 31/10/2025 11:28:17

File No :- F(34)(4)/RSPCB/U-00000450/P-49887
Order No. :- 2025-2026/Jaipur (N)/Consent/200815
Unit Id :-U-00000450

Dispatch date :- 31/10/2025

7) That the fresh water requirement post expansion shall not exceed 55.68 KLD and the fresh water requirement shall be met from borewell/tanker supply/legal source of water supply with all prior permissions from CGWA.
8) That the Sewage Treatment Plant of capacity 100 KLD shall be maintained to treat the waste water after expansion in tune of 53.70 KLD (existing: 26.14 KLD + proposed: 27.56 KLD).
9) That entire STP treated domestic waste water in tune of 53.70 KLD shall be used in plantation/horticulture/landscaping etc. within the premises (reuse in flushing: 11.64 KLD, use in plantation: 36.69 KLD & sludge losses: 5.37 KLD) and no treated/untreated waste water shall be discharged outside the premises in any case.
10) That the Domestic Sewage shall be treated before disposal so as to conform to the standards prescribed under the Environment (Protection) Act-1986 for disposal Into Inland Surface Water. The main parameters for regular monitoring shall be as pH Value: Between 5.5 to 9.0, Oil and Grease: Not to exceed 10 mg/l, Biochemical Oxygen Demand (3days at 27°C): Not to exceed 30 mg/l, Total Suspended Solids: Not to exceed 50 mg/l, Phosphate as P: Not to exceed 1.0 mg/l.
11) That Hotel shall not construct any borewell/abstract groundwater without prior permission of CGWA.
12) That this consent is subjected to the outcome/decision of the Hon'ble NGT OA No. 114/2025 (CZ) in the matter of Rajendra Tiwari Vs. Union of India & Ors.
13) That the Project Proponent must obtain NOC from CGWA within one month from the date of issue of CTE, unless falling in exempted category as per MoJS Guidelines dated 24.09.2020 and amendments dated 29.03.2023 thereto.
14) That Sewage Treatment Plant shall be maintained above the ground (if the hotel in amidst/near water bodies) in order to ensure that leakage/seepage/spillages etc. may not join the surface water or subsoil water.
15) That flow meters on sources/intake of fresh water, waste water generation point and on the inlet and outlet of STP shall be maintained to measure the quantity of daily water consumption and treated waste water utilized.
16) That the logbook for water consumption, waste water generation, treated water utilization, STP operation and chemical consumption shall be maintained and submitted to the officials of the State Board, periodically.
17) That the unit shall maintain separate energy meters at the STP to record the daily energy consumption.
18) That the unit shall provide acoustic enclosure and stack of adequate height with D.G. set of 320 KVA and any additional source of Air/Water pollution shall not be installed without prior Consent to Establish from the State Board.
19) That the unit shall properly channelize the fugitive emissions including emissions from cooking & kitchen operations by providing proper ducting/hood arrangement and proper exhaust system and emissions.
20) That the hotel shall maintain adequate Oil & Grease trap facility in order to retain oil & grease coming with waste water from kitchen in the trap.
21) That all possible efforts shall be made for minimization of use of fresh water and unit shall construct and maintain scientific designed rain water harvesting structure of adequate capacity and nos.
22) That the unit shall maintain dual pipe plumbing, one for supplying fresh water for drinking, cooking and bathing etc and other for supply of treated water for flushing, landscape irrigation, thermal cooling, conditioning etc.

Signed by: Vimal Poswal
Designation: Superintendent Scientific Officer (Sup SO)
Location: Jaipur
Date: 31/10/2025 12:26:12

File No :- F(34)(4)/RSPCB/U-00000450/P-49887
Order No. :- 2025-2026/Jaipur (N)/Consent/200815
Unit Id :-U-00000450

Dispatch date :- 31/10/2025

23) That the unit shall use water saving devices/ fixtures (low flow flushing systems; low flow faucets tap aerators etc) for water conservation.
24) That the solid waste generated from the Hotel Services should be properly collected, segregated and disposed as per the provisions of Municipal Solid Waste (Management & Handling) Rules, 2016.
25) That the unit shall store horticulture waste and garden waste generated from its premises separately and shall not throw, burn or burry the solid waste on streets, open public spaces outside his premises or in the drain or water bodies.
26) That the unit shall ensure segregation of solid waste at source, facilitate collection of segregated waste in separate streams, handover recyclable material to either the authorized waste pickers or the authorized recyclers. The bio-degradable waste shall be processed, treated and disposed off through composting or bio-methanation within the premises as far as possible. The residual waste shall be given to the waste collectors or agency as directed by the local body.
27) That segregated food waste from the solid waste generated in the unit shall be treated in organic waste composter and the treated compost shall be used as manure.
28) That the unit shall obtain necessary permission from National Board for Wildlife (NBWL), if the project falls in ESZ of Notified protected Area and the activity is not covered under permitted activity. The consent is granted under the provisions of Water Act, 1974 and Air Act, 1981 and any other permission/consent w.r.t. Environment Protection Act, 1986 and Forest Conservation Act, 1980, if required, shall have to be obtained by the unit/project proponent. It is further categorically stated that granting Consent to Establish does not imply Forestry and Wildlife clearances for the project. Proposals for above clearances will be evaluated on merit by respective authorities, with decisions made accordingly. Any investment based on granted Consent to Establish, anticipating forestry and wildlife clearance, shall be at the Project Proponent's (PP) sole cost and risk and State Board shall not be responsible in this regard in any manner.

29) That proponent shall obtain the necessary permission from the forest department, or other department/authority in concern if the unit falls/comes under such area/purview or scope of concern of forest, eco sensitive zone, conserved area and within the boundary limits of any national park, sanctuary or other area defined by the forest department, any authorities in concern time to time. The sole responsibility of obtaining the permission from the departments in concerns i.e forest department, Wild Life Board or other departments rests with the project proponent. The project proponent shall ensure the establishment of unit is only after obtaining the permission from the departments in concern (if applicable).

30) That the unit shall comply Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 published by Ministry of Environment and Forests New Delhi, vide Notification no. S.O.123(E) dated 14th February, 2000 and further amendments, if any. Unit shall ensure that the noise level from the unit does not exceed the prescribed noise standard applicable in the region/Zone.

31) That the CPCB guidelines/mechanism for control of pollution and enforcement of Environment Norms at Individual operation and the area/cluster of Restaurants/Hotels/Motels/Banquets etc. prepared in compliance with the Hon'ble NGT order dated 19.09.2019 in the matter of OA no. 400/2017, titled as Western Greens Society Vs Union of India & Ors. shall be strictly complied.

Signed by : Vimal Poswal
Designation: Superintendent Scientific Officer (Supt SO)
Location: Jaipur
Date: 31/10/2025 11:28:17

File No :- F(34)(4)/RSPCB/U-00000450/P-49887
Order No. :- 2025-2026/Jaipur (N)/Consent/200815
Unit Id :-U-00000450

Dispatch date :- 31/10/2025

32) That no Single Use Plastic (SUP) item, which is banned vide Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEF&CC), Government of India, notification dated 12.08.2021 shall be used in the unit's premises.
33) That application of solar energy in various areas such as illumination, water heating should be promoted and use of inverters instead of Diesel Generator Sets shall be encouraged.

34) That the compliance of ambient air quality standards in respect of noise as prescribed under the Environment (Protection) Act and Rules made therein shall be ensured.
35) That the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Trans boundary Movement) Rules, 2016; Solid Waste Management Rules, 2016; Plastic Waste Management Rules 2016; Construction and Demolition Waste Management Rules 2016; Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 and E- Waste Management Rules, 2022, shall be complied.

36) That the unit will comply with the standards as prescribed vide MOEF notification No. GSR 826(E) dated 16th November, 2009 with respect to National Ambient Air Quality Standards.

37) That unit shall ensure that the hazardous waste (used oil etc.), battery waste and e-waste generated in the premises are collected properly and disposed only through authorized recyclers registered with MoEF&CC/CPCB and having valid Consent to Operate from the State Board.
38) That the unit shall apply for Authorization under Hazardous & Other Waste (Management & Trans boundary Movement) Rules, 2016 for any such waste being generated from unit's premises and requires Authorization thereunder.
39) That the plantation of local species in the 33% of total area of the project shall be carried out.
40) That half yearly compliance report of all the above conditions shall be submitted by the Hotel to the State Board.
41) That this Consent shall be subject to compliance of any direction or order passed by Court of Law in the matter.
42) That the RSPCB reserves the right to add new conditions, modify/annul any of the stipulated conditions and/or to revoke the consent if implementation of any of the condition stipulated by RSPCB or any other competent authorities is not satisfactory.
43) That this consent is issued to the unit on the basis of mandatory documents submitted by the applicant, if any discrepancies is found in the document/facts submitted by the unit then the consent shall be treated as revoked without any further notice and the unit shall be liable for action in accordance with provisions of law.
44) That the industry shall ensure necessary steps for effective implementation of Guidelines for ensuring health and safety of employees carrying out Stack Monitoring in industries or other places issued by the State Board vide order dated 09.03.2023.
45) The unit has to mandatorily carry out at least 25% of designated frequency of sampling/monitoring as paid monitoring by the State Board Laboratories.
46) That the unit shall intimate to the State Board before applying any "Star Category" certificate.

Signed by: Vimal Poswal
Designation: Superintendent Scientific Officer (Supt SO)
Location: Jaipur
Date: 31/10/2025 11:28:17

File No :- F(34)(4)/RSPCB/U-00000450/P-49887
Order No. :- 2025-2026/Jaipur (N)/Consent/200815
Unit Id :-U-00000450

Dispatch date :- 31/10/2025

3. That, notwithstanding anything provided hereinabove, the State Board shall have the power and reserves its right, as contained under Section 25/26 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under Section 21(4) of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 to review anyone or all of the conditions imposed here in above and to make such variation as it deems fit for the purpose of compliance of the Water Act And Water Act.

4. That the grant of this Consent to Establish is issued from the environmental angle only, and does not absolve the project proponent from the other statutory obligations prescribed under any other law or any other instrument in force. The sole and complete responsibility, to comply with the conditions laid down in all other laws for the time-being in force, rests with the industry/ unit/ project proponent.

5. That the grant of this Consent to Establish shall not, in any way, adversely affect or jeopardize the legal proceedings, if any, instituted in the past or that could be instituted against you by the State Board for violation of the provisions of the Act or the Rules made thereunder.

This Consent to Establish shall also be subject, besides the aforesaid specific conditions, to the general conditions given in the enclosed Annexure. The project proponent will comply with the provisions of theWater Act And Water Act and to such other conditions as may, from time to time, be specified by the State Board under the provisions of the aforesaid Act(s). Please note that, non compliance of any of the above stated conditions would tantamount to revocation of Consent to Establish and project proponent / occupier shall be liable for legal action under the relevant provisions of the said Act(s).

This bears approval of the competent authority.

Your Sincerely

Head Office(Hotel)

Copy to :-

1. Regional Officer, Regional Office, Rajasthan State Pollution Control Board
2. Master File

Head Office(Hotel)

Signed by: Vimal Poswal
Designation: Superintendent Scientific Officer (Supt SO)
Location: Jaipur
Date: 31/10/2025 11:28:17

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन विभाग,
केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF JAL SHAKTI
DEPARTMENT OF WATER RESOURCES,
RIVER DEVELOPMENT & GANGA REJUVENATION
CENTRAL GROUND WATER AUTHORITY

सत्यमेव जयते

भूजल निकासी हेतु छुट पत्र
EXEMPTION CERTIFICATE FOR GROUND WATER ABSTRACTION

PROJECT NAME **THE JAIBAGH PALACE**		
PROJECT ADDRESS **K NO. 34, 35/687, 41/688, 42/689, 47/690, 48/691**		PIN CODE **303805**
STATE **RAJASTHAN**	DISTRICT **JAIPUR**	TOWN/BLOCK **AMBER**
COMMUNICATION ADDRESS **GRAM KACHARAWALA, THE JAI BAGH PALACE, TEHSIL - AMER, JAIPUR**		
ADDRESS OF CGWB REGIONAL OFFICE **6-A, Jhalana Doongri, Jaipur 302004, Rajasthan.**		
1. EXEMPTED LETTER NO. **EXM/INF/RJ/2025/13811/N**	2. DATE OF ISSUANCE. **29/09/2025**	
3. APPLICATION NO. **INF/RJ/2025/13811**	4. APPLICATION TYPE **Infrastructure**	
5. PROJECT STATUS **Existing Project**	6. VALID FROM **29/09/2025**	
7. AREA TYPE CATEGORY **Over Exploited** (GWRE- 2024)		

8. VALID UP TO **Till adherence to provision(s) under which this exemption has been obtained (subject to compliance to related conditions) or till any further orders issued by this authority, whichever is earlier.**

9. GROUND WATER ABSTRACTION PERMITTED

GW Abstraction		Dewatering		Total	
m^3/day	m^3/year	m^3/day	m^3/year	m^3/day	m^3/year
9.00	2700.00	0.00	0.00	9.00	2700.00

10. Details of Ground Water Abstraction / Dewatering Structures

EXISTING 1					PROPOSED 1					TOTAL 2				
DW	DCB	BW	TW	PU	DW	DCB	BW	TW	PU	DW	DCB	BW	TW	PU
0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0

*DW- Dug Well; DCB-Dug-cum-Bore Well; BW-Bore Well; TW-Tube Well; Pu Pumps;

11. EXEMPTION CATEGORY **Micro and small Enterprises drawing ground water less than 10 cum/day are exempted from seeking NOC**

1. This is to certify that as per information furnished by the applicant, the ground water withdrawal comes under Exemption category as per S.O. 3289(E) dated 24/09/2020 by Department Of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, guidelines to regulate and control ground water extraction in India, 2020.
2. This exemption letter is being issued under relevant provision(s) of extant guidelines.
3. The firm shall install digital water flow meter on all ground water abstraction structures and maintain the logbook.
4. This certificate is system generated and based on information provided by the applicant. CGWA has not verified the claim made by applicant. Any false information furnished/violation by the applicant, shall invite legal action against him/her as per S.O. 3289(E) dated 24/09/2020.
5. If, at any stage, it is established that this exemption letter has been obtained on the basis of false/ fake document(s), the exemption letter shall be deemed cancelled and extant penal provisions shall be applied on the firm

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, भूजल निकासी एस.ओ. के अनुसार छूट श्रेणी के अंतर्गत आती है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा 3289(ई) दिनांक 24/09/2020, भारत में भूजल निष्कर्षण को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए दिशानिर्देश, 2020।
2. यह इग्ज़ेमप्शन (छूट) पत्र वर्तमान दिशानिर्देशों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत जारी किया जा रहा है।
3. फर्म सभी भूजल निष्कर्षण संरचनाओं पर डिजिटल जल प्रवाह मीटर स्थापित करेगी और लॉगबुक बनाए रखेगी।
4. यह प्रमाण पत्र सिस्टम जनरेटेड है और आवेदक द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर आधारित है। CGWA ने आवेदक द्वारा किए गए दावे का सत्यापन नहीं किया है। आवेदक द्वारा दी गई कोई भी गलत सूचना / उत्तेधन, एसओ 3289 (ई) दिनांक 24/09/2020 के अनुसार उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को आमंत्रित करेगा।
5. यदि किसी भी स्तर पर यह स्थापित हो जाता है कि यह इग्ज़ेमप्शन (छूट) पत्र गलत / नकली दस्तावेज़ के आधार पर प्राप्त किया गया है, तो इग्ज़ेमप्शन (छूट) पत्र निरस्त माना जाएगा और फर्म पर मौजूदा दंडात्मक प्रावधान लागू किए जाएंगे।

This is an auto generated document & need not to be signed

Annexure-4

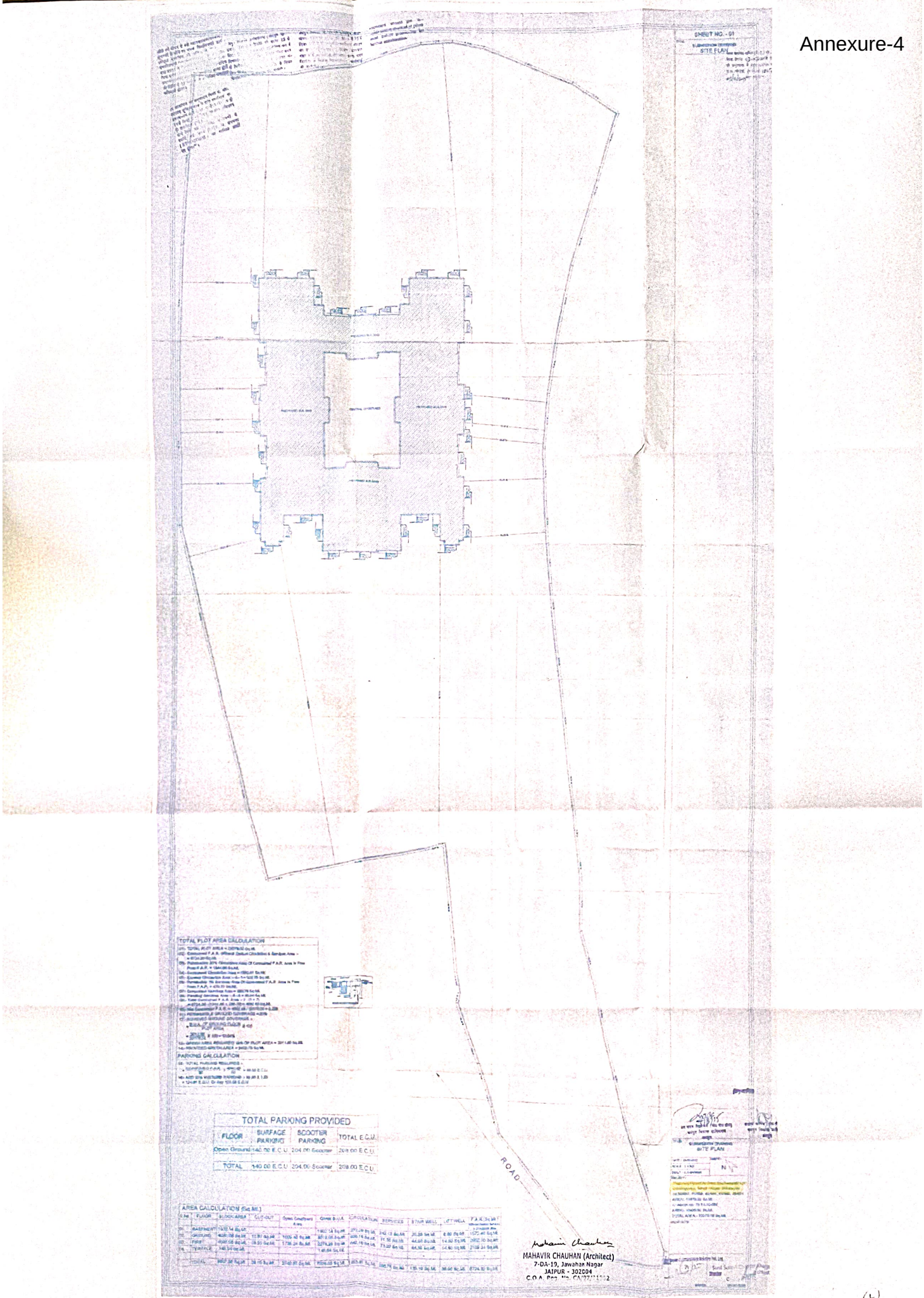
SHEET NO. - 01
SITE PLAN
TOTAL PLOT AREA CALCULATION
PARKING CALCULATION
TOTAL PARKING PROVIDED
FLOOR
SURFACE PARKING
SCOOTER PARKING
TOTAL E.C.U.
Open Ground
140.00 E.C.U.
204.00 Scooter
208.00 E.C.U.
TOTAL
140.00 E.C.U.
204.00 Scooter
208.00 E.C.U.
AREA CALCULATION (Sq.Mt.)
ROAD
SITE PLAN
N
MAHAVIR CHAUHAN (Architect)
7-DA-19, Jawahar Nagar
JAIPUR - 302004

(1)

AREA CALCULATIONS

PLOT AREA	22079.02 SQ.MT.	
PARAMETERS	AS PER BYELAWS (required)	GIVEN
SETBACKS		
FRONT	9.00 MT.	9.00 MT.
SIDE I	9.00MT.	9.00 MT.
SIDE II	9.00 MT.	9.00 MT.
BACK	9.00MT.	9.00 MT.
GROUND COVERAGE	70%	13.64% (Block -A) 3.95%(Block-B) 17.59%(Total)
MAXIMUM HEIGHT	15 mtr.	PLINTH 0.45 + 14.00 MT. = 14.45 MT.
PERMISSBLE B.A.R.	0.75 (16588.20 SQ.MT.)	0.226 (Block -A) 0.154 (Block-B) 0.38 (Total)

BLOCK-A	
FLOOR NAME (FOR 63 ROOMS) (EXISTING)	G.B.U.A.
BASEMENT	1602.14 SQ.MT
GROUND FLOOR	3012.06 SQ.MT
FIRST FLOOR	2278.29 SQ.MT
TERRACE FLOOR	145.51 SQ.MT
TOTAL	7038.00 SQ.MT.

BLOCK-B	
FLOOR NAME (FOR 79 ROOMS) (PROPOSED/ CONSTRUCTED)	G.B.U.A.
GROUND FLOOR	874.32 SQ.MT
FIRST FLOOR	874.32 SQ.MT
SECOND FLOOR	874.32 SQ.MT
THIRD FLOOR	874.32 SQ.MT
MUMTY	25.44 SQ.MT
TOTAL	3522.72 SQ.MT.
BLOCK-C & FUTURE EXTENSION FLOORS	
AMENITIES (FOR BANQUET HALL,CONFERENCE, STAFF ROOMS,ETC.) (PROPOSED)	G.B.U.A.
TOTAL	5977.28 SQ.MT.
TOTAL AREA	16536.00 SQ.MT.

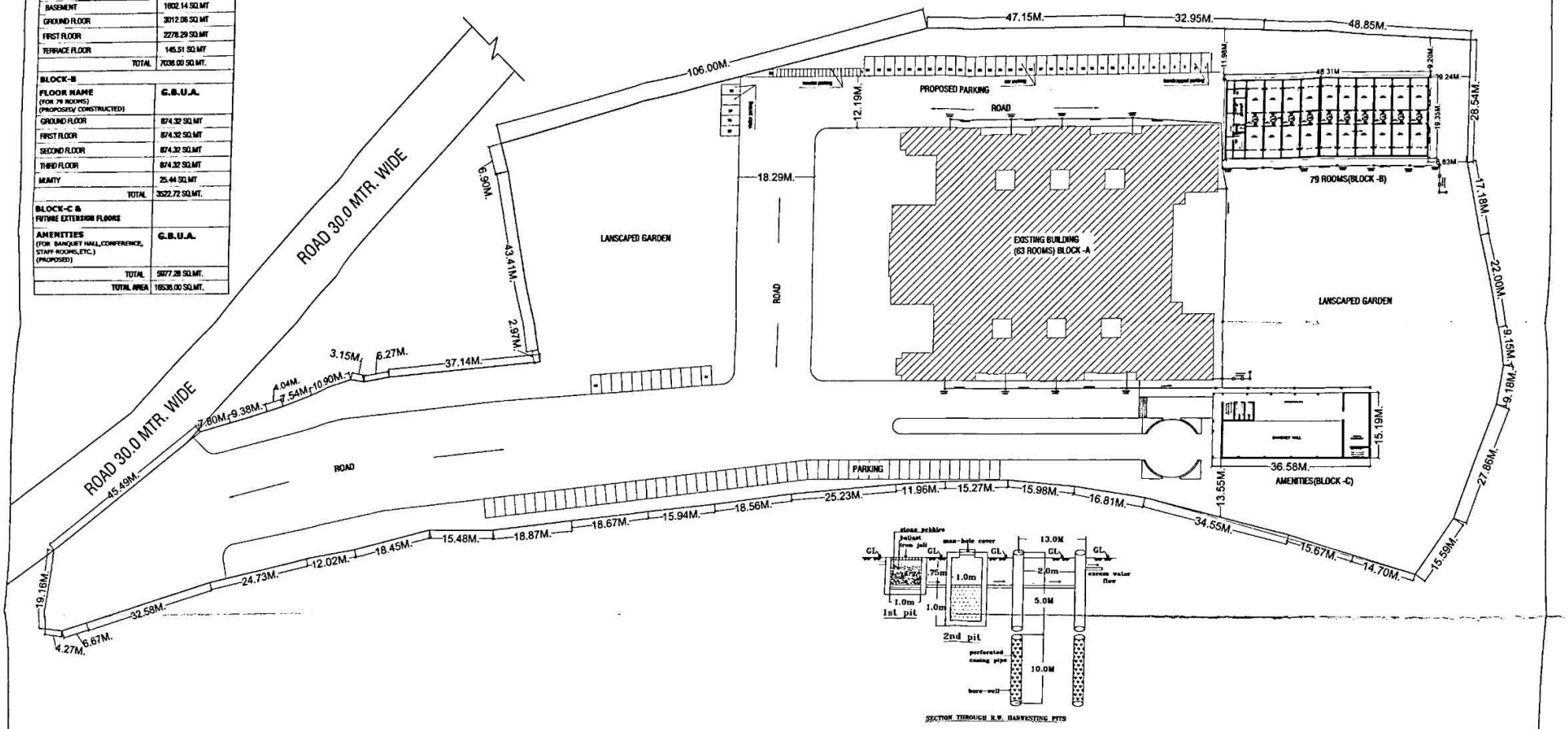

SECTION THROUGH R.W. HARVESTING PITS

PROJECT TITLE -

PROPOSED EXTENSION OF RESORT AT GRAM KACHERAWALA ,KUKAS , TEHSIT- AMER , JAIPUR.
KHASRA NO. 34, 35/687 ,41/688 ,42/689 , 47/690 , 48/691 , AREA=11679.02 SQ. MT.
KHASRA NO.33,34/686 , AREA =10400.00 SQ. MT., TOTAL AREA =22079.02 SQ. MT. FOR
BAYAN GROUP OF HOTELS AND RESORTS PVT.LTD.

DRAWING TITLE -
SITE PLAN

DATE -

NORTH

MAHAVIR CHAUHAN (Architect)
7-DA-19, Jawahar Nagar
JAIPUR - 302004
C.O.A. Reg. No. CA/97/21982

OWNER
BAYAN GROUP OF HOTELS AND RESORTS PVT. LTD.
DIRECTOR/AUTH. SIGNATORY

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

शहरी जमाबन्दी के आधार पर रिसोर्ट प्रयोजनों के लिये भूमि पट्टा-विलेख

(राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 'ख' के प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित भू-खण्डों के रूपान्तरण हेतु)

यह इकरारनामा जो आज दिनांक ..... 200 को, आवंटन/विक्रय-पत्र संख्या ..... सन् ..... की राजस्थान राज्य के राज्यपाल [illegible] इसमें इसके पश्चात् सरकार कह कर सम्बोधित किया गया है और जयपुर विकास प्राधिकरण ओर श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पत्नी ..... व्यवसाय ..... निवासी ..... (जिनको इसमें इसके पश्चात् पट्टेदार कह कर सम्बोधित किया गया है और इस इकरार में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकील अलैह भी सम्मिलित होंगे) के बीच लिखा गया है।

इस बात का साक्षी है कि रुपये ..... अक्षरे ..... रुपये ..... पैसे मात्र की रकम के नियमन शुल्क जो पट्टेदार द्वारा अदा कर दिया गया है (और जिसकी रसीद सरकार इसके द्वारा स्वीकार करती है) और इसमें उल्लिखित शर्तों और करारों जो पट्टेदार द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेंगे के एवज में सरकार इसके द्वारा पट्टेदार को जमीन का वह तमाम प्लाट (जो इसके बाद उक्त भूखण्ड कह कर सम्बोधित किया गया है) नियमन और आवंटित करती है जो ग्राम ..... योजना में स्थित है और जो अपनी सीमाओं और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्ण रूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में दिखलाया गया है, और जिसे पूर्व स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, वैध शर्तों और करारों के अधीन पट्टेदार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

1. उक्त भूखण्ड शहरी जमाबन्दी के आधार पर लीज होल्ड पर आवंटित किया गया है। लीज की अवधि, 99 वर्ष होगी।
2. (अ) पट्टेदार, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय में या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत अन्य स्थान पर प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भू-खण्ड के संबंध में आरक्षित दर ..... रुपये प्रतिवर्ग मीटर की दर से कुल राशि ..... रुपये की 5% की दर से शहरी जमाबन्दी जमा करायेगा। निर्धारित तिथी 31 मार्च तक जमा नहीं कराने की दशा में नियमानुसार देय ब्याज राशि वसूल की जावेगी। 31 मार्च से पूर्व अग्रिम शहरी जमाबन्दी जमा कराने पर 10% की छूट भी देय होगी। एक मुश्त शहरी जमा बन्दी जमा है।

(ब) दस वर्ष की अग्रिम शहरी जमाबन्दी एकमुश्त जमा कराने पर लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र प्रदत्त किया जावेगा। साथ ही राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प-5 (2) न.वि.वि./3/99 दिनांक 15.11.99 के अनुसार आवंटित भूखण्ड पर शहरी जमाबन्दी आरक्षित दर के बजाय केवल नियमन राशि ..... रुपये की 5% प्रतिवर्ष की दर से देय होगी।

3. शहरी जमाबन्दी की निर्धारित धनराशि में प्रत्येक 15 वर्ष व्यतीत होने के तुरन्त पश्चात् तथा प्रत्येक हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। 15 वर्ष की अवधि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से संगणित की जायेगी।
4. उपरोक्त तारीख तक किसी रकम या परिवर्धित रकम या उसके किसी अंश की जो शहरी जमाबन्दी के कारण वाजिब हो, अदायगी न करने पर सरकार ऐसी रकम या उसके अंश को उस तरीके से जो उस समय मालगुजारी के बकाया की वसूली के लिये निर्देशित किया गया है, वसूल करेगी और वसूल करने के लिये सक्षम होगी।
5. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल रिसोर्ट के प्रयोजनों के आशय से किसी भवन के बनवाने में ही होगा। निर्मित भूखण्ड के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.7.99 क्रमांक प-5(3) न.वि.वि./3/99 द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों में एवं जविप्रा विनियम 1996 व समय-समय पर इनमें संशोधनों के अन्तर्गत निर्माण कराना होगा तथा अवैध निर्माण के सम्बन्ध में संबंधित विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
6. यह भूखण्ड रिसोर्ट है। अतः उस पर भवन निर्माण ज.वि.प्रा.से स्वीकृत मानचित्र के आधार पर किया जावेगा एवं सेट बैक साइट प्लान के अनुसार छोड़ने होंगे तथा प्राधिकरण के बिल्डिंग बाइलॉज के अनुसार निर्माण किया जाना होगा। इसके लिए भूखण्ड धारक द्वारा प्रस्तावित निर्माण के लिये निर्धारित आवेदन पत्र मय मानचित्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

   भूखण्ड पर निर्माण जविप्रा के प्रचलित भवन विनियम के तहत किया जावेगा।
7. इस लीज डीड के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए गिरवी रखा जा सकेगा।

कृते [illegible], आवेदक

THE JAIBAGH PALACE

GENERAL MANAGER

नियमा क अनुसार प्राधिकरण से करवाना होगा।

9. पट्टेदार उक्त भूखण्ड या उस पर बनाये गये भवन या भवनों को, या उन दोनों के किसी भाग को किसी ऐसे उद्देश्य के लिये उपयोग में नहीं लायेगा जो पिछले पद में निर्देशित आशय के असंगत है बिना सरकार या सरकार के ऐसे अधिकारी की लिखित सहमति के जो उसके द्वारा नियुक्त किया गया हो, न तो उपयोग में लावेगा और न उपयोग में लाने की अनुमति ही देगा।

10. लीज धारक सक्षम अधिकारी को सीधे ही भूमि का किराया, उपकर और स्थानीय कर मय ब्याज और लीज डीड के अनुसार उक्त जमीन या उसके किसी भाग के समर्पण पर पट्टेदार द्वारा बनाई गई भवन, इमारत या इमारतों, अन्य गृह या इन तामीरों के किसी भाग में या उस समय आयद किये या लगाये गये अन्य कानूनों अदा करेगा।

11. पट्टेदार द्वारा आवंटन पत्र की शर्तों पूर्व किसी उपरोक्त शर्तों की पूर्ण पालना की जावेगी। यदि किसी भी शर्त या शर्तों का उल्लंघन किया गया तो उक्त भूखण्ड एवं उस पर बने हुए भवन, यदि कोई हो, सहित उक्त भूखण्ड बिना किसी मुआवजे की प्राप्ति के अधिग्रहण कर लिया जावेगा।

12. यदि पट्टा विलेख जारी होने के उपरान्त यह तथ्य सामने आते हैं कि गलत तथ्यों के आधार पर या कार्यालय त्रुटि के कारण तथ्यों के विपरीत सहवन से लीजडीड जारी हो गया है तो उसे विधिक प्रक्रिया अपनाकर प्राधिकरण द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।

नोट :-- इस भूखण्ड की नियमन राशि..... रु. प्रति वर्ग गज की पंजीकृत मूल्य राशि
रु. 32304.00/- होती है। अतएव स्टाम्प 11959-11960 संख्या 02
के हैसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं। 1616977.0

कस्बे का नाम जयपुर विस्तृत नाप क्षेत्रफल सहित	पूर्व ..... पश्चिम	ड संख्या 14355/41/42, 48	सीमा	पूर्व परिचम उत्तर दक्षिण	स्थल मानचित्र संलग्न है
	उत्तर ..... दक्षिण	योजना का नाम कीरा बाला			
	समिति का नाम				

इस राशि 11679.02 रुपये

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से

आज सन् 200 ..... के ..... वें दिन
श्री प्रकाश चन्द्र टाक RAS सक्षम उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी जोन-13
अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोन ..... 13 ..... जयपुर ने जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
निम्न की उपस्थिति में जयपुर में हस्ताक्षर किये। सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

साक्षी:-

1. नाम .....
   पिता/पति का नाम रहमत उल्लाह
   व्यवसाय श्री हाजी रहमत उल्लाह
   निवास स्थान पेंशनर्स सेवा जयपुर
   ..... साक्षी के हस्ताक्षर
2. नाम .....
   पिता/पति का नाम .....
   व्यवसाय .....
   निवास स्थान .....
   ..... साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक ..... 200 ..... को
निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री .....
खरीददार द्वारा कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में हस्ताक्षर किये गये। ..... खरीददार के हस्ताक्षर

साक्षी:-

1. नाम रमेश चन्द्र शर्मा
   पिता/पति का नाम श्री विष्णु चन्द्र शर्मा
   व्यवसाय सरकारी नौकरी
   निवास स्थान ए-4 हसूट स्कूल एपार्टमेन्ट जयपुर
   ..... साक्षी के हस्ताक्षर
2. नाम गोविन्द प्रसाद पुष्पा
   पिता/पति का नाम श्री किशोरी लाल पुष्पा
   व्यवसाय सर्विस
   निवास स्थान एपाएम, चितरंजन पार्क, अजमेर रोड जयपुर
   ..... साक्षी के हस्ताक्षर

15

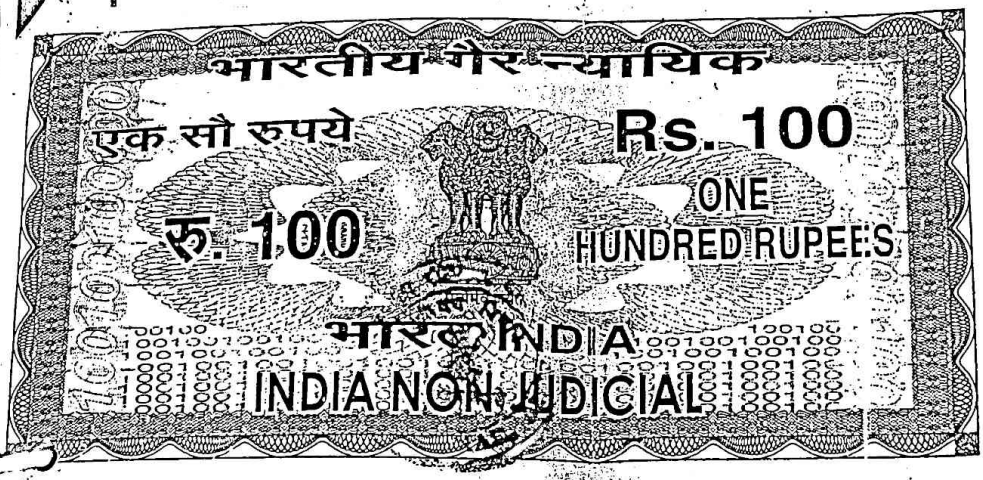

राजस्थान RAJASTHAN

M 426957

Union Bank of India
B-100,University Marg,
Bapunagar
JAIPUR

भारत STAMP DUTY RAJASTHAN
00000 SPECIAL ADHESIVE
Rs.≈0016060≈ -6.11.2010
714491 RAJASTHAN
INDIA --Zero-Zero-One--Six--Zero-Six--Zero---

F/4/(300)(8)VST/FRANK/BANK/0062

1404 5422307

उपायुक्त जोन-13 जयपुर विकास प्राधिकरण

नीजी खातेदारी की रिसारी
ग्राम कटेवा तहसील जिला में भूखण्ड संख्या 34, 35, 41, 42, 47, 48
खसरा नं. ..... क्षेत्रफल ...11-67.9-02
वर्गमीटर की लीज राशि हेतु ...66.160 + 10
रूपये के स्टाम्प रहीन है।

उपायुक्त एवं प्रशिक्षण अधिकारी
जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उप पंजीयक, आदी

आज दिनांक 18 माह नवम्बर सन् 2010 को 04:01 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री VIRENDRA SINGH JHALA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BHAWAR SINGH
उम्र 37 वर्ष, जाति RAJPUT व्यवसाय BUSINESS
निवासी 103 MILLENUM PLAZA UPAR GOVIND NAGAR MALAT EAST
MUMBAI null
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
(2010064005363)
(Lease deed for local bodies (Patta))

हस्ताक्षर उपपंजीयक
AMER

रसीद नं0	[20100640042991]
दिनांक	[18-11-2010]
पंजीयन शुल्क रू0	3230
प्रतिलिपि शुल्क रू0	0
पृष्ठांकन शुल्क रू0	300
अन्य शुल्क रू0	0
कमी स्टाम्प शुल्क रू0	0
कुल योग रू0	3530

(2010064005363)
((Lease deed for local bodies (Patta)))

उपपंजीयक AMER

16

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

34AA 284938

नीली खातेदारी की [illegible]
योजना में [illegible] 35, 34, 41, 42, 47, 48
खसरा नं. ..... क्षेत्रफल 16.29.00 बि.
दर कीमत की लीज डीड हेतु 16.60+10
रूपये के स्टाम्प संलग्न है।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपायुक्त जोन-13 जयपुर विकास प्राधिकरण

THE JAIBAGH PALACE
GENERAL MANAGER

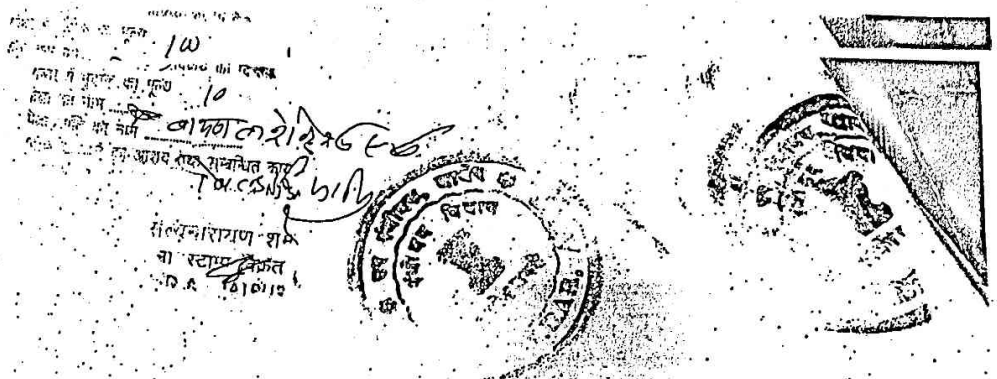

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant) Signature Photo Thumb

1 -M/S BAYAN CONTRACTORS AND BUILDERS PVT.LTD. JARIYE DIR.VIRENDRA SINGH JHALA / BHAWAR SINGH
उम्र -37 वर्ष जाति - RAJPUT, व्यवसाय -BUSINESS
निवासी - 103 MILLENUM PLAZA UPAR GOVIND NAGAR MALAT EAST MUMBAI

(And Claiment)
1 -JDA / JDA
उम्र -0 वर्ष जाति - null व्यवसाय -NA
निवासी -JAIPUR

ने लेखपत्र Lease deed for local bodies (Patta) को पढ़ सुनने व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल राशी रू0 323040/- पूर्व में/मेरेसमक्ष / : । सें रू0 323040/- पूर्व में ---------- मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान
1- श्री/श्रीमती/सुश्री BHIM SINGH,
पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री GAMER SINGH
उम्र -38 वर्ष जाति-RAJPUT व्यवसाय -BUSINESS
निवासी VARDMAN COLONY UDAIPUR,,

ने की है जिनके समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठ के निशान मेरे समक्ष लिये गये हैं।

(2010064005363)
Lease deed for local bodies (Patta)

उप पंजीयक, AMER

आज दिनांक :18/11/2010 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 427
में पृष्ठ संख्या 3 क्रम संख्या 2010064003873पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1211
के पृष्ठ संख्या 17 से 26
पर चस्पा किया गया।

(2010064005363)
Lease deed for local bodies (Patta)

THE JAISAGH PALACE
GENERAL MANAGER

(3)

Stamps and Registration Department
OFFICE OF SUB REGISTRAR AMER
AMER
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT

Fee Receipt No	2015064001199	Date	08/03/2015
Presenter Name	M/S BAYAN CONT.AND BUILDERS	Document S. No	999
Presenter/Property Address	PVT.LTD. JARIYE VIRENDRA SINGH JHALA		
Document Type	Sale Deed (Conveyance deed)		
Claiment Name		Payment Mode	Cash
Face Value	0	Evaluated Value 0	Stamp Value 0
Case Detail	CASE NO. 1206/2010 DIS.DATE 09-02-2011		

Ord- registration fee	0	commssion	0
csi_more_50000	0	custody	0
stamp(memorandom)	0	reg(memorandom)	0
Penalty	300	us_57	0
stamp duty	149815	Surcharge	0
us_25_34	0	others	10
us_64_67	0	Inspection_fee	0
Intrest	28320		
		Total :	178445

One Lakh Seventy Eight Thousand Four Hundred Forty Five Only

Cashier

उप पंजीयक
अमेर (जयपुर)
Sub Registrar AMER

THE JAIBAGH PALACE
GENERAL MANAGER

Government of Rajasthan
e-Registration Fee Receipt

87

SECON

SRO Unique ID	2015064001332R		
S R Location	AMER	Receipt Date	08-MAR-2015 13:24
Receipt No	RJ1308231503843		
Name Of Seller	J D A		
Name Of Buyer	BAYAN CONTRACTORS AND BUILDERS PVT LTD DIR BHIM SINGH CHUNDAWAT		
Type of Document	Article 33(C)(II) Lease Deed For Local Bodies (Patta)		
ACC Reference	SHCIL/SHCIL RAJASTHAN/AMER		

Paid Fees

Particulars	Amount (Rs.)	Particulars	Amount
Registration Fees	₹ 50000	CSI	
Copy of Fees	₹ 0	Record Inspection Fees	
Late Fees	₹ 0	Commission Fees	
Other Charges	₹ 0		
Total Amount	₹ 50300	Service Charges	₹ 40
Grand Total	₹ 50340		

(Rupees Fifty Thousand Three Hundred Forty Only)

कार्यालय उप पंजियक पंजियन विभाग

Statutory Alert : The authenticity of this receipt should be verified at www.shcilestamp.com . Any discrepancy in the details on this rec and as available on the website renders it invalid.

THE JAIBAGH PALACE
GENERAL MANAGER

86

INDIA NON JUDICIAL

Government of Rajasthan

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	IN-RJ02192871748259N
Certificate Issued Date	08-Mar-2015 01:19 PM
Account Reference	SHCIL (FI)/ rjshcil01/ AMER/ RJ-RU
Unique Doc. Reference	SUBIN-RJRJSHCIL0102339301416739N
Purchased by	BAYAN CONTRACTORS AND BUILDERS PVT LTD
Description of Document	Article 33(c)(II) Lease Deed for Local Bodies (Patta)
Property Description	K NO. 33,34/686, KACHERAWALA TEH AMER DIST JAIPUR
Consideration Price (Rs.)	31,34,552 (Thirty One Lakh Thirty Four Thousand Five Hundred And Fifty Two only)
First Party	J D A
Second Party	BAYAN CONTRACTORS AND BUILDERS PVT LTD
Stamp Duty Paid By	BAYAN CONTRACTORS AND BUILDERS PVT LTD
Stamp Duty Amount(Rs.)	2,40,744 (Two Lakh Forty Thousand Seven Hundred And Forty Four only)

उप पंजीयक आमेर (जयपुर)

.....Please write or type below this line.....

उप पंजीयक
आमेर (जयपुर)

0001501347

VoID VoID VoID VoID VoID VoID VoID VoID VoID VoID

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

THE JAIBAGH PALACE
GENERAL MANAGER

जयपुर विकास प्राधिकरण,

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष 2015 के माह 05 के 7 वे दिन *जयपुर विकास प्राधिकरण/ 2024
इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री/श्रीमती/मैसर्स [illegible] (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्यातक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह जखम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना निजी रजतेदारी (रिसोर्ट) राजस्व ग्राम कदेराबाद्या तह. आमेर के खसरा/भूखण्ड संख्या 33, 34/686, क्षेत्रफल 10,400.00 वर्ग मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है, तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिस पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और हस्तांतरण के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात:-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 79,613.75 अंके उन्यासी हजार छः सौ तेरह रु. 75 मात्र पेशगी अदा करेगा, जिसे लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारिय नगरीय निर्धारक (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. पट्टेदार द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय में या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत अन्य स्थान पर नियमन दर नि:शुल्क रुपये प्रति वर्गगज से कुल नियमन राशि नि:शुल्क रुपये देय होती है जो चालान नं. N.A. दिनांक N.A. से जमा है। इसका 2.5 प्रतिशत की दर से शहरी जमाबन्दी देय है। आदेश क्रमांक : एफ-9(15) यू.डी./3/2001 दिनांक 15.1.2002 से 8 वर्षीय लीज राशि 6,36,910.00 रुपये होती है, जो चालान नं. 338504 दिनांक 28.7.14 से जमा है।
3. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
4. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।
5. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल रिसोर्ट हेतु प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाऐगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
6. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
7. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में निहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होगें।
8. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकायको आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ इस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी : परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
9. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
10. यदि आबंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आबंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आबंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकास में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।
11. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/ एच.डी.एफ.सी अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

* जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

(कृ.प.उ.)

उपायुक्त एव प्राधिकृत अधिकारी
जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उप पंजीयक
आमेर (जयपुर)

THE JAIBAGH PALACE
GENERAL MANAGER

परिशिष्ट

कस्बे का नाम:-
राजस्व ग्राम: कच्चेरावासा
खसरा नम्बर: 33,34,1686
योजना का नाम: निजी खेतेदारी
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्ग गज/ 10,400.00 व.मी

पूर्व - पश्चिम - भूखण्ड की
कोई हो - सीमा उत्तर - दक्षिण -
मानचित्र संलग्न है।

नोट:- इस भूखण्ड की शहरी जमाबन्दी को जोडकर पंजीकृत मूल्य राशि रु. 31,34,552=00 होती है। अतएव स्टाम्प राशि रु. 1,56,730=00 के नं. 7776, 7777 के कुल संख्या 13 बहैसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते है।

इसके साक्ष्य के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।

जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से

आज सन् 20.15 के माह 3 के 2 वें दिन
श्री वीरबल सिंह डोरवाल RAS
ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये-

जयपुर विकास प्राधिकरण, प्रथम पक्ष
उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

साक्षी :-

1. नाम
पुत्र सुरेश कुमार मोदी
व्यवसाय श्री राधेश्याम मोदी
निवास स्थान प्राधिकरण सेवा, जयपुर

साक्षी

2. नाम
पुत्र राम प्रसाद मीणा
व्यवसाय पुत्र श्री (स्व.) गोपाल मीणा
निवास स्थान प्राधिकरण सेवा, जयपुर

साक्षी

आज ..... सन् 20..... के माह .....
के ..... वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त
श्री .....
लीजधारक द्वारा कार्यालय ..... में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक-द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम अशोक कुमार पांचाल
पुत्र श्री राम दयाल पांचाल
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान 16 मालवीय नगर दुर्गापुरा जयपुर

साक्षी

2. नाम सुनील पांचाल
पुत्र श्री [illegible] पांचाल
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान 11 मालवीय नगर मालवीय नगर जयपुर

साक्षी

उप. नायक
आ... ...पुर

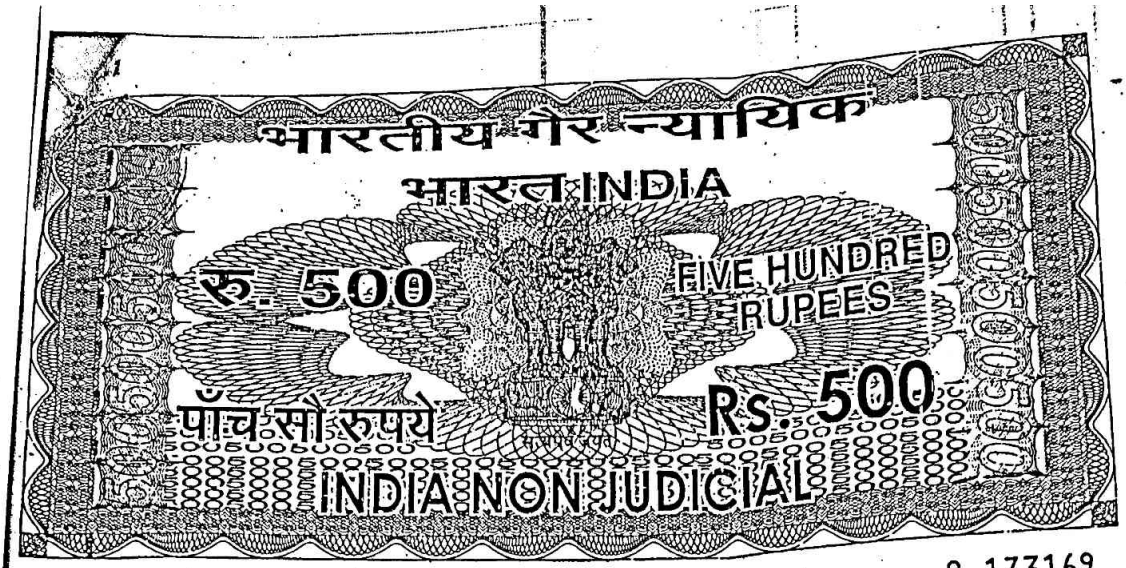

C 173169

राजस्थान RAJASTHAN

उपायुक्त जोन-13 जयपुर विकास प्राधिकरण

कार्यालय उप पंजीयक पंजीयन विभाग आमेर (जयपुर)

पक्षकार : मेसर्स ग्रांड चौपाल
खसरा नं. 34/626 ... 10400.00 वर्ग मी.
वर्गगज को ... 1547.30+10 कि.
रूपये के स्टाम्प संलग्न हैं।

उपायुक्त एवं पदेन अधिकारी
जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उप पंजीयक
आमेर (जयपुर)

THE JAIBAGH PALACE
GENERAL MANAGER

कस्बे का नाम: —

क्रमांक 7776 दिनांक 27 FEB 2015
मुद्रांक का मूल्य ₹620
क्रेता का नाम
पिता/पति का नाम वापण व्यापार इन्वेस्टमेन्ट प्रा०
पता उदयपुर
मुद्रांक का प्रयोजन
हस्ताक्षर

रमा रजन शर्मा
स्टाम्प विक्रेता
जे.डी.ए. परिसर, उदयपुर
लाइसेंस नं. 13/2013

आज दिनांक 8 माह मार्च सन् 2015 को 01:28 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री BHEEM SINGH CHURAWAT पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री GAMER SINGH
उम्र 24 वर्ष, जाति RAJPUT व्यवसाय BUSINESS
निवासी 24 VARDMAN NAGAR HIRAN MANGRI UDAYPUR null null
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर, प्रस्तुतकर्ता
(2015064001332)
(Lease deed for local bodies (Patta))

हस्ताक्षर उपपंजीयक
AMER उप पंजीयक
आमेर (जयपुर)

रसीद नं0	[2015064001200]
दिनांक	[8-3-2015]
पंजीयन शुल्क रू0	50000
प्रतिलिपि शुल्क रू0	0
पृष्ठांकन शुल्क रू0	300
अन्य शुल्क रू0	0
कमी स्टाम्प शुल्क रू0	0
कुल योग रू0	50300

(2015064001332) उपपंजीयक AMER
((Lease deed for local bodies (Patta))

82

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

06AA 073380

उपायुक्त जोन-13 जयपुर विकास प्राधिकरण

कार्यालय उप पंजीयक पंजियन विभाग जयपुर

नौजी खातेदारी मृदक भूमि अधिकार

खसरा नं. 35/34/686 क्षेत्रफल 10400 वर्गगज

वर्गगज की कीमत रु. 156730+10

रुपये के स्टाम्प लगाना है।

उपायुक्त एवं पदेन अधिकारी
जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

THE JAIBAGH PALACE

GENERAL MANAGER

27 FEB 2015

क्रमांक 7776 दिनांक

मुद्रांक का मूल्य 56720

क्रेता का नाम

विक्रेता का नाम

पता

मुद्रांक का प्रयोजन

हस्ताक्षर किये गये

(विक्रय विलेख)
ए.डी.ए. परिसर, जयपुर
लाइसेंस नं 13/2013

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)

1 -M/S BAYAN CONT.AND BUILDERS PVT.LTD. JARIYE DIR. BHEEM SINGH CHURAWAT / GAMER SINGH
उम्र -24 वर्ष जाति - RAJPUT, व्यवसाय -BUSINESS
निवासी - 24 VARDMAN NAGAR HIRAN MANGRI UDAYPUR

Signature | Photo | Thumb

(And Claiment)

1 -JDA / JDA
उम्र -0 वर्ष जाति - null व्यवसाय -NA
निवासी -JAIPUR

ने लेख्यपत्र Lease deed for local bodies (Patta) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल राशी रू0 3134552/- पूर्व में/मेरेसमक्ष / मे से रू0 3134552/- पूर्व में -------- मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1- श्री/श्रीमती/सुश्री ASHOK KUMAR PANCHAL
पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री RAM DAYAL PANCHAL
उम्र -44 वर्ष जाति-BRAHMAN व्यवसाय -BUSINESS
निवासी 16 MADHAV NAGAR DURGAPURA JAIPUR,,

ने की है जिनके समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गये हैं।

(2015064001332)

Lease deed for local bodies (Patta)

उप पंजीयक
AMER (जयपुर)

राजस्थान RAJASTHAN

06AA 073380

नीजी खातेदारी
खसरा 33,34/686 10400=00
वर्गगज की दर 15.730+10
रूपये के स्टाम्प लगाये है।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

THE JAIBAGH PALACE
GENERAL MANAGER

क्रमांक 7776 दिनांक 27 FEB 2015

मुद्रांक का मूल्य 56720

क्रेता का नाम आयन कंस्ट्रक्शन एण्ड बिल्डर्स प्रा.लि.

पता 22 बस, जयपुर

मुद्रांक का प्रयोजन

हस्ताक्षर विक्रेता

विक्रेता
जी.डी.ए. परिसर, जयपुर
लाइसेंस नं 13/2014

उप पंजीयक
आमेर (जयपुर)

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)

1 -M/S BAYAN CONT.AND BUILDERS PVT.LTD. JARIYE DIR. BHEEM SINGH CHURAWAT / GAMER SINGH
उम्र -24 वर्ष जाति - RAJPUT, व्यवसाय -BUSINESS
निवासी - 24 VARDMAN NAGAR HIRAN MANGRI UDAYPUR

Signature Photo Thumb

(And Claiment)

1 -JDA / JDA
उम्र -0 वर्ष जाति - null व्यवसाय -NA
निवासी -JAIPUR

ने लेख्यपत्र Lease deed for local bodies (Patta) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल राशी रू0 3134552/- पूर्व में/मेरेसमक्ष / मे से रू0 3134552/- पूर्व में ——— मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1- श्री/श्रीमती/सुश्री ASHOK KUMAR PANCHAL
पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री RAM DAYAL PANCHAL
उम्र -44 वर्ष जाति-BRAHMAN व्यवसाय -BUSINESS
निवासी 16 MADHAV NAGAR DURGAPURA JAIPUR,,

ने की है जिनके समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठे के निशान मेरे समक्ष लिये गये हैं।

(2015064001332)
Lease deed for local bodies (Patta)

उप पंजीयक
AMER
आमेर (जयपुर)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

RS-20

रु.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

06AA 073380

राजस्थान RAJASTHAN

उपायुक्त जोन-13 जयपुर विकास प्राधिकरण

कार्यालय उप पंजीयक मंजियन विभाग जयपुर

नौजी खादेदारी मूल्यांकन

खसरा नं. 35/686 10400-

वर्गगज में लोन 15630+10

रूपये के स्टाम्प लगाने है।

उपायुक्त एवं पदेन अधिकारी

जोन-13

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

THE JAIBAGH PALACE

GENERAL MANAGER

क्रमांक 7776 दिनांक 27 FEB 2015

मुद्रांक का मूल्य 56720

क्रेता का नाम बायन कॉन्ट्रेक्टर्स एंड बिल्डर्स प्रा.लि.

पता जयपुर, राज.

मुद्रांक का प्रयोजन

हस्ताक्षर विक्रेता

विक्रेता

उप पंजीयक

उ.उ.पं. जयपुर, राज.

लाइसेंस सं 13/2011

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)

1 -M/S BAYAN CONT.AND BUILDERS PVT.LTD. JARIYE DIR. BHEEM SINGH CHUNAWAT / GAMER SINGH उम्र -24 वर्ष जाति - RAJPUT, व्यवसाय -BUSINESS निवासी - 24 VARDMAN NAGAR HIRAN MANGRI UDAYPUR

Signature

Photo

Thumb

(And Claimant)

1 -JDA / JDA

उम्र 0 वर्ष जाति - null व्यवसाय -NA

निवासी -JAIPUR

ने लेख्यपत्र Lease deed for local bodies (Patta) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल राशी रू0 3134552/- पूर्व में/मेरेसमक्ष / मे से रू0 3134552/- पूर्व में ---------- मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1- श्री/श्रीमती/सुश्री ASHOK KUMAR PANCHAL पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री RAM DAYAL PANCHAL उम्र 44 वर्ष जाति-BRAHMAN व्यवसाय -BUSINESS निवासी 16 MADHAV NAGAR DURGAPURA JAIPUR,,

ने की है जिनके समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठे के निशान मेरे समक्ष लिये गये हैं।

(2015064001332)

Lease deed for local bodies (Patta)

उप पंजीयक

उप पंजीयक

AMER (जयपुर)

आमेर (जयपुर)

राजस्थान RAJASTHAN

06AA 073380

नीजी खातेदारी मूलत: प्रतिलिपि
ह.ह. आम
खसरा 85,84/686 10400-w
वर्गगज को दीक्षा [illegible] 156.730 + 10
रुपये के स्टाम्प लगाने हैं।

उपायुक्त एवं पदेन अधिकारी
जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

THE JAIBAGH PALACE
GENERAL MANAGER

क्रमांक 7776 दिनांक 27 FEB 2015

मुद्रांक का मूल्य 56720

क्रेता का नाम ...

विक्रेता का नाम ...

पता ...

मुद्रांक का प्रयोजन ...

हस्ताक्षर विक्रेता ...

उप पंजीयक
उ.डी.पु. परिसर, उदयपुर
लाइसेंस नं 13/2013

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)

1 -M/S BAYAN CONT.AND BUILDERS PVT.LTD. JARIYE DIR. BHEEM SINGH CHURAWAT / GAMER SINGH
उम्र -24 वर्ष जाति - RAJPUT, व्यवसाय -BUSINESS
निवासी - 24 VARDMAN NAGAR HIRAN MANGRI UDAYPUR

Signature Photo Thumb

(And Claimant)

1 -JDA / JDA
उम्र -0 वर्ष जाति - null व्यवसाय -NA
निवासी -JAIPUR

ने लेख्यपत्र Lease deed for local bodies (Patta) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल राशी रू0 3134552/- पूर्व में/मेरेसमक्ष / मे से रू0 3134552/- पूर्व में -------- मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1- श्री/श्रीमती/सुश्री ASHOK KUMAR PANCHAL
पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री RAM DAYAL PANCHAL
उम्र -44 वर्ष जाति-BRAHMAN व्यवसाय -BUSINESS
निवासी 16 MADHAV NAGAR DURGAPURA JAIPUR,,

ने की है जिनके समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

(2015064001332)

Lease deed for local bodies (Patta)

उप पंजीयक
आमेर (जयपुर)

राजस्थान RAJASTHAN

06AA 073380

नीजी खातेदारी नकल शुल्क अभिलेख
दि. 30/12
खसरा 35/34/686 10400/-
वर्गगज की दर 15.6730 + 10
रुपये ले स्टाम्प लगा है।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

THE JAIBAGH PALACE
GENERAL MANAGER

27 FEB 2015

क्रमांक 7776 दिनांक

मुद्रांक का मूल्य 56720

क्रेता का नाम बायन कॉन्ट्रेक्टर्स एण्ड बिल्डर्स प्रा. लि.

पिता / पति का नाम

पता जयपुर

मुद्रांक का प्रयोजन

हस्ताक्षर विक्रेता

विक्रय

रजिस्ट्रेशन

उप पंजीयक, परिसर, जयपुर

लाइसेंस नं 13/2013

उप पंजीयक + रजिस्ट्रेशन विभाग

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)

1 -M/S BAYAN CONT.AND BUILDERS PVT.LTD. JARIYE DIR. BHEEM SINGH CHURAWAT / GAMER SINGH
उम्र -24 वर्ष जाति - RAJPUT, व्यवसाय -BUSINESS
निवासी - 24 VARDMAN NAGAR HIRAN MANGRI UDAYPUR

Signature Photo Thumb

(And Claiment)

1 -JDA / JDA
उम्र -0 वर्ष जाति - null व्यवसाय -NA
निवासी -JAIPUR

ने लेख्यपत्र Lease deed for local bodies (Patta) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल राशी रू0 3134552/- पूर्व में/मेरेसमक्ष / मे रें रू0 3134552/- पूर्व में -------- मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1- श्री/श्रीमती/सुश्री ASHOK KUMAR PANCHAL
पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री RAM DAYAL PANCHAL
उम्र -44 वर्ष जाति-BRAHMAN व्यवसाय -BUSINESS
निवासी 16 MADHAV NAGAR DURGAPURA JAIPUR,,

ने की है जिनके समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

(20150640013 32)

Lease deed for local bodies (Patta)

उप पंजीयक
AMER
आमेर (जयपुर)

77

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

06AA 073380

उपायुक्त जोन-13 जयपुर विकास प्राधिकरण

कार्यालय उप पंजीयक पंजियन विभाग जयपुर (जयपुर)

नीजी खातेदारी भवन शुल्क मध्यवर्ती

C.E. 3117

खसरा 35/34/686 10400=00

वर्गफल की दर 15.730+10

रुपये की रसीद संख्या 61

उपायुक्त एवं पदेन अधिकारी

जोन-13

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

THE JAIBAGH PALACE

GENERAL MANAGER

क्रमांक 7776 दिनांक 27 FEB 2015

मुद्रांक का मूल्य 56720

क्रेता का नाम बायन कॉन्ट्रेक्टर एंड बिल्डर्स प्रा.लि.

पता बस्सी, जयपुर

मुद्रांक का प्रयोजन

हस्ताक्षर किया गया

रामप्रताप शर्मा
उप पंजीयक, बगरू
लाइसेंस नं 13/2013

उप पंजीयक

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)

1 -M/S BAYAN CONT.AND BUILDERS PVT.LTD. JARIYE DIR. BHEEM SINGH CHURAWAT / GAMER SINGH
उम्र -24 वर्ष जाति - RAJPUT, व्यवसाय -BUSINESS
निवासी - 24 VARDMAN NAGAR HIRAN MANGRI UDAYPUR

Signature Photo Thumb

(And Claiment)

1 -JDA / JDA
उम्र -0 वर्ष जाति - null व्यवसाय -NA
निवासी -JAIPUR

ने लेख्यपत्र Lease deed for local bodies (Patta) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल राशी रू0 3134552/- पूर्व में/मेरेसमक्ष / मे सें रू0 3134552/- पूर्व में -------- मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1- श्री/श्रीमती/सुश्री ASHOK KUMAR PANCHAL
पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री RAM DAYAL PANCHAL
उम्र -44 वर्ष जाति-BRAHMAN व्यवसाय -BUSINESS
निवासी 16 MADHAV NAGAR DURGAPURA JAIPUR,,

ने की है जिनके समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठ के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

(2015064001332)

Lease deed for local bodies (Patta)

उप पंजीयक
AMER
आमेर (जयपुर)

मौके पर तहसीलदार ... (पेन-डाउन कार्यवाही)
दि. ... संख्या/
खसरा 33, 34/686 10400.00 वर्ग मी.
वर्गगज ... 15623.10
रूपये के स्टाम्प लगाये।

उपायुक्त एवं अधिकृत अधिकारी
जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

THE JAIBAGH PALACE
GENERAL MANAGER

क्रमांक 7776 दि. 27 FEB 2015

मुद्रांक का मूल्य 56720

क्रेता का नाम को.प्र.न. ट्रेडर्स एंड कंस्ट्रक्शन प्रा.लि.

पिता/पति का नाम

पता

दस्तावेज का प्रयोजन

स्टाम्प विक्रेता

रजनी शर्मा
स्टाम्प विक्रेता
जे.डी.ए. परिसर, जयपुर
लाईसेंस नं. 13/2012

कार्यालय उप पंजीयक नगर विकास विभाग राजस्थान

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र
की मालियत रूपये 14455858
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 0 पर कमी पंजीयन शुल्क रूपये 50000 कुल रूपये 50000 जरिये रसीद सं
ख्या [2015064001200]
दिनांक [8-3-2015] में जमा किये गये है।
अतः दस्तावेज को रूपये 361340
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

(2015064001332) उप पंजीयक AMER
(Lease deed for local bodies (Patta))

आज दिनांक 8/3/2015 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 552
में पृष्ठ संख्या 152 क्रम संख्या 201506400752पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1714
के पृष्ठ संख्या 9 से 40
पर चस्पां किया गया।

(2015064001332) उप पंजीयक AMER
Lease deed for local bodies (Patta)

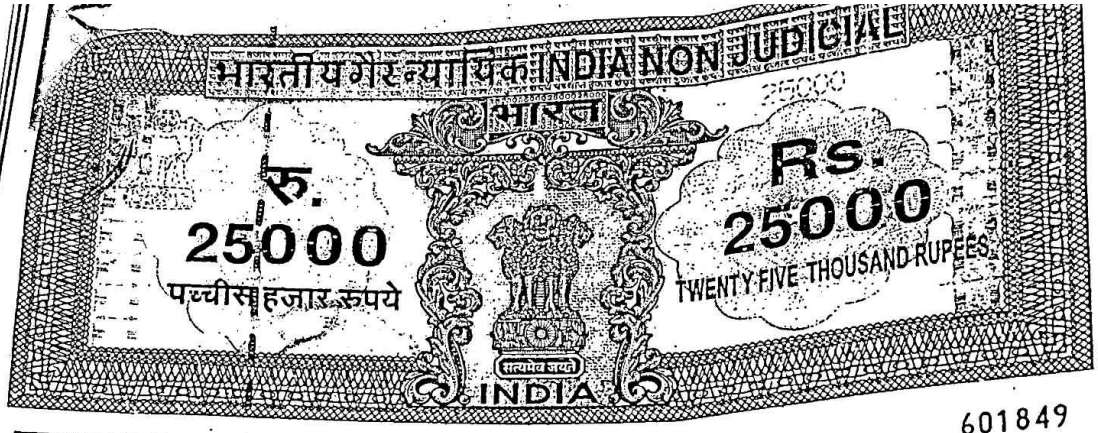

75

601849

राजस्थान RAJASTHAN

उपायुक्त जोन-13 जयपुर विकास प्राधिकरण

कार्यालय उप पंजीयक पंजीयन विभाग आमेर (जयपुर)

प्रति की खातेदारी ट्रस्ट का कब्जा नाम
पट्टा/डी.डी. नोटरी से प्राप्त संख्या
खसरा 33/34/686 10400-00 वर्ग मी.
दर्गज 1567306-
रूपये के स्टाम्प

उपायुक्त एवं अधिकृत अधिकारी
जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उप पंजीयक
आमेर (जयपुर)

THE JAIBAGH PALACE
GENERAL MANAGER

क्रमांक 7774 दिनांक 27 FEB 2015

मुद्रांक का मूल्य 100,000/-

क्रेता का नाम

पिता/पति का नाम

पता

मुद्रांक का प्रयोजन

हस्ताक्षर विक्रेता

रमा रंजन शर्मा
स्टाम्प विक्रेता
जे.जी.ए. परिसर, जयपुर
लाइसेंस नं 13/2012

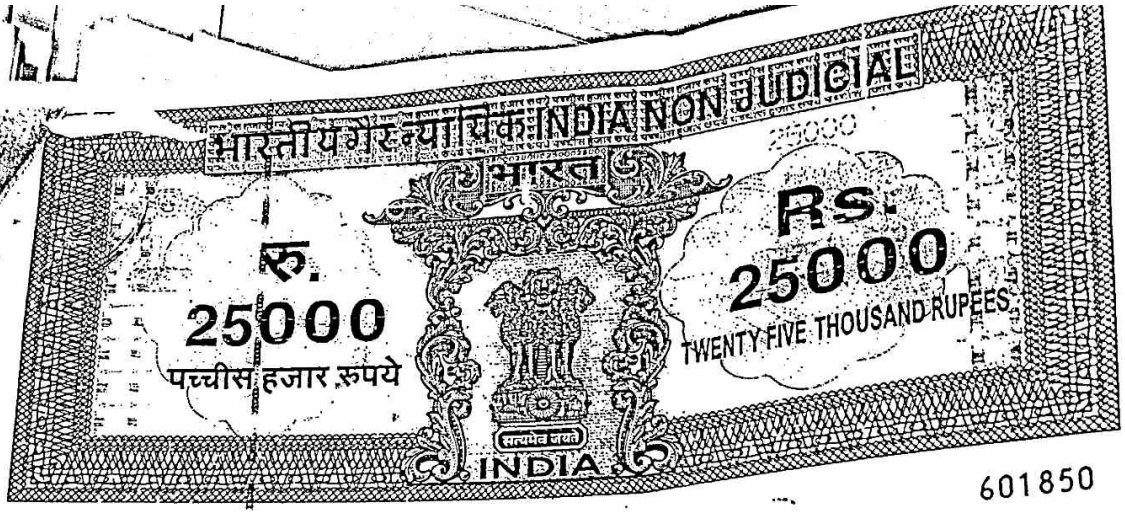

601850

राजस्थान RAJASTHAN

उपायुक्त जोन-13 जयपुर विकास प्राधिकरण

कार्यालय उप पंजीयक राजस्व विभाग

नीजी खातेदारी

खसरा 33, 34/686

उप पंजीयक
आमेर (जयपुर)

एडमिन एवं प्रा. कृत अधिकारी
जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

THE JAIBAGH PALACE

GENERAL MANAGER

क्रमांक 7775 दिनांक 27 FEB 2015
मुद्रांक का मूल्य 4,00,000/-
क्रेता का नाम वाधवा कान्ट्रेक्टर्स एन्ड बिल्डर्स प्रा.लि.
पिता/पति का नाम
पता जयपुर, राज.
मुद्रांक का प्रयोजन
हस्ताक्षर विक्रेता

रमा रजत
स्टाम्प विक्रेता
जे.डी.ए. परिसर, जयपुर
लाइसेंस नं 13/2012

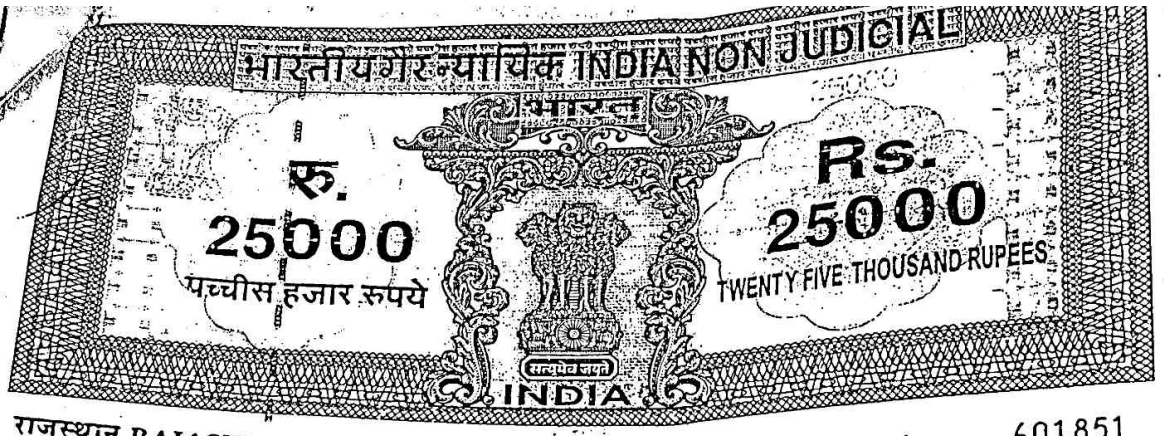

राजस्थान RAJASTHAN

601851

नीजी खातेदारी रजिस्ट्रार कुमारावत
खसरा 33, 34/686 10,400.00/-
कार्यालय 1,56,730 + 10/-
रूपये

उपायुक्त एवं अतिरिक्त अधिकारी
जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उप पंजीयक
आमेर (जयपुर)

THE JAIBAGH PALACE
GENERAL MANAGER

क्रमांक 7774 दिनांक 27 FEB 2015

मुद्रांक का मूल्य 1,00,000)

क्रेता का नाम वायन कार्पोरेट एवं रिलेटेड प्रा. लि.

पिता/पति का नाम

पता जयपुर, जयपुर

मुद्रांक का प्रयोजन

हस्ताक्षर विक्रेता

रमा रंजन शर्मा
स्टाम्प विक्रेता
जे.डी.ए. परिसर, जयपुर
लाइसेंस नं 13/2012

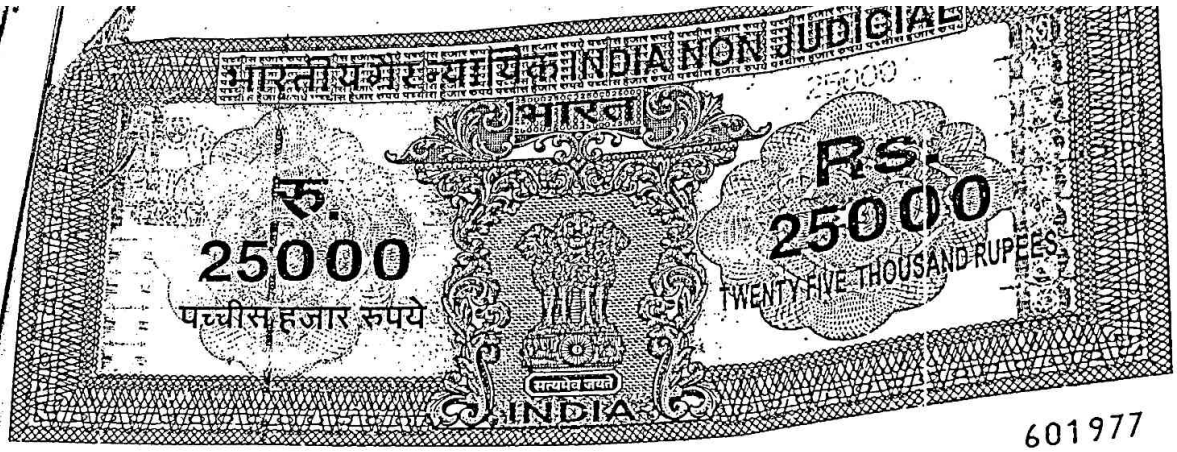

601977

राजस्थान RAJASTHAN

उपायुक्त जोन-13 जयपुर विकास प्राधिकरण

कार्यालय उप पंजीयक पंजियन शिविर जिलपुरा

नीजी खातेदारी भूमि/ग्राम/कस्बा/तहसील/
खसरा 83, 34/681, 104.00 बीघा
क्षेत्रफल 25 156.7.30+10 वि.
रूपये के रजि. किये.

उपायुक्त एवं अतिरिक्त अधिकारी
जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उप पंजीयक
आमेर (जयपुर)

THE JAIBAGH PALACE
GENERAL MANAGER

क्रमांक 7776 दिनांक 27 FEB 2015

मुद्रांक का मूल्य 56720

क्रेता का नाम वायन वान्ड्रेस एण्ड सिक्योरिटी प्रा लि

पिता/पति का नाम

पता जयपुर

मुद्रांक का प्रयोजन

हस्ताक्षर

रमा रंजन शर्मा
स्टाम्प विक्रेता
जे.डी.ए. परिसर, जयपुर
लाइसेंस नं 13/2012

601976

राजस्थान RAJASTHAN

71

उपायुक्त जोन-13 जयपुर विकास प्राधिकरण

सहायक उप पंजीयक

नीजी स्टाम्पवारी [illegible]
खसरा 33,34/686 104000.00 रु-
कार्यालय [illegible] 15673010 रु-
रुपये की राशि [illegible]

उपायुक्त एवं [illegible] अधिकारी
जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उप पंजीयक
आमेर (जयपुर)

THE JAIBAGH PALACE
GENERAL MANAGER

क्रमांक 7774 दिनांक 27 FEB 2015

मुद्रांक का मूल्य 100,000

क्रेता का नाम वामन व्यावसायिक विकास प्राइवेट लिमिटेड

पिता/पति का नाम

पता मुंबई महाराष्ट्र

मुद्रांक का प्रयोजन

हस्ताक्षर विक्रेता

रमा रंजन शर्मा
स्टाम्प विक्रेता
जे.डी.ए. परिसर, जयपुर
लाइसेंस नं 13/2012

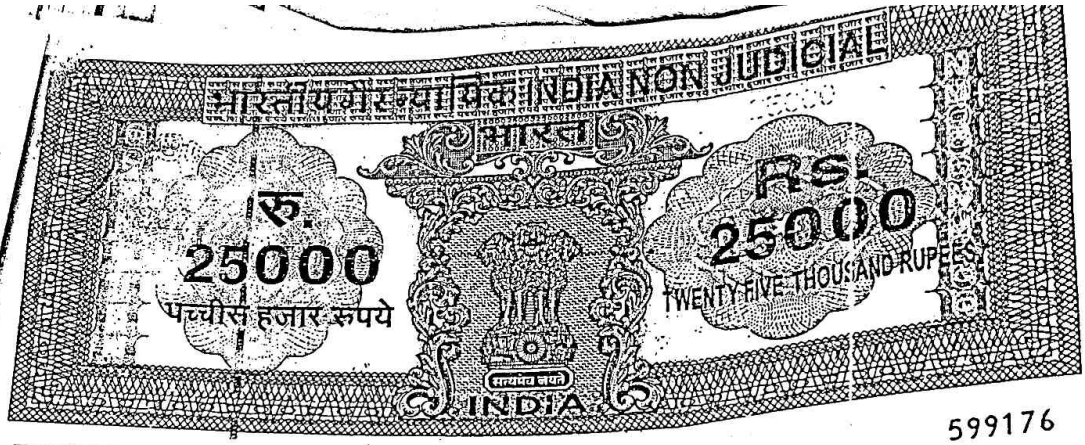

599176

राजस्थान RAJASTHAN

उपायुक्त जोन-13 जयपुर विकास प्राधिकरण

कार्यालय उप पंजीयक पंजियन विभाग जयपुर (जय.रा.)

पीछे आवेदक : मेसर्स प्रतिभा एसोसिएट्स
बसवा 34/686 104.00.00 वर्ग मी.
वर्गगज 124.44 156,730+10 रु-
रुपये के स्टाम्प

उपायुक्त एवं अतिरिक्त अधिकारी
जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उप पंजीयक
जयपुर (राज.)

THE JAIBAGH PALACE

GENERAL MANAGER

क्रमांक 7776 दिनांक 27 FEB 2015

मुद्रांक का मूल्य ₹6720

क्रेता का नाम वामन वायरलेस एन्ड सिक्योरिटी प्रा.लि.

पिता/पति का नाम

पता जयपुर

मुद्रांक का प्रयोजन

हस्ताक्षर विक्रेता

रमा रजन शर्मा
स्टाम्प विक्रेता
जे.डी.ए. परिसर, जयपुर
लाइसेंस नं 13/2012

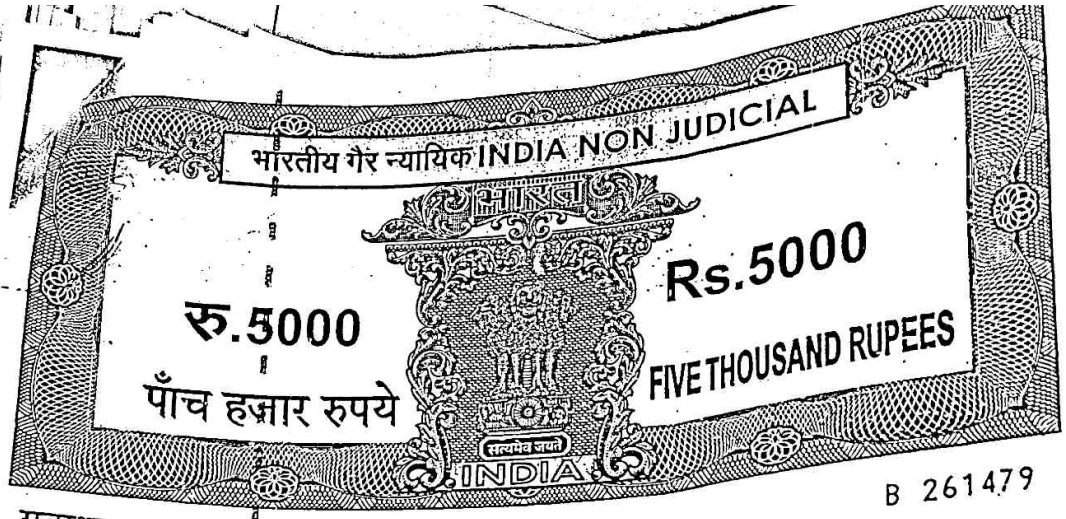

B 261479

राजस्थान RAJASTHAN

उपायुक्त जोन-13

उपखण्ड अधिकारी

उपायुक्त एवं पदेन अधिकारी
जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

THE JAIBAGH PALACE

GENERAL MANAGER

क्रमांक 7776 दिनांक 27 FEB 2015

मुद्रांक का मूल्य ₹6720

क्रेता का नाम [illegible]

पिता/पति का नाम

पता [illegible]

मुद्रांक का प्रयोजन

हस्ताक्षर विक्रेता

रमा शर्मा
स्टाम्प विक्रेता
जे.डी.ए. परिसर, जयपुर
लाइसेंस नं 13/2012

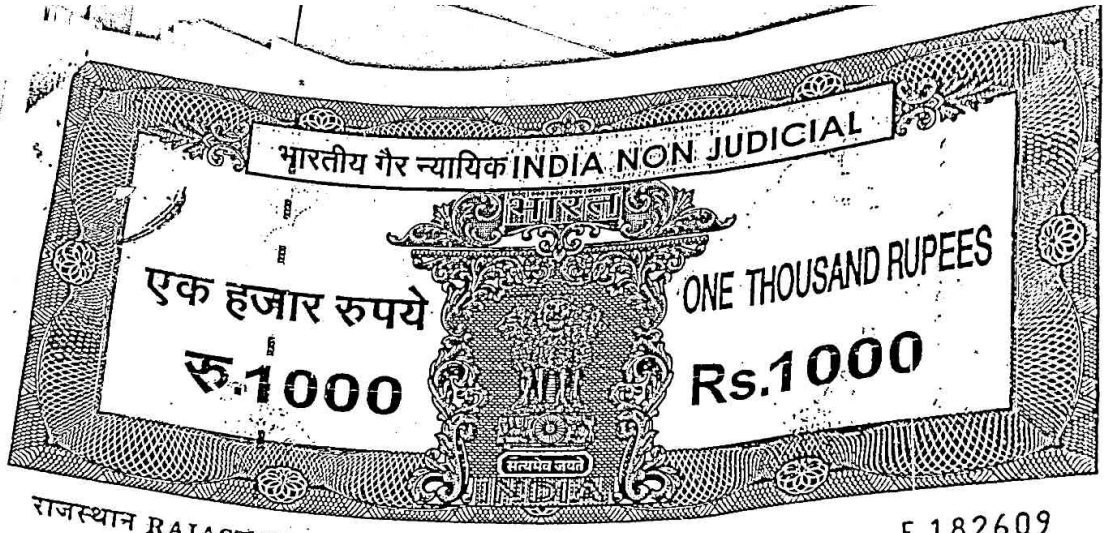

राजस्थान RAJASTHAN

E 182609

उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण

उप नियंत्रक
आमेर (जयपुर)

THE JAIBAGH PALACE

GENERAL MANAGER

क्रमांक 7776 दिनांक 27 FEB 2015

मुद्रांक का मूल्य 567200

क्रेता का नाम [illegible]

पिता/पति का नाम [illegible]

पता [illegible]

मुद्रांक का प्रयोजन [illegible]

हस्ताक्षर [illegible]

रमा रजन [illegible]
स्टाम्प विक्रेता
जे.डी.ए. परिसर, जयपुर
लाइसेंस नं 13/201[illegible]

राजस्थान RAJASTHAN 88AA 154074

नीड़ी खातेदारी भूमि प्रकरण/वाली
पेटा: आमेर
खसरा नं. 33,34/686 क्षेत्रफल 10400.00 वर्ग मी.
वर्गगज या वर्ग फीट 12530+10 वर्ग-
रुपये के स्टाम्प खरीदा है।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उप पंजीयक
आमेर (जयपुर)

THE JAIBAGH PALACE
GENERAL MANAGER

क्रमांक 7777 दिनांक 27 FEB 2015

मुद्रांक का मूल्य 10

क्रेता का नाम कामन वाल्थ्स एजुकेशनल ट्रस्ट लिमिटेड

पिता/पति का नाम

पता जुलस, जयपुर

मुद्रांक का प्रयोजन

हस्ताक्षर विक्रेता

रमा रजक

स्टाम्प विक्रेता
जे.डी.ए. परिसर, जयपुर
लाइसेंस नं 13/2012

नौजी खातेदारी ~~नजराणा~~ पट्टा
~~ई.मात्र~~ ~~तेरवा~~
खसरा 33, 34/686 10400.00 व.मी.
वर्गगज को लीज रेट 1567310 फि-
रुपये के स्टाम्प संलग्न है।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उप पंजीयक
आमेर (जयपुर)

THE JAIBAGH PALACE

GENERAL MANAGER

रसीद क्र. 7776 दिनांक 27 FEB 2015

मुद्रांक का मूल्य 56720/-

क्रेता का नाम आयन वाटरस्पेशलिटी प्रा० लि०

पिता/पति का नाम ...

पता ... जयपुर

मुद्रांक का प्रयोजन ...

हस्ताक्षर विक्रेता ...

Pravin
(प्रवीण शर्मा)
स्टाम्प विक्रेता
जी.डी.ए. परिसर, जयपुर
लाइसेंस नं 13/2012

65

SITE PLAN FOR RESORT

KHASARA NO. - 33, 34/686 KACHERWALA, AMER.

AREA - 10,400 SQ. MT.
SCALE- 1 CM = 10M
ALL DIMENSION IN MT.
PARAMETERS
MAX. COVERAGE AREA - 20%
MAX. HEIGHT :- 9.0
STD. F.A.R. :- 0.2
FOR CONSTRUCTION OF BUILDING JDA BY-LAWS WILL BE APPLICABLE.

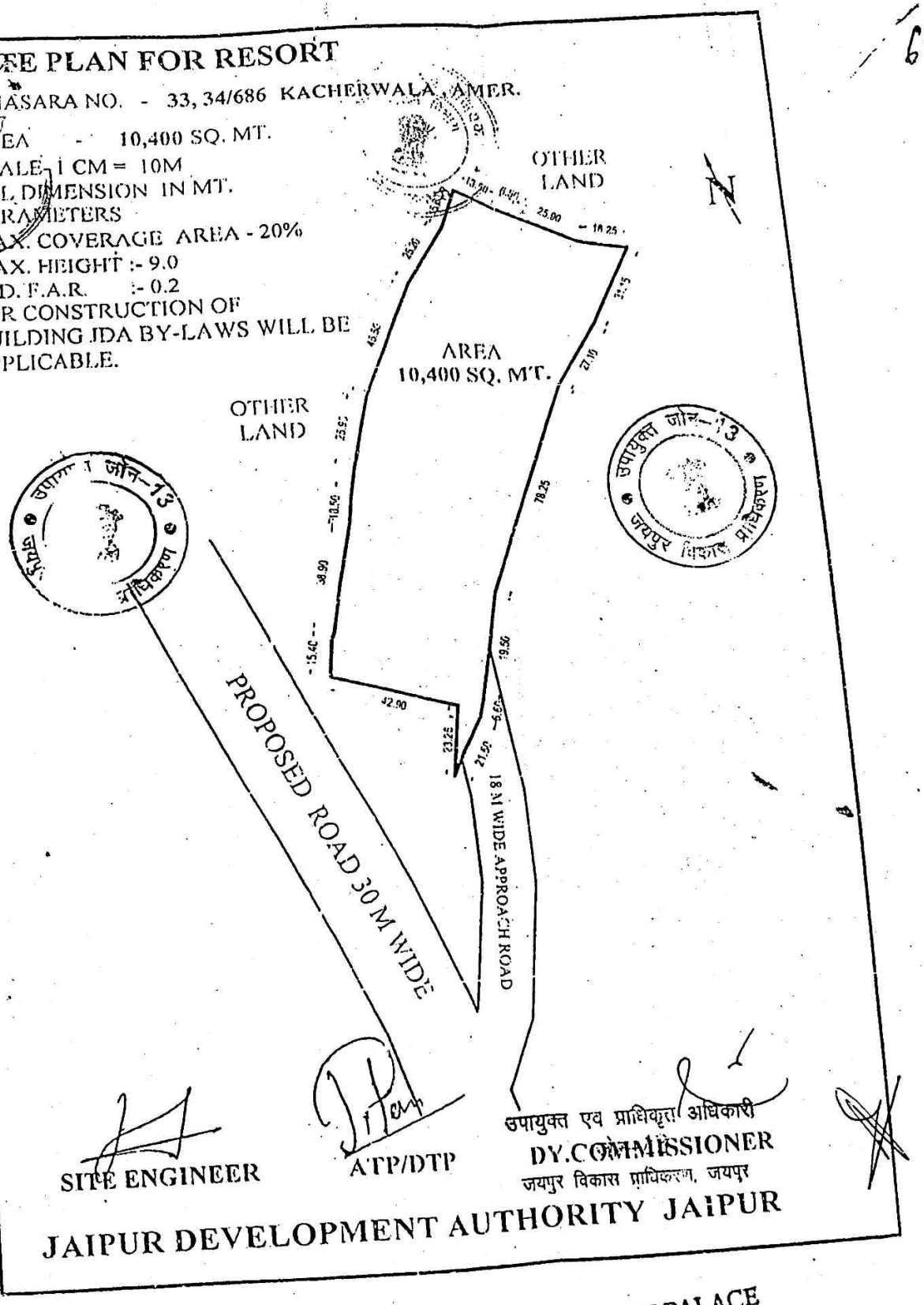

SITE ENGINEER

ATP/DTP

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
DY.COMMISSIONER
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR

THE JAIBAGH PALACE

GENERAL MANAGER

Annexure-6

Government of Rajasthan
Forest, Environment & Climate Change Department

F.No.6(3)Env/2017 Part1 Dated 26.09.2023

Circular

Eco Sensitive Zones (ESZs) are notified around Protected Areas (PAs) to provide required buffer. ESZs have already been notified for many PAs while for many others, the process of notifying ESZs is in various stages.

After notification of ESZ, Zonal Master Plan (ZMP) is supposed to be prepared and published to provide guidance for taking up various economic activities in these areas. Preparation and publication of ZMPs for few ESZs has been done and for others, it is in various stages.

Reference are being received regarding regulation of activities in ESZs, which have been notified but for which ZMPs have not been finalized as well as those where ESZs are yet to be notified and thus have default width of 10 kms.

The matter has been examined and to provide required clarity, following guidelines are hereby issued:

1. For PAs for which ESZs notification have been issued but ZMPs are yet to be finalized:

Notifications for ESZs use words “existing” and “new” with respect to hotels, resorts etc. It is hereby clarified that such hotels, resorts, etc. would be considered “existing”, which are having any of the following documents prior to date of issue of notification for that ESZ:-

(i) Electricity connection for non-agricultural use.
(ii) Approval by Tourism Department as tourism unit.
(iii) Conversion order/ Patta for non-agricultural use.
(iv) Building plan approval.
(v) Order regarding change in land use.
(vi) Proof of deposit of tax as hotel, resort, etc.
(vii) CTE/ CTO/ Environmental clearance.

Hotels, resorts, etc. which don’t have any of these documents prior to the date of issue of notification for that ESZ would be considered “new”.

RajKaj Ref No. : 4785371

2. PAs for which ESZ is yet to be notified:

These are cases where default ESZ is 10 km around PA. ESZ notification for such PAs would be issued only after the issue of this Circular. Such notifications for ESZs are also likely to have classification of hotels, resorts, etc. in two categories– "new" and "existing". Accordingly it is clarified that such hotels, resorts, etc. in the area of default ESZ of such PAs may be considered "existing", which have any of the seven categories of documents listed in this Circular, issued prior to the date of issue of this circular or the date of issue of notification for that ESZ, whichever is later.

Rajasthan State Pollution Control Board and District Monitoring Committee of ESZs shall use this guidance for deciding and regulation of cases of these categories in ESZs.

(Monali Sen, IFS)
Director cum Joint Secretary

Copy to :

1. Special Assistant to Hon'ble Minister, Environment & Forests, Govt. of Rajasthan, Jaipur.
2. PS to Additional Chief Secretary, Revenue Department, Govt. of Rajasthan, Jaipur.
3. PS to Principal Secretary, UDH Department, Govt. of Rajasthan, Jaipur.
4. PS to Principal Secretary, Tourism Department, Govt. of Rajasthan, Jaipur.
5. PS to Secretary, Local Self Government, Govt. of Rajasthan, Jaipur.
6. Principal Chief Conservator of Forest & Head of Forest Force(HoFF), Rajasthan, Jaipur with request to circulate it to all concerned.
7. Principal Chief Conservator of Forest & Chief Wild Life Warden(CWLW), Rajasthan, Jaipur.
8. All Divisional Commissioners, Rajasthan.
9. All District Collectors, Rajasthan.
10. Guard File.

Director cum Joint Secretary

RajKaj Ref No. : 4785371

Annexure-7

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

शहरी जमाबन्दी के आधार पर रिसोर्ट प्रयोजनों के लिये भूमि पट्टा-विलेख

(राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 'ख' के प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित भू-खण्डों के रूपान्तरण हेतु)

यह इकरारनामा जो आज दिनांक ..... 200 को, आवंटन/विक्रय-पत्र संख्या ..... सन् ..... की राजस्थान राज्य के राज्यपाल [illegible] इसमें इसके पश्चात् सरकार कह कर सम्बोधित किया गया है और द्वारा विकास प्राधिकरण ओर श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पत्नी ..... व्यवसाय ..... निवासी ..... (जिनको इसमें इसके पश्चात् पट्टेदार कह कर सम्बोधित किया गया है और इस इकरार में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकील अलैह भी सम्मिलित होंगे) के बीच लिखा गया है।

इस बात का साक्षी है कि रुपये ..... अक्षरे ..... रुपये ..... पैसे मात्र की रकम के नियमन शुल्क जो पट्टेदार द्वारा अदा कर दिया गया है (और जिसकी रसीद सरकार इसके द्वारा स्वीकार करती है) और इसमें उल्लिखित शर्तों और करारों जो पट्टेदार द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेंगे के एवज में सरकार इसके द्वारा पट्टेदार को जमीन का वह तमाम प्लाट (जो इसके बाद उक्त भूखण्ड कह कर सम्बोधित किया गया है) नियमन और आवंटित करती है जो ग्राम [illegible] योजना में स्थित है और जो अपनी सीमाओं और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्ण रूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में दिखलाया गया है, और जिसे पूर्व स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, वैध शर्तों और करारों के अधीन पट्टेदार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

1. उक्त भूखण्ड शहरी जमाबन्दी के आधार पर लीज होल्ड पर आवंटित किया गया है। लीज की अवधि, 99 वर्ष होगी।
2. (अ) पट्टेदार, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय में या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत अन्य स्थान पर प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भू-खण्ड के संबंध में आरक्षित दर ..... रुपये प्रतिवर्ग मीटर की दर से कुल राशि ..... रुपये की 5% की दर से शहरी जमाबन्दी जमा करायेगा। निर्धारित तिथी 31 मार्च तक जमा नहीं कराने की दशा में नियमानुसार देय ब्याज राशि वसूल की जावेगी। 31 मार्च से पूर्व अग्रिम शहरी जमाबन्दी जमा कराने पर 10% की छूट भी देय होगी। एक मुश्त शहरी जमा बन्दी जमा है।

(ब) दस वर्ष की अग्रिम शहरी जमाबन्दी एकमुश्त जमा कराने पर लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र प्रदत्त किया जावेगा। साथ ही राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प-5 (2) न.वि.वि./3/99 दिनांक 15.11.99 के अनुसार आवंटित भूखण्ड पर शहरी जमाबन्दी आरक्षित दर के बजाय केवल नियमन राशि ..... रुपये की 5% प्रतिवर्ष की दर से देय होगी।

3. शहरी जमाबन्दी की निर्धारित धनराशि में प्रत्येक 15 वर्ष व्यतीत होने के तुरन्त पश्चात् तथा प्रत्येक हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। 15 वर्ष की अवधि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से संगणित की जायेगी।
4. उपरोक्त तारीख तक किसी रकम या परिवर्धित रकम या उसके किसी अंश की जो शहरी जमाबन्दी के कारण वाजिब हो, अदायगी न करने पर सरकार ऐसी रकम या उसके अंश को उस तरीके से जो उस समय मालगुजारी के बकाया की वसूली के लिये निर्देशित किया गया है, वसूल करेगी और वसूल करने के लिये सक्षम होगी।
5. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल रिसोर्ट के प्रयोजनों के आशय से किसी भवन के बनवाने में ही होगा। निर्मित भूखण्ड के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.7.99 क्रमांक प-5(3) न.वि.वि./3/99 द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों में एवं जविप्रा विनियम 1996 व समय-समय पर इनमें संशोधनों के अन्तर्गत निर्माण कराना होगा तथा अवैध निर्माण के सम्बन्ध में संबंधित विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
6. यह भूखण्ड रिसोर्ट है। अतः उस पर भवन निर्माण ज.वि.प्रा.से स्वीकृत मानचित्र के आधार पर किया जावेगा एवं सेट बैक साइट प्लान के अनुसार छोड़ने होंगे तथा प्राधिकरण के बिल्डिंग बाइलॉज के अनुसार निर्माण किया जाना होगा। इसके लिए भूखण्ड धारक द्वारा प्रस्तावित निर्माण के लिये निर्धारित आवेदन पत्र मय मानचित्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

   भूखण्ड पर निर्माण जविप्रा के प्रचलित भवन विनियम के तहत किया जावेगा।
7. इस लीज डीड के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए गिरवी रखा जा सकेगा।

[illegible], आवेदक

THE JAIBAGH PALACE

GENERAL MANAGER

नियमा क अनुसार प्राधिकरण से करवाना होगा।

9. पट्टेदार उक्त भूखण्ड या उस पर बनाये गये भवन या भवनों को, या उन दोनों के किसी भाग को किसी ऐसे उद्देश्य के लिये उपयोग में नहीं लायेगा जो पिछले पद में निर्देशित आशय के असंगत है बिना सरकार या सरकार के ऐसे अधिकारी की लिखित सहमति के जो उसके द्वारा नियुक्त किया गया हो, न तो उपयोग में लावेगा और न उपयोग में लाने की अनुमति ही देगा।

10. लीज धारक सक्षम अधिकारी को सीधे ही भूमि का किराया, उपकर और स्थानीय कर मय ब्याज और लीज डीड के अनुसार उक्त जमीन या उसके किसी भाग के समर्पण पर पट्टेदार द्वारा बनाई गई भवन, इमारत या इमारतों, अन्य गृह या इन तामीरों के किसी भाग में या उस समय आयद किये या लगाये गये अन्य कानूनों अदा करेगा।

11. पट्टेदार द्वारा आवंटन पत्र की शर्तों पूर्व किसी उपरोक्त शर्तों की पूर्ण पालना की जावेगी। यदि किसी भी शर्त या शर्तों का उल्लंघन किया गया तो उक्त भूखण्ड एवं उस पर बने हुए भवन, यदि कोई हो, सहित उक्त भूखण्ड बिना किसी मुआवजे की प्राप्ति के अधिग्रहण कर लिया जावेगा।

12. यदि पट्टा विलेख जारी होने के उपरान्त यह तथ्य सामने आते हैं कि गलत तथ्यों के आधार पर या कार्यालय त्रुटि के कारण तथ्यों के विपरीत सहवन से लीजडीड जारी हो गया है तो उसे विधिक प्रक्रिया अपनाकर प्राधिकरण द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।

नोट :-- इस भूखण्ड की नियमन राशि..... रु. प्रति वर्ग गज की पंजीकृत मूल्य राशि
रु. 32304.00/- होती है। अतएव स्टाम्प 11959-11960 संख्या 02
के हैसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं। 1616977.0

कस्बे का नाम जयपुर विस्तृत नाप क्षेत्रफल सहित	पूर्व ..... पश्चिम	ड संख्या 14355/41/42, 48	सीमा	पूर्व परिचम उत्तर दक्षिण	स्थल मानचित्र संलग्न है
	उत्तर ..... दक्षिण	योजना का नाम कीरा बाला			
	समिति का नाम				

इस राशि 11679.02 रुपये

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से

आज सन् 200 ..... के ..... वें दिन
श्री प्रकाश चन्द्र टाक RAS सक्षम उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी जोन-13
अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोन ..... 13 ..... जयपुर ने जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
निम्न की उपस्थिति में जयपुर में हस्ताक्षर किये। सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

साक्षी:-

1. नाम .....
   पिता/पति का नाम रहमत उल्लाह
   व्यवसाय श्री हाजी रहमत उल्लाह
   निवास स्थान पेंशनर्स सेवा जयपुर
   ..... साक्षी के हस्ताक्षर
2. नाम .....
   पिता/पति का नाम .....
   व्यवसाय .....
   निवास स्थान .....
   ..... साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक ..... 200 ..... को
निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री .....
खरीददार द्वारा कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में हस्ताक्षर किये गये। ..... खरीददार के हस्ताक्षर

साक्षी:-

1. नाम रमेश चन्द्र शर्मा
   पिता/पति का नाम श्री विष्णु चन्द्र शर्मा
   व्यवसाय सरकारी नौकरी
   निवास स्थान ए-4 हसूट स्कूल एपार्टमेन्ट जयपुर
   ..... साक्षी के हस्ताक्षर
2. नाम गोविन्द प्रसाद पुष्पा
   पिता/पति का नाम श्री किशोरी लाल पुष्पा
   व्यवसाय सर्विस
   निवास स्थान एपाएम, चितरंजन पार्क, अजमेर रोड जयपुर
   ..... साक्षी के हस्ताक्षर

15

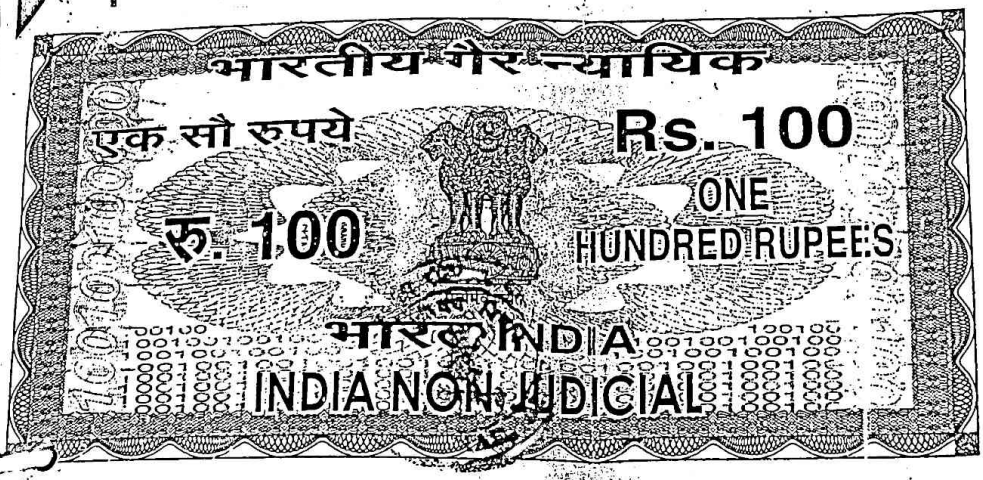

राजस्थान RAJASTHAN

M 426957

Union Bank of India
B-100,University Marg,
Bapunagar
JAIPUR

भारत STAMP DUTY RAJASTHAN
00000 SPECIAL ADHESIVE
Rs.≈0016060≈ -6.11.2010
714491 RAJASTHAN
INDIA --Zero-Zero-One--Six--Zero-Six--Zero---

F/4/(300)(8)VST/FRANK/BANK/0062

1404 5422307

उपायुक्त जोन-13 जयपुर विकास प्राधिकरण

नीजी खातेदारी की रिसारी
ग्राम कटेवा तहसील जिला में भूखण्ड संख्या 34, 35, 41, 42, 47, 48
खसरा नं. ..... क्षेत्रफल ...11-67.9-02
वर्गमीटर की लीज राशि हेतु ...66.160 + 10
रूपये के स्टाम्प रहीन है।

उपायुक्त एवं प्रशिक्षण अधिकारी
जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उप पंजीयक, आदी

आज दिनांक 18 माह नवम्बर सन् 2010 को 04:01 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री VIRENDRA SINGH JHALA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BHAWAR SINGH
उम्र 37 वर्ष, जाति RAJPUT व्यवसाय BUSINESS
निवासी 103 MILLENUM PLAZA UPAR GOVIND NAGAR MALAT EAST
MUMBAI null
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
(2010064005363)
(Lease deed for local bodies (Patta))

हस्ताक्षर उपपंजीयक
AMER

रसीद नं0	[20100640042991]
दिनांक	[18-11-2010]
पंजीयन शुल्क रू0	3230
प्रतिलिपि शुल्क रू0	0
पृष्ठांकन शुल्क रू0	300
अन्य शुल्क रू0	0
कमी स्टाम्प शुल्क रू0	0
कुल योग रू0	3530

(2010064005363)
((Lease deed for local bodies (Patta)))

उपपंजीयक AMER

16

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

34AA 284938

नीली खातेदारी की [illegible]
योजना में [illegible] 35, 34, 41, 42, 47, 48
खसरा नं. ..... क्षेत्रफल 16.29.00 बि.
दर कीमत की लीज डीड हेतु 16.60+10
रूपये के स्टाम्प संलग्न है।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपायुक्त जोन-13 जयपुर विकास प्राधिकरण

THE JAIBAGH PALACE
GENERAL MANAGER

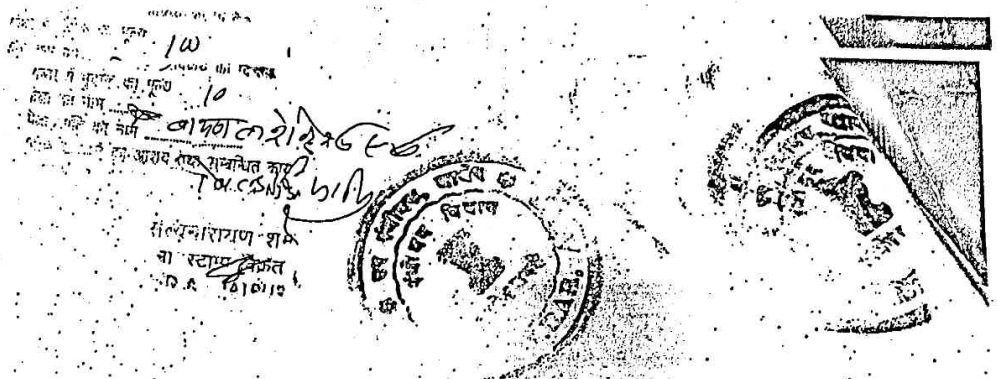

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant) Signature Photo Thumb

1 -M/S BAYAN CONTRACTORS AND BUILDERS PVT.LTD. JARIYE DIR.VIRENDRA SINGH JHALA / BHAWAR SINGH
उम्र -37 वर्ष जाति - RAJPUT, व्यवसाय -BUSINESS
निवासी - 103 MILLENUM PLAZA UPAR GOVIND NAGAR MALAT EAST MUMBAI

(And Claiment)
1 -JDA / JDA
उम्र -0 वर्ष जाति - null व्यवसाय -NA
निवासी -JAIPUR

ने लेखपत्र Lease deed for local bodies (Patta) को पढ़ सुनने व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल राशी रू0 323040/- पूर्व में/मेरेसमक्ष / : । सें रू0 323040/- पूर्व में ---------- मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान
1- श्री/श्रीमती/सुश्री BHIM SINGH,
पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री GAMER SINGH
उम्र -38 वर्ष जाति-RAJPUT व्यवसाय -BUSINESS
निवासी VARDMAN COLONY UDAIPUR,,

ने की है जिनके समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठ के निशान मेरे समक्ष लिये गये हैं।

(2010064005363)
Lease deed for local bodies (Patta)

उप पंजीयक, AMER

आज दिनांक :18/11/2010 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 427
में पृष्ठ संख्या 3 क्रम संख्या 2010064003873पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1211
के पृष्ठ संख्या 17 से 26
पर चस्पा किया गया।

(2010064005363)
Lease deed for local bodies (Patta)

THE JAISAGH PALACE
GENERAL MANAGER

(3)

Stamps and Registration Department
OFFICE OF SUB REGISTRAR AMER
AMER
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT

Fee Receipt No	2015064001199	Date	08/03/2015
Presenter Name	M/S BAYAN CONT.AND BUILDERS	Document S. No	999
Presenter/Property Address	PVT.LTD. JARIYE VIRENDRA SINGH JHALA		
Document Type	Sale Deed (Conveyance deed)		
Claiment Name		Payment Mode	Cash
Face Value	0	Evaluated Value 0	Stamp Value 0
Case Detail	CASE NO. 1206/2010 DIS.DATE 09-02-2011		

Ord- registration fee	0	commssion	0
csi_more_50000	0	custody	0
stamp(memorandom)	0	reg(memorandom)	0
Penalty	300	us_57	0
stamp duty	149815	Surcharge	0
us_25_34	0	others	10
us_64_67	0	Inspection_fee	0
Intrest	28320		
		Total :	178445

One Lakh Seventy Eight Thousand Four Hundred Forty Five Only

Cashier

उप पंजीयक
अमेर (जयपुर)
Sub Registrar AMER

THE JAIBAGH PALACE
GENERAL MANAGER

Government of Rajasthan
e-Registration Fee Receipt

87

SECON

SRO Unique ID	2015064001332R		
S R Location	AMER	Receipt Date	08-MAR-2015 13:24
Receipt No	RJ1308231503843		
Name Of Seller	J D A		
Name Of Buyer	BAYAN CONTRACTORS AND BUILDERS PVT LTD DIR BHIM SINGH CHUNDAWAT		
Type of Document	Article 33(C)(II) Lease Deed For Local Bodies (Patta)		
ACC Reference	SHCIL/SHCIL RAJASTHAN/AMER		

Paid Fees

Particulars	Amount (Rs.)	Particulars	Amount
Registration Fees	₹ 50000	CSI	
Copy of Fees	₹ 0	Record Inspection Fees	
Late Fees	₹ 0	Commission Fees	
Other Charges	₹ 0		
Total Amount	₹ 50300	Service Charges	₹ 40
Grand Total	₹ 50340		

(Rupees Fifty Thousand Three Hundred Forty Only)

कार्यालय उप पंजियक पंजियन विभाग

Statutory Alert : The authenticity of this receipt should be verified at www.shcilestamp.com . Any discrepancy in the details on this rec and as available on the website renders it invalid.

THE JAIBAGH PALACE
GENERAL MANAGER

86

INDIA NON JUDICIAL

Government of Rajasthan

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	IN-RJ02192871748259N
Certificate Issued Date	08-Mar-2015 01:19 PM
Account Reference	SHCIL (FI)/ rjshcil01/ AMER/ RJ-RU
Unique Doc. Reference	SUBIN-RJRJSHCIL0102339301416739N
Purchased by	BAYAN CONTRACTORS AND BUILDERS PVT LTD
Description of Document	Article 33(c)(II) Lease Deed for Local Bodies (Patta)
Property Description	K NO. 33,34/686, KACHERAWALA TEH AMER DIST JAIPUR
Consideration Price (Rs.)	31,34,552 (Thirty One Lakh Thirty Four Thousand Five Hundred And Fifty Two only)
First Party	J D A
Second Party	BAYAN CONTRACTORS AND BUILDERS PVT LTD
Stamp Duty Paid By	BAYAN CONTRACTORS AND BUILDERS PVT LTD
Stamp Duty Amount(Rs.)	2,40,744 (Two Lakh Forty Thousand Seven Hundred And Forty Four only)

उप पंजीयक आमेर (जयपुर)

.....Please write or type below this line.....

उप पंजीयक
आमेर (जयपुर)

0001501347

VoID VoID VoID VoID VoID VoID VoID VoID VoID VoID

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

THE JAIBAGH PALACE
GENERAL MANAGER

जयपुर विकास प्राधिकरण,

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष 2015 के माह 05 के 7 वे दिन *जयपुर विकास प्राधिकरण/ 2024
इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री/श्रीमती/मैसर्स [illegible] (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्यातक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह जखम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना निजी रजतेदारी (रिसोर्ट) राजस्व ग्राम कदेराबाद्या तह. आमेर के खसरा/भूखण्ड संख्या 33, 34/686, क्षेत्रफल 10,400.00 वर्ग मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है, तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिस पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और हस्तांतरण के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात:-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 79,613.75 अंके उन्यासी हजार छः सौ तेरह रु. 75 मात्र पेशगी अदा करेगा, जिसे लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारिय नगरीय निर्धारक (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. पट्टेदार द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय में या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत अन्य स्थान पर नियमन दर नि:शुल्क रुपये प्रति वर्गगज से कुल नियमन राशि नि:शुल्क रुपये देय होती है जो चालान नं. N.A. दिनांक N.A. से जमा है। इसका 2.5 प्रतिशत की दर से शहरी जमाबन्दी देय है। आदेश क्रमांक : एफ-9(15) यू.डी./3/2001 दिनांक 15.1.2002 से 8 वर्षीय लीज राशि 6,36,910.00 रुपये होती है, जो चालान नं. 338504 दिनांक 28.7.14 से जमा है।
3. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
4. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।
5. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल रिसोर्ट हेतु प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाऐगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
6. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
7. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में निहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होगें।
8. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकायको आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ इस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी : परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
9. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
10. यदि आबंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आबंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आबंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकास में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।
11. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/ एच.डी.एफ.सी अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

* जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

(कृ.प.उ.)

उपायुक्त एव प्राधिकृत अधिकारी
जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उप पंजीयक
आमेर (जयपुर)

THE JAIBAGH PALACE
GENERAL MANAGER

परिशिष्ट

कस्बे का नाम:-
राजस्व ग्राम: कच्चेरावासा
खसरा नम्बर: 33,34,1686
योजना का नाम: निजी खेतेदारी
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्ग गज/ 10,400.00 व.मी

पूर्व - पश्चिम - भूखण्ड की
कोई हो - सीमा उत्तर - दक्षिण -
मानचित्र संलग्न है।

नोट:- इस भूखण्ड की शहरी जमाबन्दी को जोडकर पंजीकृत मूल्य राशि रु. 31,34,552=00 होती है। अतएव स्टाम्प राशि रु. 1,56,730=00 के नं. 7776, 7777 के कुल संख्या 13 बहैसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते है।

इसके साक्ष्य के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।

जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से

आज सन् 20.15 के माह 3 के 2 वें दिन
श्री वीरबल सिंह डोरवाल RAS
ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये-

जयपुर विकास प्राधिकरण, प्रथम पक्ष
उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

साक्षी :-

1. नाम
पुत्र सुरेश कुमार मोदी
व्यवसाय श्री राधेश्याम मोदी
निवास स्थान प्राधिकरण सेवा, जयपुर

साक्षी

2. नाम
पुत्र राम प्रसाद मीणा
व्यवसाय पुत्र श्री (स्व.) गोपाल मीणा
निवास स्थान प्राधिकरण सेवा, जयपुर

साक्षी

आज ..... सन् 20..... के माह .....
के ..... वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त
श्री .....
लीजधारक द्वारा कार्यालय ..... में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक-द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम अशोक कुमार पांचाल
पुत्र श्री राम दयाल पांचाल
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान 16 मालवीय नगर दुर्गापुरा जयपुर

साक्षी

2. नाम सुनील पांचाल
पुत्र श्री [illegible] पांचाल
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान 11 मालवीय नगर मालवीय नगर जयपुर

साक्षी

उप. नायक
आ... ...पुर

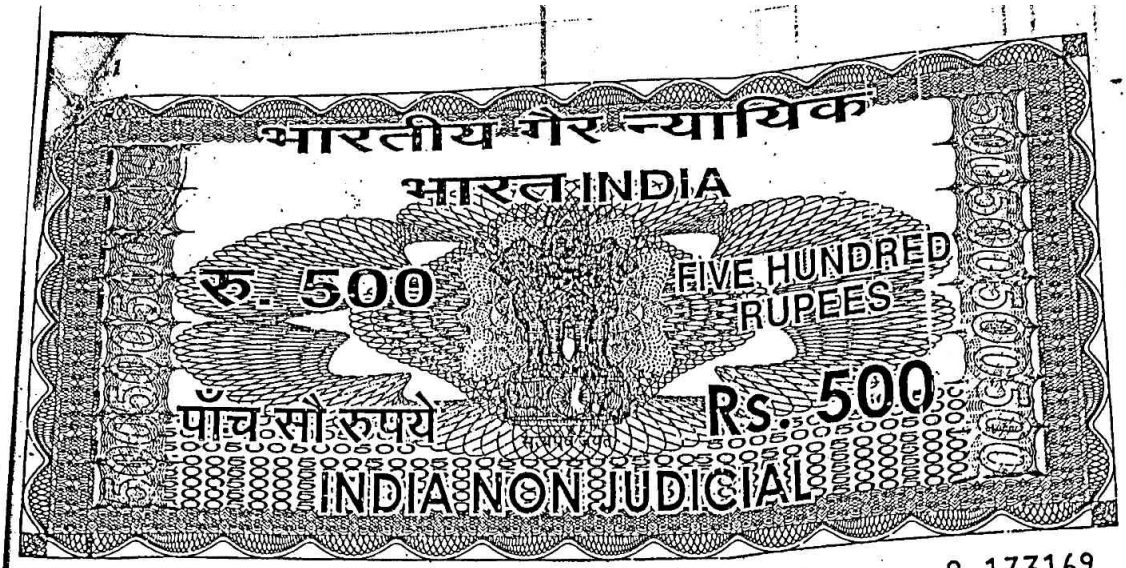

C 173169

राजस्थान RAJASTHAN

उपायुक्त जोन-13 जयपुर विकास प्राधिकरण

कार्यालय उप पंजीयक पंजीयन विभाग आमेर (जयपुर)

पक्षकार : मेसर्स ग्रांड चौपाल
खसरा नं. 34/626 ... 10400.00 वर्ग मी.
वर्गगज को ... 1547.30+10 कि.
रूपये के स्टाम्प संलग्न हैं।

उपायुक्त एवं पदेन अधिकारी
जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उप पंजीयक
आमेर (जयपुर)

THE JAIBAGH PALACE
GENERAL MANAGER

कस्बे का नाम: —

क्रमांक 7776 दिनांक 27 FEB 2015
मुद्रांक का मूल्य ₹620
क्रेता का नाम
पिता/पति का नाम वापण व्यापार इन्वेस्टमेन्ट प्रा०
पता उदयपुर
मुद्रांक का प्रयोजन
हस्ताक्षर

रमा रजन शर्मा
स्टाम्प विक्रेता
जे.डी.ए. परिसर, उदयपुर
लाइसेंस नं. 13/2013

आज दिनांक 8 माह मार्च सन् 2015 को 01:28 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री BHEEM SINGH CHURAWAT पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री GAMER SINGH
उम्र 24 वर्ष, जाति RAJPUT व्यवसाय BUSINESS
निवासी 24 VARDMAN NAGAR HIRAN MANGRI UDAYPUR null null
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर, प्रस्तुतकर्ता
(2015064001332)
(Lease deed for local bodies (Patta))

हस्ताक्षर उपपंजीयक
AMER उप पंजीयक
आमेर (जयपुर)

रसीद नं0	[2015064001200]
दिनांक	[8-3-2015]
पंजीयन शुल्क रू0	50000
प्रतिलिपि शुल्क रू0	0
पृष्ठांकन शुल्क रू0	300
अन्य शुल्क रू0	0
कमी स्टाम्प शुल्क रू0	0
कुल योग रू0	50300

(2015064001332) उपपंजीयक AMER
((Lease deed for local bodies (Patta))

82

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

06AA 073380

उपायुक्त जोन-13 जयपुर विकास प्राधिकरण

कार्यालय उप पंजीयक पंजियन विभाग जयपुर

नौजी खातेदारी मृदक भूमि अधिकार

खसरा नं. 35/34/686 क्षेत्रफल 10400 वर्गगज

वर्गगज की कीमत रु. 156730+10

रुपये के स्टाम्प लगाना है।

उपायुक्त एवं पदेन अधिकारी
जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

THE JAIBAGH PALACE

GENERAL MANAGER

27 FEB 2015

क्रमांक 7776 दिनांक

मुद्रांक का मूल्य 56720

क्रेता का नाम

विक्रेता का नाम

पता

मुद्रांक का प्रयोजन

हस्ताक्षर किये गये

(विक्रय विलेख)
ए.डी.ए. परिसर, जयपुर
लाइसेंस नं 13/2013

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)

1 -M/S BAYAN CONT.AND BUILDERS PVT.LTD. JARIYE DIR. BHEEM SINGH CHURAWAT / GAMER SINGH
उम्र -24 वर्ष जाति - RAJPUT, व्यवसाय -BUSINESS
निवासी - 24 VARDMAN NAGAR HIRAN MANGRI UDAYPUR

Signature | Photo | Thumb

(And Claiment)

1 -JDA / JDA
उम्र -0 वर्ष जाति - null व्यवसाय -NA
निवासी -JAIPUR

ने लेख्यपत्र Lease deed for local bodies (Patta) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल राशी रू0 3134552/- पूर्व में/मेरेसमक्ष / मे से रू0 3134552/- पूर्व में -------- मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1- श्री/श्रीमती/सुश्री ASHOK KUMAR PANCHAL
पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री RAM DAYAL PANCHAL
उम्र -44 वर्ष जाति-BRAHMAN व्यवसाय -BUSINESS
निवासी 16 MADHAV NAGAR DURGAPURA JAIPUR,,

ने की है जिनके समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गये हैं।

(2015064001332)

Lease deed for local bodies (Patta)

उप पंजीयक
AMER (जयपुर)

राजस्थान RAJASTHAN

06AA 073380

नीजी खातेदारी
खसरा 33,34/686 10400=00
वर्गगज की दर 15.730+10
रूपये के स्टाम्प लगाये है।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

THE JAIBAGH PALACE
GENERAL MANAGER

क्रमांक 7776 दिनांक 27 FEB 2015

मुद्रांक का मूल्य 56720

क्रेता का नाम आयन कंस्ट्रक्शन एण्ड बिल्डर्स प्रा.लि.

पता 22 बस, जयपुर

मुद्रांक का प्रयोजन

हस्ताक्षर विक्रेता

विक्रेता
जी.डी.ए. परिसर, जयपुर
लाइसेंस नं 13/2014

उप पंजीयक
आमेर (जयपुर)

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)

1 -M/S BAYAN CONT.AND BUILDERS PVT.LTD. JARIYE DIR. BHEEM SINGH CHURAWAT / GAMER SINGH
उम्र -24 वर्ष जाति - RAJPUT, व्यवसाय -BUSINESS
निवासी - 24 VARDMAN NAGAR HIRAN MANGRI UDAYPUR

Signature Photo Thumb

(And Claiment)

1 -JDA / JDA
उम्र -0 वर्ष जाति - null व्यवसाय -NA
निवासी -JAIPUR

ने लेख्यपत्र Lease deed for local bodies (Patta) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल राशी रू0 3134552/- पूर्व में/मेरेसमक्ष / मे से रू0 3134552/- पूर्व में ——— मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1- श्री/श्रीमती/सुश्री ASHOK KUMAR PANCHAL
पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री RAM DAYAL PANCHAL
उम्र -44 वर्ष जाति-BRAHMAN व्यवसाय -BUSINESS
निवासी 16 MADHAV NAGAR DURGAPURA JAIPUR,,

ने की है जिनके समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठे के निशान मेरे समक्ष लिये गये हैं।

(2015064001332)
Lease deed for local bodies (Patta)

उप पंजीयक
AMER
आमेर (जयपुर)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

RS-20

रु.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

06AA 073380

राजस्थान RAJASTHAN

उपायुक्त जोन-13 जयपुर विकास प्राधिकरण

कार्यालय उप पंजीयक मंजियन विभाग जयपुर

नौजी खादेदारी मूल्यांकन

खसरा नं. 35/686 10400-

वर्गगज में लोन 15630+10

रूपये के स्टाम्प लगाने है।

उपायुक्त एवं पदेन अधिकारी

जोन-13

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

THE JAIBAGH PALACE

GENERAL MANAGER

क्रमांक 7776 दिनांक 27 FEB 2015

मुद्रांक का मूल्य 56720

क्रेता का नाम बायन कॉन्ट्रेक्टर्स एंड बिल्डर्स प्रा.लि.

पता जयपुर, राज.

मुद्रांक का प्रयोजन

हस्ताक्षर विक्रेता

विक्रेता

उप पंजीयक

उ.उ.पं. जयपुर, राज.

लाइसेंस सं 13/2011

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)

1 -M/S BAYAN CONT.AND BUILDERS PVT.LTD. JARIYE DIR. BHEEM SINGH CHUNAWAT / GAMER SINGH उम्र -24 वर्ष जाति - RAJPUT, व्यवसाय -BUSINESS निवासी - 24 VARDMAN NAGAR HIRAN MANGRI UDAYPUR

Signature

Photo

Thumb

(And Claimant)

1 -JDA / JDA

उम्र 0 वर्ष जाति - null व्यवसाय -NA

निवासी -JAIPUR

ने लेख्यपत्र Lease deed for local bodies (Patta) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल राशी रू0 3134552/- पूर्व में/मेरेसमक्ष / मे से रू0 3134552/- पूर्व में ---------- मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1- श्री/श्रीमती/सुश्री ASHOK KUMAR PANCHAL पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री RAM DAYAL PANCHAL उम्र 44 वर्ष जाति-BRAHMAN व्यवसाय -BUSINESS निवासी 16 MADHAV NAGAR DURGAPURA JAIPUR,,

ने की है जिनके समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठे के निशान मेरे समक्ष लिये गये हैं।

(2015064001332)

Lease deed for local bodies (Patta)

उप पंजीयक

उप पंजीयक

AMER (जयपुर)

आमेर (जयपुर)

राजस्थान RAJASTHAN

06AA 073380

नीजी खातेदारी मूलत: प्रतिलिपि
ह.ह. आम
खसरा 85,84/686 10400-w
वर्गगज को दीक्षा [illegible] 156.730 + 10
रुपये के स्टाम्प लगाने हैं।

उपायुक्त एवं पदेन अधिकारी
जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

THE JAIBAGH PALACE
GENERAL MANAGER

क्रमांक 7776 दिनांक 27 FEB 2015

मुद्रांक का मूल्य 56720

क्रेता का नाम ...

विक्रेता का नाम ...

पता ...

मुद्रांक का प्रयोजन ...

हस्ताक्षर विक्रेता ...

उप पंजीयक
उ.डी.पु. परिसर, उदयपुर
लाइसेंस नं 13/2013

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)

1 -M/S BAYAN CONT.AND BUILDERS PVT.LTD. JARIYE DIR. BHEEM SINGH CHURAWAT / GAMER SINGH
उम्र -24 वर्ष जाति - RAJPUT, व्यवसाय -BUSINESS
निवासी - 24 VARDMAN NAGAR HIRAN MANGRI UDAYPUR

Signature Photo Thumb

(And Claimant)

1 -JDA / JDA
उम्र -0 वर्ष जाति - null व्यवसाय -NA
निवासी -JAIPUR

ने लेख्यपत्र Lease deed for local bodies (Patta) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल राशी रू0 3134552/- पूर्व में/मेरेसमक्ष / मे से रू0 3134552/- पूर्व में -------- मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1- श्री/श्रीमती/सुश्री ASHOK KUMAR PANCHAL
पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री RAM DAYAL PANCHAL
उम्र -44 वर्ष जाति-BRAHMAN व्यवसाय -BUSINESS
निवासी 16 MADHAV NAGAR DURGAPURA JAIPUR,,

ने की है जिनके समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

(2015064001332)

Lease deed for local bodies (Patta)

उप पंजीयक
आमेर (जयपुर)

राजस्थान RAJASTHAN

06AA 073380

नीजी खातेदारी नकल शुल्क अभिलेख
दि. 30/12
खसरा 35/34/686 10400/-
वर्गगज की दर 15.6730 + 10
रुपये ले स्टाम्प लगा है।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

THE JAIBAGH PALACE
GENERAL MANAGER

27 FEB 2015

क्रमांक 7776 दिनांक

मुद्रांक का मूल्य 56720

क्रेता का नाम बायन कॉन्ट्रेक्टर्स एण्ड बिल्डर्स प्रा. लि.

पिता / पति का नाम

पता जयपुर

मुद्रांक का प्रयोजन

हस्ताक्षर विक्रेता

विक्रय

रजिस्ट्रेशन

उप पंजीयक, परिसर, जयपुर

लाइसेंस नं 13/2013

उप पंजीयक + रजिस्ट्रेशन विभाग

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)

1 -M/S BAYAN CONT.AND BUILDERS PVT.LTD. JARIYE DIR. BHEEM SINGH CHURAWAT / GAMER SINGH
उम्र -24 वर्ष जाति - RAJPUT, व्यवसाय -BUSINESS
निवासी - 24 VARDMAN NAGAR HIRAN MANGRI UDAYPUR

Signature Photo Thumb

(And Claiment)

1 -JDA / JDA
उम्र -0 वर्ष जाति - null व्यवसाय -NA
निवासी -JAIPUR

ने लेख्यपत्र Lease deed for local bodies (Patta) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल राशी रू0 3134552/- पूर्व में/मेरेसमक्ष / मे रें रू0 3134552/- पूर्व में -------- मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1- श्री/श्रीमती/सुश्री ASHOK KUMAR PANCHAL
पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री RAM DAYAL PANCHAL
उम्र -44 वर्ष जाति-BRAHMAN व्यवसाय -BUSINESS
निवासी 16 MADHAV NAGAR DURGAPURA JAIPUR,,

ने की है जिनके समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

(20150640013 32)

Lease deed for local bodies (Patta)

उप पंजीयक
AMER
आमेर (जयपुर)

77

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

06AA 073380

उपायुक्त जोन-13 जयपुर विकास प्राधिकरण

कार्यालय उप पंजीयक पंजियन विभाग जयपुर (जयपुर)

नीजी खातेदारी भवन शुल्क मध्यवर्ती

C.E. 3117

खसरा 35/34/686 10400=00

वर्गफल की दर 15.730+10

रुपये की रसीद संख्या 61

उपायुक्त एवं पदेन अधिकारी

जोन-13

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

THE JAIBAGH PALACE

GENERAL MANAGER

क्रमांक 7776 दिनांक 27 FEB 2015

मुद्रांक का मूल्य 56720

क्रेता का नाम बायन कॉन्ट्रेक्टर एंड बिल्डर्स प्रा.लि.

पता बस्सी, जयपुर

मुद्रांक का प्रयोजन

हस्ताक्षर किया गया

रामप्रताप शर्मा
उप पंजीयक, बगरू
लाइसेंस नं 13/2013

उप पंजीयक

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)

1 -M/S BAYAN CONT.AND BUILDERS PVT.LTD. JARIYE DIR. BHEEM SINGH CHURAWAT / GAMER SINGH
उम्र -24 वर्ष जाति - RAJPUT, व्यवसाय -BUSINESS
निवासी - 24 VARDMAN NAGAR HIRAN MANGRI UDAYPUR

Signature Photo Thumb

(And Claiment)

1 -JDA / JDA
उम्र -0 वर्ष जाति - null व्यवसाय -NA
निवासी -JAIPUR

ने लेख्यपत्र Lease deed for local bodies (Patta) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल राशी रू0 3134552/- पूर्व में/मेरेसमक्ष / मे सें रू0 3134552/- पूर्व में -------- मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1- श्री/श्रीमती/सुश्री ASHOK KUMAR PANCHAL
पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री RAM DAYAL PANCHAL
उम्र -44 वर्ष जाति-BRAHMAN व्यवसाय -BUSINESS
निवासी 16 MADHAV NAGAR DURGAPURA JAIPUR,,

ने की है जिनके समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठ के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

(2015064001332)

Lease deed for local bodies (Patta)

उप पंजीयक
AMER
आमेर (जयपुर)

मौके पर तहसीलदार ... (पेन-डाउन कार्यवाही)
दि. ... संख्या/
खसरा 33, 34/686 10400.00 वर्ग मी.
वर्गगज ... 15623.10
रूपये के स्टाम्प लगाये।

उपायुक्त एवं अधिकृत अधिकारी
जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

THE JAIBAGH PALACE
GENERAL MANAGER

क्रमांक 7776 दि. 27 FEB 2015

मुद्रांक का मूल्य 56720

क्रेता का नाम को.प्र.न. ट्रेडर्स एंड कंस्ट्रक्शन प्रा.लि.

पिता/पति का नाम

पता

दस्तावेज का प्रयोजन

स्टाम्प विक्रेता

रजनी शर्मा
स्टाम्प विक्रेता
जे.डी.ए. परिसर, जयपुर
लाईसेंस नं. 13/2012

कार्यालय उप पंजीयक नगर विकास विभाग राजस्थान

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र
की मालियत रूपये 14455858
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 0 पर कमी पंजीयन शुल्क रूपये 50000 कुल रूपये 50000 जरिये रसीद सं
ख्या [2015064001200]
दिनांक [8-3-2015] में जमा किये गये है।
अतः दस्तावेज को रूपये 361340
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

(2015064001332) उप पंजीयक AMER
(Lease deed for local bodies (Patta))

आज दिनांक 8/3/2015 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 552
में पृष्ठ संख्या 152 क्रम संख्या 201506400752पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1714
के पृष्ठ संख्या 9 से 40
पर चस्पां किया गया।

(2015064001332) उप पंजीयक AMER
Lease deed for local bodies (Patta)

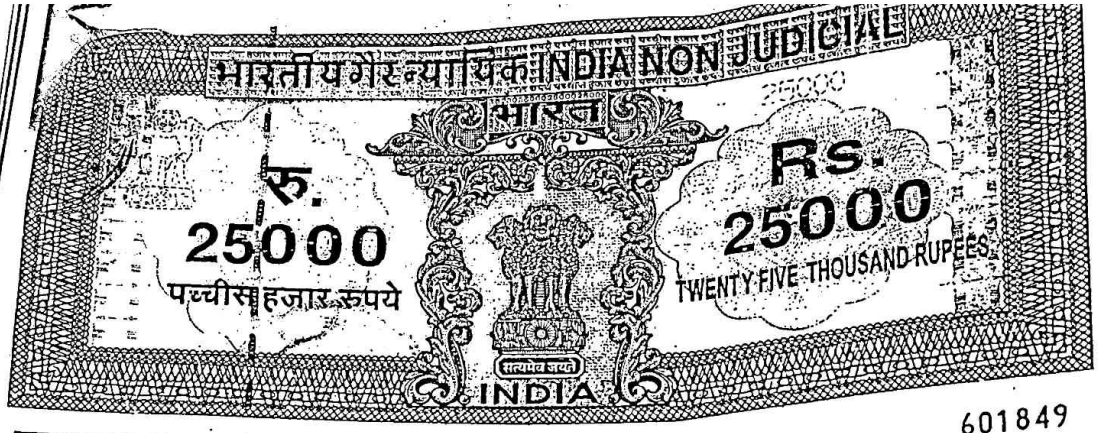

75

601849

राजस्थान RAJASTHAN

उपायुक्त जोन-13 जयपुर विकास प्राधिकरण

कार्यालय उप पंजीयक पंजीयन विभाग आमेर (जयपुर)

प्रति की खातेदारी ट्रस्ट का कब्जा नाम
पट्टा/डी.डी. नोटरी से प्राप्त संख्या
खसरा 33/34/686 10400-00 वर्ग मी.
दर्गज 1567306-
रूपये के स्टाम्प

उपायुक्त एवं अधिकृत अधिकारी
जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उप पंजीयक
आमेर (जयपुर)

THE JAIBAGH PALACE
GENERAL MANAGER

क्रमांक 7774 दिनांक 27 FEB 2015

मुद्रांक का मूल्य 100,000/-

क्रेता का नाम

पिता/पति का नाम

पता

मुद्रांक का प्रयोजन

हस्ताक्षर विक्रेता

रमा रंजन शर्मा
स्टाम्प विक्रेता
जे.जी.ए. परिसर, जयपुर
लाइसेंस नं 13/2012

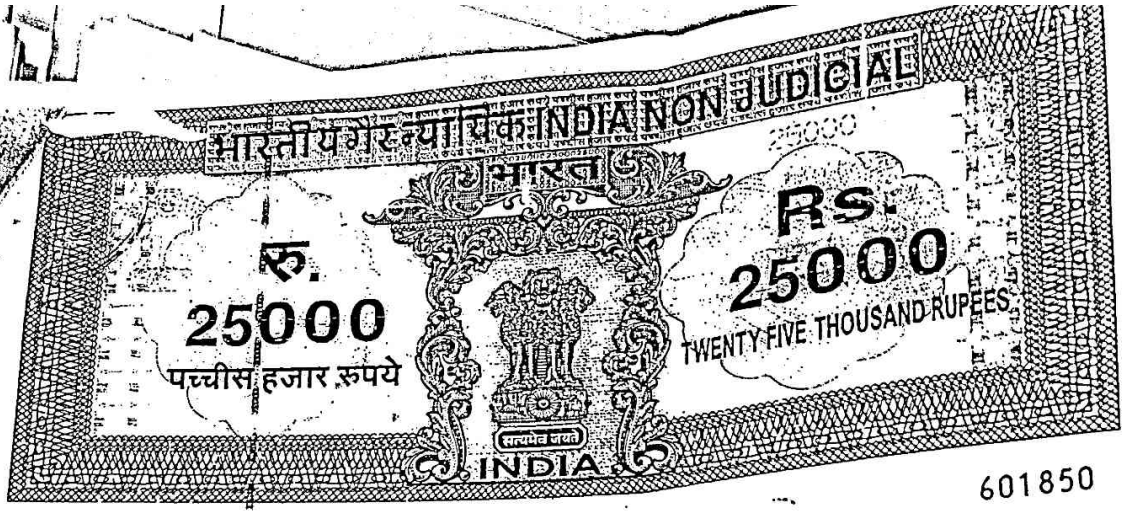

601850

राजस्थान RAJASTHAN

उपायुक्त जोन-13 जयपुर विकास प्राधिकरण

कार्यालय उप पंजीयक राजस्व विभाग

नीजी खातेदारी

खसरा 33, 34/686

उप पंजीयक
आमेर (जयपुर)

एडमिन एवं प्रा. कृत अधिकारी
जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

THE JAIBAGH PALACE

GENERAL MANAGER

क्रमांक 7775 दिनांक 27 FEB 2015
मुद्रांक का मूल्य 4,00,000/-
क्रेता का नाम वाधवा कान्ट्रेक्टर्स एन्ड बिल्डर्स प्रा.लि.
पिता/पति का नाम
पता जयपुर, राज.
मुद्रांक का प्रयोजन
हस्ताक्षर विक्रेता

रमा रजत
स्टाम्प विक्रेता
जे.डी.ए. परिसर, जयपुर
लाइसेंस नं 13/2012

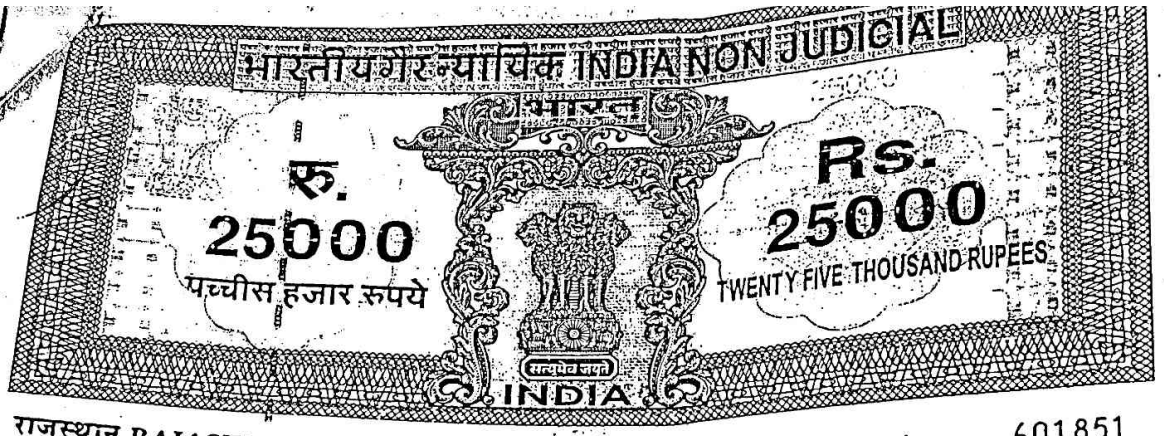

राजस्थान RAJASTHAN

601851

नीजी खातेदारी रजिस्ट्रार कुमारावत
खसरा 33, 34/686 10,400.00/-
कार्यालय 1,56,730 + 10/-
रूपये

उपायुक्त एवं अतिरिक्त अधिकारी
जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उप पंजीयक
आमेर (जयपुर)

THE JAIBAGH PALACE
GENERAL MANAGER

क्रमांक 7774 दिनांक 27 FEB 2015

मुद्रांक का मूल्य 1,00,000)

क्रेता का नाम वायन कार्पोरेट एवं रिलेटेड प्रा. लि.

पिता/पति का नाम

पता जयपुर, जयपुर

मुद्रांक का प्रयोजन

हस्ताक्षर विक्रेता

रमा रंजन शर्मा
स्टाम्प विक्रेता
जे.डी.ए. परिसर, जयपुर
लाइसेंस नं 13/2012

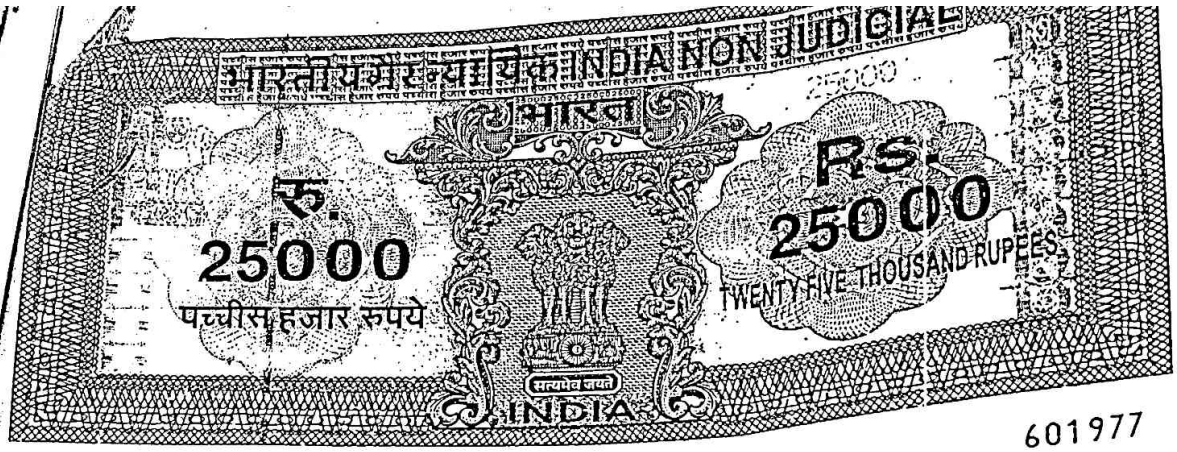

601977

राजस्थान RAJASTHAN

उपायुक्त जोन-13 जयपुर विकास प्राधिकरण

कार्यालय उप पंजीयक पंजियन शिविर जिलपुरा

नीजी खातेदारी भूमि/ग्राम/कस्बा/तहसील/
खसरा 83, 34/681, 104.00 बीघा
क्षेत्रफल 25 156.7.30+10 वि.
रूपये के रजि. किये.

उपायुक्त एवं अतिरिक्त अधिकारी
जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उप पंजीयक
आमेर (जयपुर)

THE JAIBAGH PALACE
GENERAL MANAGER

क्रमांक 7776 दिनांक 27 FEB 2015

मुद्रांक का मूल्य 56720

क्रेता का नाम वायन वान्ड्रेस एण्ड सिक्योरिटी प्रा लि

पिता/पति का नाम

पता जयपुर

मुद्रांक का प्रयोजन

हस्ताक्षर

रमा रंजन शर्मा
स्टाम्प विक्रेता
जे.डी.ए. परिसर, जयपुर
लाइसेंस नं 13/2012

601976

राजस्थान RAJASTHAN

71

उपायुक्त जोन-13 जयपुर विकास प्राधिकरण

सहायक उप पंजीयक

नीजी स्टाम्पवारी [illegible]
खसरा 33,34/686 104000.00 रु-
कार्यालय [illegible] 15673010 रु-
रुपये की राशि [illegible]

उपायुक्त एवं [illegible] अधिकारी
जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उप पंजीयक
आमेर (जयपुर)

THE JAIBAGH PALACE
GENERAL MANAGER

क्रमांक 7774 दिनांक 27 FEB 2015

मुद्रांक का मूल्य 100,000

क्रेता का नाम वामन व्यावसायिक विकास प्राइवेट लिमिटेड

पिता/पति का नाम

पता मुंबई महाराष्ट्र

मुद्रांक का प्रयोजन

हस्ताक्षर विक्रेता

रमा रंजन शर्मा
स्टाम्प विक्रेता
जे.डी.ए. परिसर, जयपुर
लाइसेंस नं 13/2012

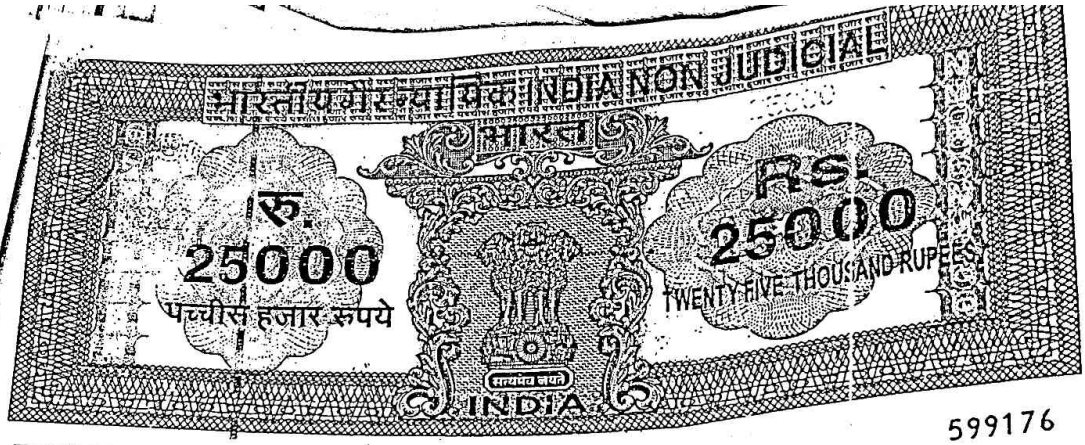

599176

राजस्थान RAJASTHAN

उपायुक्त जोन-13 जयपुर विकास प्राधिकरण

कार्यालय उप पंजीयक पंजियन विभाग जयपुर (जय.रा.)

पीछे आवेदक : मेसर्स प्रतिभा एसोसिएट्स
बसवा 34/686 104.00.00 वर्ग मी.
वर्गगज 124.44 156,730+10 रु-
रुपये के स्टाम्प

उपायुक्त एवं अतिरिक्त अधिकारी
जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उप पंजीयक
जयपुर (राज.)

THE JAIBAGH PALACE

GENERAL MANAGER

क्रमांक 7776 दिनांक 27 FEB 2015

मुद्रांक का मूल्य ₹6720

क्रेता का नाम वामन वायरलेस एन्ड सिक्योरिटी प्रा.लि.

पिता/पति का नाम

पता जयपुर

मुद्रांक का प्रयोजन

हस्ताक्षर विक्रेता

रमा रजन शर्मा
स्टाम्प विक्रेता
जे.डी.ए. परिसर, जयपुर
लाइसेंस नं 13/2012

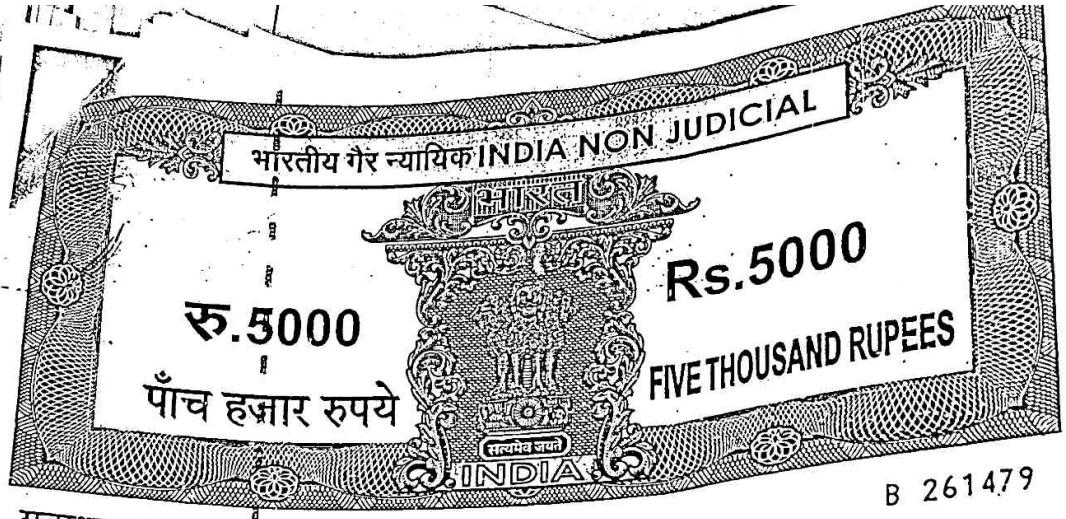

B 261479

राजस्थान RAJASTHAN

उपायुक्त जोन-13

उपखण्ड अधिकारी

उपायुक्त एवं पदेन अधिकारी
जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

THE JAIBAGH PALACE

GENERAL MANAGER

क्रमांक 7776 दिनांक 27 FEB 2015

मुद्रांक का मूल्य ₹6720

क्रेता का नाम [illegible]

पिता/पति का नाम

पता [illegible]

मुद्रांक का प्रयोजन

हस्ताक्षर विक्रेता

रमा शर्मा
स्टाम्प विक्रेता
जे.डी.ए. परिसर, जयपुर
लाइसेंस नं 13/2012

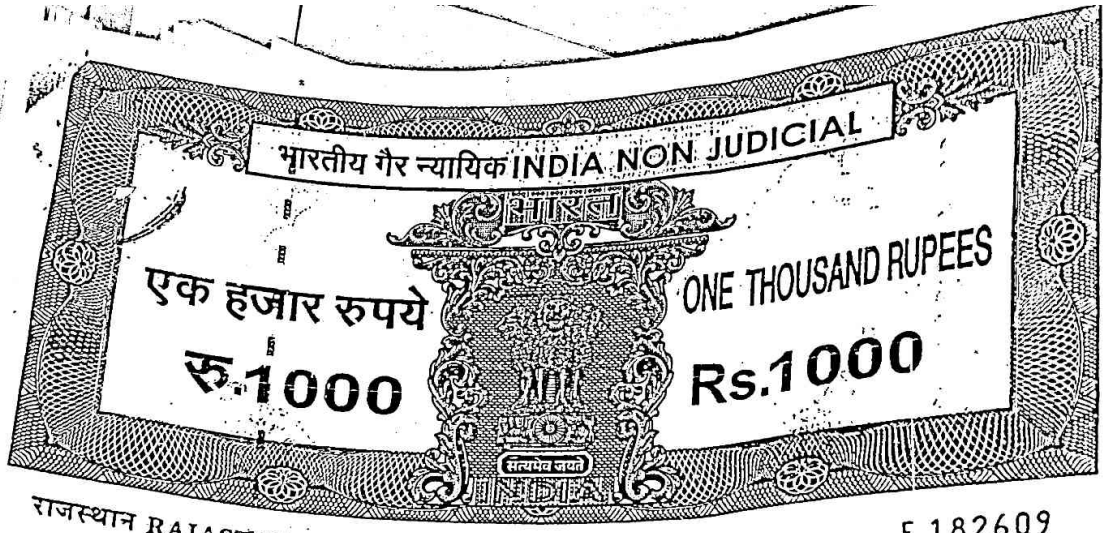

राजस्थान RAJASTHAN

E 182609

उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण

उप नियंत्रक
आमेर (जयपुर)

THE JAIBAGH PALACE

GENERAL MANAGER

क्रमांक 7776 दिनांक 27 FEB 2015

मुद्रांक का मूल्य 567200

क्रेता का नाम [illegible]

पिता/पति का नाम [illegible]

पता [illegible]

मुद्रांक का प्रयोजन [illegible]

हस्ताक्षर [illegible]

रमा रजन [illegible]
स्टाम्प विक्रेता
जे.डी.ए. परिसर, जयपुर
लाइसेंस नं 13/201[illegible]

राजस्थान RAJASTHAN 88AA 154074

नीड़ी खातेदारी भूमि प्रकरण/वाली
पेटा: आमेर
खसरा नं. 33,34/686 क्षेत्रफल 10400.00 वर्ग मी.
वर्गगज या वर्ग फीट 12530+10 वर्ग-
रुपये के स्टाम्प खरीदा है।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उप पंजीयक
आमेर (जयपुर)

THE JAIBAGH PALACE
GENERAL MANAGER

क्रमांक 7777 दिनांक 27 FEB 2015

मुद्रांक का मूल्य 10

क्रेता का नाम कामन वाल्थ्स एजुकेशनल ट्रस्ट लिमिटेड

पिता/पति का नाम

पता जुलस, जयपुर

मुद्रांक का प्रयोजन

हस्ताक्षर विक्रेता

रमा रजक

स्टाम्प विक्रेता
जे.डी.ए. परिसर, जयपुर
लाइसेंस नं 13/2012

नौजी खातेदारी ~~नजराणा~~ पट्टा
~~ई.मात्र~~ ~~तेरवा~~
खसरा 33, 34/686 10400.00 व.मी.
वर्गगज को लीज रेट 1567310 फि-
रुपये के स्टाम्प संलग्न है।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उप पंजीयक
आमेर (जयपुर)

THE JAIBAGH PALACE

GENERAL MANAGER

रसीद क्र. 7776 दिनांक 27 FEB 2015

मुद्रांक का मूल्य 56720/-

क्रेता का नाम आयन वाटरस्पेशलिटी प्रा० लि०

पिता/पति का नाम ...

पता ... जयपुर

मुद्रांक का प्रयोजन ...

हस्ताक्षर विक्रेता ...

Pravin
(प्रवीण शर्मा)
स्टाम्प विक्रेता
जी.डी.ए. परिसर, जयपुर
लाइसेंस नं 13/2012

65

SITE PLAN FOR RESORT

KHASARA NO. - 33, 34/686 KACHERWALA, AMER.

AREA - 10,400 SQ. MT.
SCALE- 1 CM = 10M
ALL DIMENSION IN MT.
PARAMETERS
MAX. COVERAGE AREA - 20%
MAX. HEIGHT :- 9.0
STD. F.A.R. :- 0.2
FOR CONSTRUCTION OF BUILDING JDA BY-LAWS WILL BE APPLICABLE.

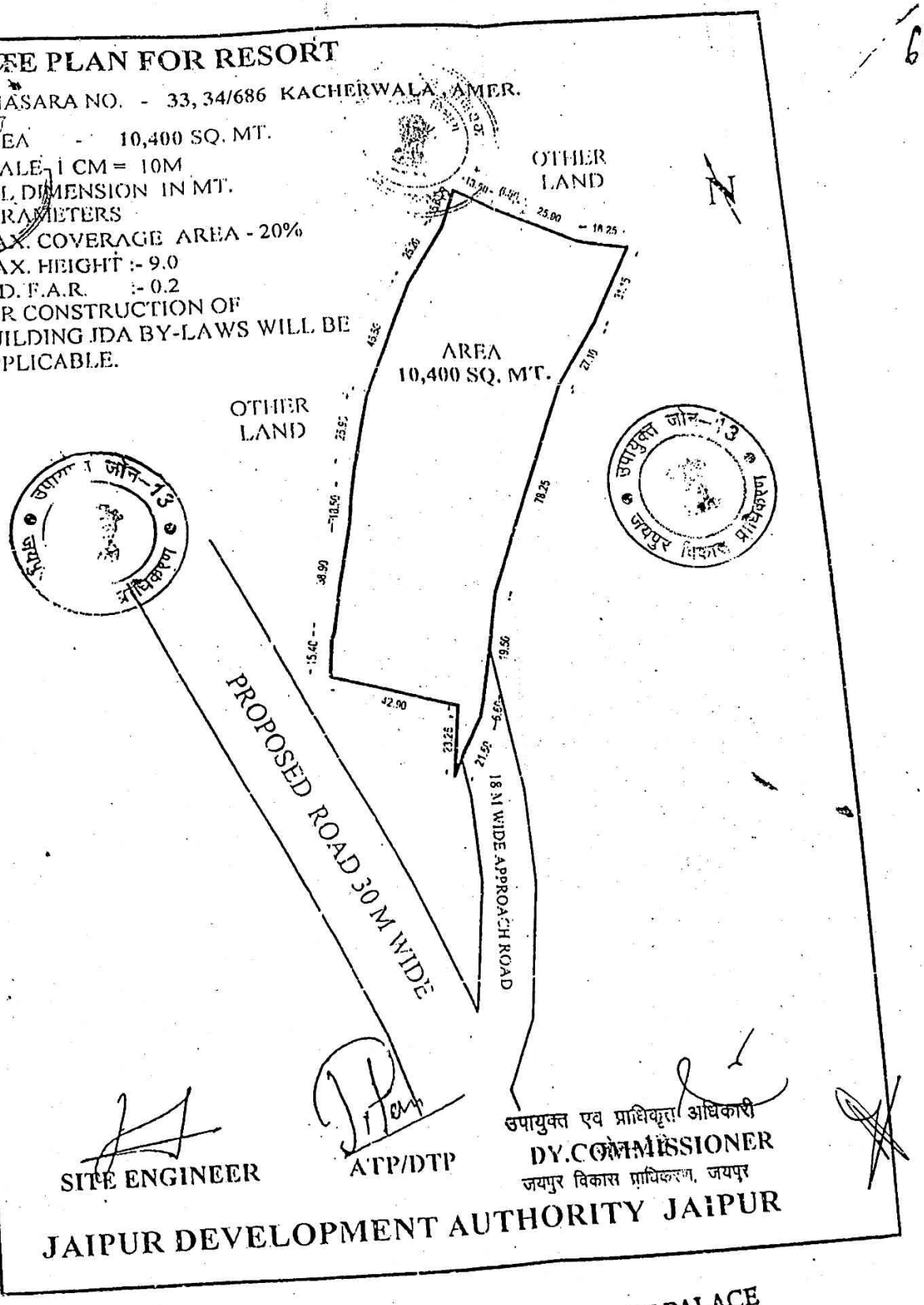

SITE ENGINEER

ATP/DTP

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
DY.COMMISSIONER
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR

THE JAIBAGH PALACE

GENERAL MANAGER

Annexure-8

The Jai Bagh Palace Jaipur			Day :			Date : 20/11/2025			
S.N.	Name	Department	Time In	Time Out	Signature	Time In	Time Out	Signature	Remark
1	Banti Ram Meena	House Keeping	7:46	17:15					9:29
2	Kamal Singh Gurjar	House Keeping	7:55	13:00		17:40	21:16		
3	Kiran Bunkar	House keeping	8:00	13:30					
4	Kripa Sain	House Keeping	A	—			A	—	
5	Ramesh Chand Meena	House Keeping	7:46	17:20					
6	Sukram Meena	House Keeping	21:56	8:23					
7	Dropadi Devi	Kitchen	A	—		—	A	—	—
8	Geeta Dariya	Public Area	8:00	17:09					09:09
9	Laxmi Devi	Public Area	07:57	17:09					09:12
10	Govind Meena	FNB Production	06:20	11:35		18:00	22:00		09:15
11	Radhe Shyam Meena	FNB Production	12:25	22:22					09:57
12	Ram Ji Lal	FNB Production	08:55	19:04					08:09
13	Ram Ji	Garden	07:48	17:20					09:16
14	Sheela Devi	Garden	08:00	17:09					09:09
15	Sita Ram Sharma	Engineering	06:55	19:05		C			12:10
16	Mohan Meena	Engineering	08:00	18:40					10:30
17	Suresh Kumar Meena	Security	07:00	19:05					12:05
	Name of Contractual Staff								
1	Ram Sharan	Admin & General	09:00	05:00					10:00
2	Naresh Bist	House Keeping	08:10	20:00					12:00
3	Bheewa Ram	House Keeping	09:45	17:15					09:30
4	Pawan Meena	House Keeping	A	A	—	—	—	—	A
5	Hemraj Gujar	House Keeping	OFF	OFF	—	—	—	—	OFF
6	Ravi Prakash Meena	House Keeping	OFF	OFF	—	—	—	—	OFF
7	Ravi	House Keeping	08:10	17:09					08:59
8	Manohar	House Keeping	L	L	—	—	—	L	L
9	Shankar Lal	House Keeping	09:12	17:12					8:50
10	Hudirom Malemnganba Singh	House Keeping	8:00	22:09					14:09
11	Shekhar Dariya	House Keeping	7:51	17:20					9:29
12	Sumit Singh	House Keeping	7:23	17:20					9:57
13	Rohit Naresh Vaishnav	House Keeping	12:50	22:16					9:26
14	Rahul Kumar Meena	House Keeping	—	—	OFF	—	—	—	—
15	Ashish Negi	House Keeping	07:45	17:57					10:12
16	Deepak	House Keeping	07:54	18:18					10:24
17	Sita Ram Meena	Security	06:55	19:08					12:10
18	Pushpendra	Security	—	—	—	OFF	—	—	—
19	Pawan Kumar	Security	18:50	06:50					12:00
20	Surendra Pratap Singh	Front Office	08:50	20:51					12:21
21	Rajiv Singh	Front Office	09:50	24:10					12:20
22	Shakuntala Soni	FNB Service	OFF	—	—	—	—	OFF	—
23	Deepak Danu	FNB Service	11:30	23:30					10:6
24	Akansha	FNB Service	7:50	12:50		18:30	21:40	A.S	08:10
25	Dinesh Kumar	Engineering	18:30	7:52					20:20
26	Pooran Meena	Engineering	Confirm	16:00					
27	Ranjeet Singh	F&B Production	8:15	3:25		5:35	22:00		11:35
28	Mohan Meena	KST	11:33	22:00					10:27
29	Shailesh Sharma	Accounts	9:00	18:00					9:55
30	Mukesh Bunkar	Laundry	7:55	17:00					9:05
31	Lokesh Meena	Laundry	7:51	17:00					9:09
32	Santosh Devi	Garden	7:55	17:19					9:14

The Jai Bagh Palace
Gen. Manager

Room#	Guest Name	Mar.St	Company...	Group	Plan	D.O.A	D.O.D LS	Nat.	Pax
							Present Occupancy		
101 **	Ms. Harshita Panwar	WED	Mega International Group	GP25110004	EP	20/11	23/11 -3	IND	2
102 **	MR SUNIL PANWAR	WED	Mega International Group	GP25110004	EP	20/11	23/11 -3	IND	2
103 **	DR BHIMRAJ PANWAR	WED	Mega International Group	GP25110004	EP	20/11	23/11 -3	IND	2
104 **	MR CHATURBHUJ JI PANWAR	WED	Mega International Group	GP25110004	EP	20/11	23/11 -3	IND	2
105 **	MS HARSHITA PANWAR	WED	Mega International Group	GP25110004	EP	20/11	23/11 -3	IND	2
106 **	MR MANISH PANWAR	WED	Mega International Group	GP25110004	EP	20/11	23/11 -3	IND	2
107 **	MR SATISH	WED	Mega International Group	GP25110004	EP	20/11	23/11 -3	IND	2
108 **	MS AARTI	WED	Mega International Group	GP25110004	EP	20/11	23/11 -3	IND	2
109 **	MS JYOTI PANWAR	WED	Mega International Group	GP25110004	EP	20/11	23/11 -3	IND	2
110 **	MR POONAM CHAND JI	WED	Mega International Group	GP25110004	EP	20/11	23/11 -3	IND	2

Total Rooms : 10 Total Pax : 20

The Jai Bagh Palace

Gen. Manager

CHAUHAN ARCHITECTS
Architects & Interior Designers

7-DA-19, Jawahar Nagar,
Jaipur – 302004

Tel.:0141-2656431
M.: 94140-76544

Completion certificate

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that as per my visit on 10/08/2017 the resort project name M/s THE JAI BAGH PALACE (A Unit of Bayan Group of Hotels and resorts Private Limited) situated at Plot no.: Khasara No. 34, 35/687, 41/688, 42/689, 47/690, 48/691 area 11,679.02 Square Meter and 33,34/686 Area 10,400.00 Square meter Total Area 22,079.02 Square Meter total land ,Village Kacherewala, Kukas, Tehsil Amber, District Jaipur; with structure of total nos. of 142 rooms with total built up area of 10560.72 sq. mt. is completed.

Best regards

Mahavir Chauhan

MAHAVIR CHAUHAN (Architect)
7-DA-19, Jawahar Nagar
JAIPUR - 302004
C.O.A. Reg. No. CA/97/21982

Dated 15/08/2017

Name : Mahavir Chauhan
Address : 7-D-19, Jawahar Nagar, Jaipur .

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान

अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
फोन नं॰ 0141–2700151 ई–मेलः pccf.cwlw.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ 8 (07)2024/विधि/मुवजीप्र–02868/2024–25 दिनांकः ई–हस्ताक्षर

बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 07.01.2025 को नाहरगढ वन्यजीव अभ्यारण्य की अधिसूचना दिनांक 22.09.1980 में अंकित सीमाओं एवं नाहरगढ अभ्यारण्य के ईको सेन्सिटिव जोन में प्रदर्शित सीमाओं में अन्तर के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित रहेः–

1. श्री वेंकटेश शर्मा, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (श्रम एवं विधि), राजस्थान, जयपुर।
2. श्री के.सी.ए. अरूण प्रसाद, अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए), राजस्थान, जयपुर।
3. श्री राजेश कुमार गुप्ता, अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), राजस्थान, जयपुर।
4. श्री के.सी. मीना, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त), राजस्थान, जयपुर।
5. श्री टी. मोहनराज, मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), जयपुर।
6. श्री अशोक जैन, उप वन संरक्षक (आई.टी.), राज0 जयपुर।
7. श्री जगदीश चन्द गुप्ता, उप वन संरक्षक (वन्यजीव), चिडियाघर, जयपुर।
8. श्री दिनेश कुमार गुप्ता, उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.), राज0 जयपुर।
9. सर्वेयर, कार्या0 उप वन संरक्षक, (वन्यजीव), चिडियाघर, जयपुर।

उप वन संरक्षक (वन्यजीव) चिडियाघर, जयपुर द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों के समक्ष नाहरगढ अभयारण्य की अधिसूचना दिनांक 22.09,1980 को जारी की गई , में उल्लेखित अभयारण्य की चारों दिशाओं की सीमाओं के विवरण के बारे में अवगत कराया। नाहरगढ अभयारण्य के इको सेसेटिव जोन की जारी अधिसूचना दिनांक 08.03.2019 में संलग्न जी टी शीट में अभयारण्य की सीमा का अवलोकन कराया। नक्शे पर दर्शायी गई अभयारण्य की सीमा को परपल रंग से मार्क किया गया है। उक्त नक्शे में सीमा पर 1 से 100 बिन्दु अंकित किये गये है, जबकि अधिसूचना में अभयारण्य की सीमा के केवल 11 बिन्दुओं के जी. पी. एस. कोआर्डिनेटस की सूची का उल्लेखन किया गया है, जिनसे पूरी अभयारण्य की सीमा को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। नक्शे पर प्रदर्शित/मार्क की गयी अभ्यारण्य की सीमा को अभयारण्य की जारी की गई अधिसूचना दिनांक 22.09.1980 के अनुसार पढने पर नक्शे पर प्रदर्शित की गई सीमा में काफी त्रुटियॉ देखने में पायी गई । उक्त नक्शे पर मार्क की गई सीमा एवं अभयारण्य की अधिसूचना में अन्तर के कारण माननीय न्यायालयों में काफी संख्या में वाद विचाराधीन है। जिनके कारण माननीय न्यायालयों में अलग अलग तरह से जवाब प्रस्तुत करने वादों की संख्या में वृद्वि लगातार हो रही है। उक्त समस्या का समाधान किया आवश्यक

Signature valid
Digitally signed by Pa[illegible] Kumar Upadhyay
Designation : [illegible] Chief Conservator Of [illegible]st
Date: 2025.01.09 [illegible]:59:55 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 12884778

उक्त संबंध में बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों से चर्चा की गई और अभयारण्य की अधिसूचना एवं नाहरगढ अभयारण्य के इको सेंसेटिव जोन की अधिसूचना दिनांक 08.03.2019 को जारी की गई, के साथ नक्शे पर मिलान कर अध्ययन किया गया। जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नाहरगढ अभ्यारण्य की अधिसूचना दिनांक 22.09.1980 के आधार पर राजस्व मैप पर अभयारण्य का नक्शा बनाया जावे। जिसके लिए उप वन संरक्षक (वन्यजीव) चिडियाघर, जयपुर को दिनांक 17.01.2025 तक समिति के समक्ष नाहरगढ वन्यजीव अभयारण्य का नक्शा प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। जिसे समीक्षा उपरान्त राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु भिजवाया जावेगा। इसके साथ–साथ इको सेंसेटिव जोन की अधिसूचना के आधार पर इको सेंसेटिव जोन का संशोधित नक्शा भी प्रस्तुत किया जावे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(पवन कुमार उपाध्याय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 8 (07)2024/विधि/मुवजीप्र–02868/2024–25 दिनांकः ई–हस्ताक्षर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (श्रम एवं विधि), राजस्थान, जयपुर।
3. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए), राजस्थान, जयपुर
4. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त), राजस्थान, जयपुर।
6. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), जयपुर।
7. उप वन संरक्षक (आई.टी.), राज0 जयपुर।
8. उप वन संरक्षक (वन्यजीव), चिडियाघर, जयपुर।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Pavan Kumar Upadhyay
Designation : Principal Chief Conservator Of Forest
Date: 2025.01.09 14:59:55 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 12884778

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान

अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

फोन नं॰ 0141–2700151 **ई–मेलः pccf.cwlw.forest@rajasthan.gov.in**

क्रमांकः एफ 8(07)2024/विधि/मुवजीप्र–02868/2024–25 Jaipur, Date: As Per Sign

बैठक कार्यवाही विवरण

नाहरगढ वन्यजीव अभयारण्य की अधिसूचना दिनांक 22.09.1980 में अंकित पूर्वी सीमा की विवेचना एवं ईको–सेन्सिटिव जोन के संबंध में दिनांक 07.01.2025 को आयोजित बैठक में उप वन संरक्षक, वन्यजीव, चिडियाघर, जयपुर को दिनांक 17.01.2025 तक उक्त अधिसूचना के अनुसार नक्शा तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में उप वन संरक्षक वन्यजीव, चिडियाघर द्वारा नक्शा तैयार कर प्रस्तुत किया गया। उक्त के क्रम अद्योहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में दिनांक 21.01.2025 में दोपहर 3.00 बजे आयोजित की गई थी। बैठक में निम्नांकित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित हुए–

1. श्री वेंकटेश शर्मा, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (श्रम एवं विधि), राजस्थान, जयपुर।
2. श्री के.सी.ए. अरूण प्रसाद, अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए., राज0, जयपुर।
3. श्री सुपोंग शशी, मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), जयपुर।
4. श्री विजय पाल सिंह, उप वन संरक्षक (वन्यजीव) चिडियाघर, जयपुर।
5. श्री अशोक जैन, उप वन संरक्षक (आई.टी.), जयपुर।
6. श्री गिरीश कुमार शर्मा, सर्वेयर, कार्यालय उप वन संरक्षक (वन्यजीव) चिडियाघर, जयपुर।

उपस्थित सदस्यों द्वारा उप वन संरक्षक (वन्यजीव), चिडियाघर, जयपुर द्वारा प्रस्तुत नक्शों का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत नक्शों को अभयारण्य की सीमा विवरण के अनुरूप प्रदर्शित होने में कमियां पाई गई।

इस संबंध में श्री वेंकटेंश शर्मा, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (श्रम एवं विधि), राजस्थान, जयपुर द्वारा सुझाव दिया गया कि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ11(39)राज–8/80 दिनांक 22.09.1980 अनुसार नाहरगढ वन्य जीव अभयारण्य की

RajKaj Ref No.: 13250953

सीमा विवरण के अनरूप नक्शा बनाने के लिए यह आवश्यक होगा कि पूरी तैयारी नये सिरे से किया जाना उचित होगा, जिस पर सभी उपस्थित सदस्यों द्वारा सहमति जारी की गई।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (श्रम एवं विधि) द्वारा सुझाव दिया गया कि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ11(39)राज–8/80 दिनांक 22.09.1980 अनुसार नाहरगढ वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र एवं विवरण में दिए गए समस्त गांवों के मूल नक्शे एकत्रित किये जाकर सभी नक्शों को एक साथ बिछाकर नाहरगढ अभयारण्य की सीमा विवरण के अनुसार उन नक्शों के उपर लाईन डाली जाये ताकि सीमा का सही चित्रण हो सकें। जिसके संबंध में सभी उपस्थित सदस्यों द्वारा सहमति जारी की गई।

अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त कार्यवाही पूर्ण की जाकर दिनांक 28.01.2025 को दोपहर बाद 3.00 बजे समिति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(पवन कुमार उपाध्याय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 8(07)2024/विधि/मुवजीप्र–02868/2024–25 Jaipur, Date: As Per Sign

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एफ.सी.ए., राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (श्रम एवं विधि), राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), राजस्थान, जयपुर।
6. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), जयपुर।
7. उप वन संरक्षक (वन्यजीव), चिडियाघर, जयपुर।
8. उप वन संरक्षक (आई.टी.), जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर

Signature Not Verified

Digitally Signed by P.K. Upadhyaya
Designation : Principal Chief Conservator Of Forest
Date :28-01-2025 03:31:53

RajKaj Ref No.: 13250953

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एंव मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान

अरण्य भवन, झालाना, जयपुर–302004, e-mail – pccf.cwlw.forest@rajasthan.gov.in , Ph.- 0141-2700151

क्रमांक : एफ.8(07)2024 / विधि / मुवजीप्र–02868 दिनांक : ई–हस्ताक्षर

बैठक कार्यवाही विवरण

बैठक सूचना क्रमांक 14394281 दिनांक 26.03.2025 के क्रम में नाहरगढ वन्यजीव अभ्यारण्य की अधिसूचना दिनांक 22.09.1980 में अंकित सीमाओं की विवेचना एवं तत्संबंधी कार्यवाही हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक व मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक की अध्यक्षता में द्वितीय बैठक उनके कक्ष में आयोजित की गयी जिसमें निम्न अधिकारीगण उपस्थित हुए।

1. श्री वेंकटेश शर्मा अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, श्रम एवं विधि अरण्य भवन, जयपुर।
2. श्री राजेश कुमार गुप्ता, अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव राजस्थान, जयपुर।
3. श्री टी. मोहन राज, मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर।
4. श्री सी.आर. मीणा, मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयो0 एवं वन बन्दो0 राज0, जयपुर।
5. श्री सुदर्शन शर्मा, उप वन संरक्षक, एफ.सी.ए. जयपुर।
6. श्री अशोक कुमार जैन, उप वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी, जयपुर।
7. श्री विजयपाल सिंह, उप वन संरक्षक (वन्यजीव) चिडियाघर, जयपुर।
8. श्री प्रेम शंकर मीणा, सहायक वन संरक्षक, नाहरगढ वन्यजीव अभ्यारण्य, जयपुर।
9. श्री गिरीश नारायण शर्मा, सर्वेयर, कार्या0 उप वन संरक्षक (वन्यजीव) चिडियाघर।

बैठक प्रारम्भ की जाकर पूर्व की बैठक में दिऐ गये निर्देशों की प्रगति के संबंध में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा अब तक की गयी कार्यवाही के बारे में अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

1. श्री वेंकटेश शर्मा अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, श्रम एवं विधि द्वारा इस क्रम में की जाने वाली कार्यवाही के बारे में संक्षिप्त रूप से अवगत कराते हुऐ उप वन संरक्षक आई.टी को इस कार्य के लिये अपनाई गयी सम्पूर्ण तकनीकी प्रक्रिया के बारे में विस्तृत रूप से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।
2. श्री अशोक कुमार जैन, उप वन संरक्षक आई.टी द्वारा वन्यजीव चिडियाघर वन मंडल से उप वन संरक्षक द्वारा उपलब्ध कराये गये विभिन्न वन भूमि रिकॉर्ड जैसे मूल नोटिफिकेशन, वन भूमि खसरा मैप, खसरा मिलान रिकॉर्ड, एवं अन्य उपलब्ध विभिन्न आदेश आदि के आधार पर तैयार कर वन मंडल द्वारा प्रस्तुत किये गये डिजिटल नक्शों में प्रयुक्त डेटा एवं प्रक्रिया से सदस्यों को अवगत कराया गया।
3. श्री जैन द्वारा दी गयी जानकारी एवं वन भूमि तथा अन्य समस्त संबंधित भुमियों पर नोटिफिकेशन के क्रम में दिशावार विवरण के अनुसार समिति सदस्यों द्वारा विस्तृत चर्चा की गयी।
4. इस प्रकार खसरा स्केल पर खसरा वार जानकारी, अधिसूचित वन भूमि एवं राजस्व व अन्य सभी प्रकार की भूमियों की स्थितियों का आंकलन करते हुये अभ्यारण्य की डिजिटल सीमा लाईन को प्रस्तुत नक्शों पर इंगित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही बाबत उप वन संरक्षक आई0टी0 एवं उप वन संरक्षक, वन्य जीव चिडियाघर को निर्देशित किया गया।
5. इस अभ्यारण्य सीमा लाईन को डिजिटल रूप में बनाये जाने हेतु उप वन संरक्षक आई.टी श्री जैन द्वारा दिनांक 01 अप्रैल 2025 तक पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया।
6. श्री वेंकटेश शर्मा अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, श्रम एवं विधि द्वारा उप वन संरक्षक आई.टी को अपनायी गयी तकनीक कार्यप्रणाली (SOP) का सरल भाषा में विवरण तैयार कर अगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
7. अभ्यारण्य क्षेत्र के संबंध में सभी प्रकार की भूमि से संबंधित आवश्यक पत्रावली, नोटिफाईड भूमि नोटिफिकेशन, अन्य विभागों को आवंटित की गयी भूमि नोटिफिकेशन इत्यादि को क्रमबद्ध रूप से एक पृथक पत्रावली के रूप में तैयार कर मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राजस्थान को उपलब्ध कराने हेतु उप वन संरक्षक, वन्य जीव चिडियाघर को निर्देशित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shilpa Mehra
Designation : Principal Chief Conservator of Forest
Date: 2025.04.03 04:25:54 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14543690

8. इसी प्रकार अभ्यारण्य क्षेत्र की उक्त प्रक्रिया से इंगित की जाने वाली सीमा लाईन के ग्रामवार सीमा इंगितीकरण के औचित्य विवरण भी सर्वेयर कार्यालय हाजा उप वन संरक्षक चिडियाघर जयपुर द्वारा तैयार किये जाने हेतु उन्हें निर्देशित किया गया जिसमें समस्त प्रकार की भूमि का विस्तृत विवरण उल्लेखित किया जावे कि संबंधित ग्राम की भूमि किस कारण छोड़ी गयी है अथवा जोड़ी गयी है।
9. बैठक चर्चा के दौरान यह भी निर्देशित किया गया कि उक्तानुसार तैयार किये गये नक्शे के आधार पर उप वन संरक्षक वन्यजीव चिडियाघर जयपुर द्वारा भौतिक रूप से मौके की स्थिति का परीक्षण/मुआयना करवाया जावे जिससे मौके की वर्तमान वास्तविक स्थिति की सही जानकारी ली जा सके।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई एवं अगली बैठक दिनांक 04.04.2025 को सांय 5.00 बजे नियत कर उप वन संरक्षक (वन्यजीव) चिड़ियाघर को ग्राउन्ड ट्रथिंग की रिपोर्ट के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिये गये।

(शिखा मेहरा)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक
राजस्थान

क्रमांक : एफ.8(07)2024/विधि/मुवजीप्र–02868 दिनांक :ई–हस्ताक्षर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन बल प्रमुख) राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, श्रम एवं विधि, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,एफ.सी.ए., राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव राजस्थान, जयपुर।
6. मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोंबस्त, राजस्थान, जयपुर।
7. उप वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी, अरण्य भवन जयपुर।
8. उप वन संरक्षक (वन्यजीव) चिडियाघर, राजस्थान, जयपुर

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक
राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Shikha Mehra
Designation : Principal Chief Conservator Of Forest
Date: 2025.04.03 04:25:54 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14543690

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान

अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

फोन नम्बरः 0141–2700151 ई–मेलः pccf.cwlw.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ.8(1)2023/ई–1876/विधि/मुवजीप्र दिनांकः

बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 27.06.2025 को नाहरगढ वन्यजीव अभ्यारण्य की अधिसूचना दिनांक 22.09.1980 में अंकित सीमाओं एवं नाहरगढ़ अभ्यारण्य के ईको सेन्सिटिव जोन में प्रदर्शित सीमाओं में अन्तर के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राजस्थान जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित रहें।

1. श्री वेंकटेश शर्मा, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (श्रम एवं विधि), राजस्थान जयपुर।
2. श्री के.सी.ए. अरूण प्रसाद, अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए), राजस्थान जयपुर।
3. श्री राजेश कुमार गुप्ता, अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), राजस्थान जयपुर।
4. श्री सी.आर.मीना, मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त), राजस्थान जयपुर।
5. श्री टी. मोहनराज, मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), राजस्थान जयपुर।
6. श्री अशोक जैन, उप वन संरक्षक (आई.टी.), राजस्थान जयपुर।
7. श्री विजयपाल सिंह, उप वन संरक्षक (वन्यजीव), चिड़ियाघर जयपुर।
8. श्री गिरीश नारायण शर्मा, सर्वेयर कार्या0 उप वन संरक्षक (वन्यजीव), चिड़ियाघर जयपुर।

उप वन संरक्षक (वन्यजीव), चिड़ियाघर जयपुर द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों के समक्ष नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की अधिसूचना दिनांक 22.09.1980 के क्रम में अब तक की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी दी गई है।

माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण भोपाल द्वारा कमल तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य एप्लीकेशन संख्या 97/2022 (CZ) तथा एक्जीक्यूशन एप्लीकेशन संख्या 06/2024 (Z) में दिनांक 16.12.2024 को पारित आदेश में निर्देशित किया कि A Copy of the order with Pages discussed above be forwarded to the Chief Secretary and the Member Secretary, State of Rajasthan, State Pollution Control Board for proper and necessary action and to ensure the finalization of boundaries of Nahargarh Wildlife according to the Notifications. संलग्नक– 1

उक्त आदेशो के क्रम में पहली बैठक प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राजस्थान जयपुर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें निम्नानुसार सदस्यों को आमन्त्रित किया गया।

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (श्रम एवं विधि), राजस्थान जयपुर।
2. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए), राजस्थान जयपुर।
3. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), राजस्थान जयपुर।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त), राजस्थान जयपुर।
5. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), राजस्थान जयपुर।
6. उप वन संरक्षक (आई.टी.), राजस्थान जयपुर।

7. उप वन संरक्षक (वन्यजीव), चिड़ियाघर जयपुर।

A. उक्त बैठक में मुख्यतः नाहरगढ़ अभ्यारण्य की अधिसूचना दिनांक 22.09.1980 में उल्लेखित चारो दिशाओं की सीमा के विवरण के बारे में अवगत कराया गया तथा नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के इको सेन्सिटिव जोन की सीमा का अवलोकन कराया गया। सभी सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की अधिसूचना दिनांक 22.09.1980 के आधार पर राजस्व मैप पर अभ्यारण्य का नक्शा बनाया जावे। जिसके लिए उप वन संरक्षक (वन्यजीव), चिड़ियाघर जयपुर को दिनांक 17.01.2025 तक समिति के समक्ष नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य का नक्शा प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। जिसे समीक्षा उपरान्त राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु भिजवाया जावेगा। इसके साथ–साथ इको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना के आधार पर इको सेन्सिटिव जोन का संशोधित नक्शा प्रस्तुत किया जावें। संलग्नक–2

B. अगली बैठक दिनांक 21.01.2025 को दोपहर 3:00 PM बजे आयोजित की गई। जिसमें अधिसूचना दिनांक 22.09.1980 के अनुसार सभी गांव के मूल नक्शे एकत्रित कर सीमा विवरण अनुसार लाइन डाली जाने बाबत् सभी उपस्थित जनो द्वारा सहमति जाहिर की। संलग्नक–3

C. अगली बैठक दिनांक 27.03.2025 को आहुत की गई है जिसमें निर्णय लिया गया कि उप वन संरक्षक आई. टी. को इस कार्य के लिए अपनाई जा रही सम्पूर्ण तकनीकी प्रक्रिया बताने हेतु निर्देशित किया। इस कम में उप वन संरक्षक आई. टी. द्वारा वनमण्डल वन्य जीव चिड़ियाघर द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकॉर्ड अनुसार डिजीटल नक्शे बनाये गये। तथा उप वन संरक्षक (वन्यजीव), चिड़ियाघर जयपुर को भौतिक रूप से मौके की वर्तमान वास्तविक स्थिति की जानकारी अगली बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। संलग्नक–4

D. बैठक दिनांक 01.05.2025 में उप वन संरक्षक (वन्यजीव) चिड़ियाघर जयपुर द्वारा अब तक की गई कार्यवाही को प्रजेन्टेशन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रजेन्टेशन पर विस्तृत चर्चा उपरान्त कुछ संशोधन प्रस्तावित किये गये। जिन्हे अगली बैठक दिनांक 08.05.2025 को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। संलग्नक–5

E. बैठक दिनांक 08.05.2025 नक्शे को उप वन संरक्षक (वन्यजीव) चिड़ियाघर जयपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया। उक्त नक्शे में विभिन्न प्रकार के संशोधन हेतु निर्देशित किया गया। तथा अपनाई जा रही विधि की SOP प्रस्तुत कर अनुमोदन हेतु निर्देशित किया गया। संलग्नक–6

F. बैठक दिनांक 04.06.2025 को उप वन संरक्षक (वन्यजीव) चिड़ियाघर जयपुर द्वारा संशोधन सहित नक्शा प्रस्तुत किया गया। जिसे सभी अधिकारीगणो द्वारा सही माना जा कर निर्देशित किया गया कि दिनांक 22.09.1980 के नोटिफिकेशन अनुसार नाहरगढ़ अभ्यारण्य का इकजाई नक्शा बनाने के निर्देश दिये गये, ग्राम वाईज नक्शो में प्रत्येक राजस्व ग्राम के नाहरगढ़ अभ्यारण्य में आने वाले खसरों की सूची भी प्रदर्शित की जावे। संलग्नक–7

G. उक्त कार्यवाही के दौरान अपनाई जा रही मानक संचालन प्रक्रिया का अनुमोदन इस पूरी कार्यवाही में सम्मलित अधिकारीगणो द्वारा कर दिया गया हैं। संलग्नक–8

H. नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की अधिसूचना दिनांक 22.09.1980 के अनुसार प्रत्येक गांव का पृथक–पृथक नक्शा तैयार कर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे समिति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है।

1. ग्राम कोटड़ा का नक्शा संलग्न है। संलग्नक–9
2. ग्राम कुकस का नक्शा संलग्न है। संलग्नक–10
3. ग्राम खुराड़ का नक्शा संलग्न है। संलग्नक–11

4. ग्राम नेस्तीवास का नक्शा संलग्न है। संलग्नक–12
5. ग्राम चिमनपुरा का नक्शा संलग्न है। संलग्नक–13
6. ग्राम आमेर का नक्शा संलग्न है। संलग्नक–14
7. ग्राम नाहरगढ़ का नक्शा संलग्न है। संलग्नक–15
8. ग्राम किशनबाग का नक्शा संलग्न है। संलग्नक–16
9. ग्राम पापड़ का नक्शा संलग्न है। संलग्नक–17
10. ग्राम मायलाबाग का नक्शा संलग्न है। संलग्नक–18
11. ग्राम जैसल्या का नक्शा संलग्न है। संलग्नक–19
12. ग्राम आकेड़ाडूंगर का नक्शा संलग्न है। संलग्नक–20
13. ग्राम सिस्यावास का नक्शा संलग्न है। संलग्नक–21
14. ग्राम बड़ागांव जरख्या का नक्शा संलग्न है। संलग्नक–22
15. ग्राम बीड़ तालेडा का नक्शा संलग्न है। संलग्नक–23
16. ग्राम दौलतपुरा का नक्शा संलग्न है। संलग्नक–24

I. नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य अधिसूचना दिनांक 22.09.1980 के सीमा विवरण अनुसार एकजाई नक्शा तैयार किया जाकर समिति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हैं। संलग्नक–25

J. नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत आने वाली भूमि की ग्राम वार क्षेत्रफल की सूची वर्ष 2019 (संवत् 2076) के अनुसार। संलग्नक–26

इस प्रकार अब तक हुइ सभी कार्यवाही, मानक संचालन प्रक्रिया, सभी 16 गांवो के नक्शे एवं एकजाई नक्शा समिति द्वारा अनुमोदन कर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(शिखा मेहरा)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान

कमांकः एफ.8(1)2023/ई–1876/विधि/मुवजीप्र 09-15 दिनांकः 15/7/25

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (श्रम एवं विधि), राजस्थान जयपुर।
2. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए), राजस्थान जयपुर।
3. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), राजस्थान जयपुर।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त), राजस्थान जयपुर।
5. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), राजस्थान जयपुर।
6. उप वन संरक्षक (आई.टी.), राजस्थान जयपुर।
7. उप वन संरक्षक (वन्यजीव), चिड़ियाघर जयपुर।

उप वन संरक्षक (वन्यजीव) चिड़ियाघर, जयपुर क्रमांक 4026 17/7/25 दिनांक

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्था

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

D.B. Civil Writ Petition (PIL) No. 14254/2025

Nahargarh Van Evam Vanya Jeev Suraksha Evam Seva Samiti

----Petitioner

Versus

Union of India & Ors.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Vaibhav Pancholi on behalf of Mr. Krishan Chander Sharma
For Respondent Nos.1 and 4	:	Mr. R.D. Rastogi, ASG (through V.C.) with Mr. Devesh Yadav (through V.C.), Mr. Chandra Shekhar Sinha, Mr. Rajat Sharma & Mr. Yatharth Asopa
For Respondent Nos.2, 3, 5, 6 & 7	:	Mr. Avinash Choudhary, Mr. Hardik Singh, Mr. Ramdhan, Mr. Vinayam Saran and Ms. Mansi Sharma

---

HON'BLE MR. JUSTICE SANJEEV PRAKASH SHARMA
HON'BLE MR. JUSTICE SANJEET PUROHIT

Order

19/09/2025

1. Learned counsel appearing on behalf of the petitioner submits that while preparing a revised map of the Nahargarh Wildlife Sanctuary, only the villages which were found part of the forest area have been included, while the described area which is also required to be included, has been left out.

2. The new map of the Nahargarh Wildlife Sanctuary is being prepared in the garb of an order passed by the National Green Tribunal dated 16.12.2024, which directed for finalization of boundaries of Nahargarh Wildlife according to the notifications.

3. Thus, he submits that the earlier notifications and the list of villages coming under the Wildlife Sanctuary and Eco Sensitive

Zone along with Geo Coordinates as available in the Gazette Notification dated 08.03.2019 as well as 22.09.1980, were required to be taken into consideration.

4. It is also stated that the boundary is being revised of the Nahargarh Wildlife Sanctuary to the detriment of the Sanctuary and Eco Sensitive Zone was required to be taken into consideration.

5. Issue notice to the respondents.

6. Mr. R.D. Rastogi, learned Additional Solicitor General accepts notice on behalf of respondents No.1 and 4, who shall take instructions in the matter and submit a report.

7. Mr. Avinash Choudhary, associate of Mr. B.S. Chhaba, learned Additional Advocate General, accept notice on behalf of respondent Nos.2, 3, 5, 6 & 7.

8. Let a detailed affidavit be also filed relating to the averments made in the present Public Interest Litigation by the learned ASG and also directed to take report from the State Forest Department in this regard and submit a comprehensive affidavit.

9. The State Counsel shall also file an affidavit of the PCCF.

10. It is directed that in the meanwhile, no change in the boundaries of the existing Nahargarh Wildlife Sanctuary which would include the Eco Sensitive Zone and the described area, shall be made.

11. List this case on 31.10.2025.

(SANJEET PUROHIT),J (SANJEEV PRAKASH SHARMA),J

AMIT/59

Note cam lite
Address : Amber, Jaipur, 302038, Rajasthan, India
Latitude : 27.086211
Longitude : 75.890375
Altitude : 448.01 meter
Accuracy : 0.55 meter
Note : Captured by NoteCam

Note cam lite
Address : Amber, Jaipur, 302038, Rajasthan, India
Latitude : 27.086253
Longitude : 75.890410
Altitude : 447.38 meter
Accuracy : 0.74 meter
Note : Captured by NoteCam

Note cam lite
Address : Amber, Jaipur, 302038, Rajasthan, India
Latitude : 27.085627
Longitude : 75.889548
Altitude : 452.61 meter
Accuracy : 0.38 meter
Note : Captured by NoteCam